Jharkhand Academic Council, Ranchi

2006

(01.01.2006 – 20.09.2006)

Proceeding of Meetings of Council

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की बैठक
2006

Index

क्रम सं०	बैठक का नाम	दिनांक	पेज नं०
01.	वित्त समिति की बैठक	12.01.2006	04–05
02	वित्त समिति की बैठक	18.01.2005	06–08
03.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही	18.01.2006	09–12
04.	Building Committee Meeting	04.01.2006	13–13
05.	अनुज कुमार धान की अध्यक्षता में बैठक	10.01.2006	14–15
06.	परीक्षा समिति की बैठक	04.02.2006	16–19
07.	वित्त समिति की बैठक	10.02.2006	20–21
08.	अनुज कुमार धान की अध्यक्षता में बैठक	11.02.2006	22–25
09.	परीक्षा समिति की बैठक	15.02.2006	26–28
10.	वित्त समिति की बैठक	15.02.2006	29–37
11.	वित्त समिति की बैठक	11.03.2006	38–37
12.	वित्त समिति की बैठक	11.03.2006	38–40
13.	वित्त समिति की बैठक	20.03.2006	41–42
14.	Building Committee Meeting	18.02.2006	43–47
15.	विभागीय परीक्षा संचालन समिति	23.03.2006	48–48
16.	परीक्षा समिति की बैठक	28.03.2006	49–49
17.	परीक्षा समिति की बैठक+ आमुख बजट (2006–07)	22.03.2006	50–56
18.	परीक्षा समिति की बैठक	08.04.2006	57–61
19.	Date wise list of centres for Madrasa Ex-2006	08.04.2006	62–67
20.	Building Committee Meeting	19.04.2006	68–69
21.	मिसि उरांव की अध्यक्षता में बैठक	22.04.2006	70–72
22.	Tender Committee Meetting	25.04.2006	73–74
23.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही	07.05.2006	75–77
24.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही	16.05.2006	78–81
25.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही (29 बैठक)	27.05.2006	82–90
26.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही (30)	09.06.2006	91–97
27.	परीक्षा समिति की बैठक	16.06.2006	98–102

28.	परीक्षा समिति की बैठक	19.06.2006	103—104
29.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही (31)	21.06.2006	105—116
30.	परीक्षा समिति की बैठक	07.07.2006	117—118
31.	प्रो० मिसिर उरांव की अध्यक्षता में बैठक	29.06.2006	119—120
32.	परीक्षा समिति की बैठक	18.07.2006	121—122
33.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही	17.07.2006	123—122
34.	परीक्षा समिति की बैठक	17.07.2006	123—124
35.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही	27.07.2006	125—130
36.	स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही	04.08.2006	131—132
37.	स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही	08.08.2006	133—133
38.	स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही (33)	08.08.2006	134—136
39.	वित्त समिति की बैठक	11.08.2006	137—138
40.	परीक्षा समिति की बैठक	19.08.2006	139—139
41.	स्थापना समिति की बैठक	22.08.2006	140—141
42.	वित्त समिति की बैठक	25.08.2006	142—143
43.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही (34)	31.08.2006	144—147
44.	परिषद् की बैठक की कार्यवाही (35)	02.09.2006	148—148
45.	डॉ० रामदयाल मुण्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक	20.09.2006	149—150

Price Rs. 100

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 12.01.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या–26

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
5.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
6.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
7.	प्रो० के० के० मिश्र	– आमांत्रि सदस्य
8.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	पर्वू निर्णयानुसार परिषद् द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट 2006 वार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया जाय– 1. दिनांक 24.02.2006 को द्वितीय पाली में इतिहास के जगह 'मनोविज्ञान' रखा जाय। 2. दिनांक 02.03.2006 से 'बॉयलॉजी' (जीव विज्ञान) को हटाकर दिनांक 06.03.2006 को द्वितीय पाली में रखा जाय। 3. दिनांक 03.03.2006 को 'मनोविज्ञान' के जगह द्वितीय पाली में 'इतिहास' रखा जाय।
2.	पूर्व निर्णयानुसार परिषद् द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट 2006 वार्षिक परीक्षा केन्दों को अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया जाय– 1. माध्यमिक परीक्षा –पूर्वी सिंहभूम (i) 5144 – एन० डी० रूगटा बालिका हाई स्कूल, चाकुलिया केन्द्र से हाई स्कूल, बैकरी के 41, छात्रों को बहरागोड़ा के सरस्वती विद्यामंदिर में रखा जाय। (ii) 5147 – सरस्वती शिशु विद्यामंदिर से आदिवासी उच्च विद्यालय, पुरनापानी के 64 छात्रों को हटाकर

केन्द्र 5142 – के० एन० जे० हाई स्कूल, चाकुलिया केन्द्र से संबद्ध किया जाय।

2. **इंटरमीडिएट परीक्षा**

(i) **जिला – गोड्डा**

नया केन्द्र क्र० 05 – वीर कुँवर सिंह कॉलेज, गोड्डा बनाया जाय और क्रमांक 03 (+2 हाई स्कूल, गोड्डा) से गोड्डा कॉलेज के 312 विज्ञान के छात्रों को हटाकर क्रमांक 05 में रखा जाय।

(ii) **जिला – पलामू**

नया केन्द्र क्रमांक 09 आर० के० जे० बी० हाई– स्कूल, रेहला यहाँ पर संत तुलसी दास कॉलेज, रेहला के कला के 125 छात्र एवं वाणिज्य के 03 छात्र (कुल 128) का केन्द्र रखा जाय और केन्द्र क्रमांक 04 से इन्हें हटा दिया जाय

3. निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये–

(i) इंटरमीडिएट में परीक्षक से प्रतिदिन 30 (तीस) उत्तर–पुस्तिका की जाँच करायी जाय।

(ii) सभी परीक्षाओं के लिए विक्षकों को पूर्व निर्धारित दर ही रखा जाय।

अत में अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से दिनांक 19.01.2006 को नामकुम स्थित नया परिसर में भूमि–पूजन समारोह में भाग लेने का आग्रह किया और तत्पश्चात धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

अनुमोदित।

ह / –	ह / –
(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,	झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची	राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 18.01.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
5.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
6.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
7.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
8.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव

क्र० सं०	**कार्यसूची**	**निर्णय**
1	परिषद् की दिनांक 03.01.2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित संशोधनों के साथ इसे संपुष्ट किया जाय– 1. क्रमां० 03 – परीक्षा समिति की दिनांक 07.12.2005 की कार्यवाही के उप क्रमांक 01– बोकारो निम्न रूप में पढ़ा जाय। "क्रमांक 03 बी० एस० एल० +2 हाईस्कूल सेक्टर, 03–E, बोकारो में कॉलेज कोड संख्या 9656 – एस०एल० आर्या कॉलेज, तुपकाडीह जोड़ा जाय और क्रमांक 07 से हटाया जाय। 2. कॉलेज कोड नं० 9636 – बी० एस०एल० +2 हाईस्कूल, सेक्टर 02–D बोकारो को कॉलेज क्रमांक 03 से हटाकर क्रमांक 07 बी०एस० सीटी कॉलेज, बोकारो में जोड़ा जाय। 3. कार्यवाही संख्या 07 में "उपायुक्त, पलामू" के जगह "उपायुक्त, लातेहार पढ़ा जाय।
2.	भवन निर्माण समिति की दिनांक 04.01.2006 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
3.	परीक्षा समिति की दिनांक 12. 01.2006 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय। इसी संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय भी लिए गये:– 1. इंटरमीडिएट – राँची जिला 9161 – रविन्द्र नाथ टैगोर इंटर महाविद्यालय,

		हटिया, राँची का परीक्षा केन्द्र क्रमांक 09 – गोस्नर कॉलेज, राँची से हटाकर क्रमांक 05 डोरांडा कॉलेज, राँची में रखा जाय। 2. माध्यमिक – **पलामू जिला** (क) एस०एस०बी०एस० हाई स्कूल, नामूदाग को केन्द्र संख्या 3128– सी०एस० दुबे इंटर कॉलेज, राजहरा से हटाकर केन्द्र 3102 राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर में रखा जाय। (ख) पी० धनमानी हाई स्कूल, पीपरा बरगदा को केन्द्र संख्या 3128–सी०एस० दुबे इंटर कॉलेज, राजहरा से हटाकर केन्द्र संख्या 3101 राजकीय उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), मेदिनीनगर में रखा जाय।
4	माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट 2006 से परीक्षकों को प्रति उत्तर–पुस्तिका के पारिश्रमिक (Remuneration) में एक रुपया की वृद्धि के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
5	तदर्थ कर्मचारियेां को, जिनकी सेवा 10 वर्षो की हो गयी है, उन्हें अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश का लाभ एवं सेवा पुस्तिका बनाने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
6.	संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों, जिनका वेतन पुनरीक्षण नही हुआ है, को 500 रु० से 1000 रु० तक माहवारी वृद्धि के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित चार पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2006 से 750 रु० मात्र प्रतिमाह के दर से देय राशि में वृद्धि की जायः–

क्र०	नाम	वर्त्तमान राशि	संशेधित राशि
1	श्री ई० बाड़ा	8,500/–	9,250/–
2	डॉ०के०एन० गोप	10,000/–	10,750/–
3	श्री जे०एन० चौधरी	8,000/–	8,750/–
4	डॉ० जी० डी० गिरी	9,000/–	9,750/–

7.	निम्नांकित इंटर महाविद्यालयों की स्थाना अनुज्ञा पर विचार – (क) सिस्टर निवेदिता महिला इंटर कॉलेज, चक्रधरपुर, प० सिंहभूम– तीनों संकाय में। (ख) संत जेवियर्स इंटर कॉलेज, लुपुंगहुटु, चाईबासा तीनों संकायों में।	निर्ण लिया गया कि विशेष परिस्थिति में सत्र 2005–2007 के लिए इन महाविद्यालयों को इस शर्त्त के साथ स्थापना अनुज्ञा दी जाय कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तो को पूरा कर लें।

	(ग) आइडियल इंटर कॉलेज, जमशेदपुर– विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में (घ) लापुंग इंटर महाविद्यालय लापुंग, राँची (कला एवं वाणिज्य)। (ङ) झारखण्ड इंटर कॉलेज, होसिर, गिद्धी 'सी' हजारीबाग– कला एवं वाणिज्य	
8.	निम्नांकित महाविद्यालयों में सत्र 2005–2007 के लिए सीट वृद्धि पर विचारः– (क) इंटरमीडिएट सिल्ली कॉलेज, सिल्ली, राँची – कला संकाय में एक सेक्शन अर्थात् 128 सीट। (ख) जे० एम० कॉलेज, भुरकुण्डा – कला में एक सेक्शन –128 सीट। (ग) रामगढ़ इंटर महिला महाविद्यालय, रामगढ़ – कला में 128 सीट।	निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थिति में इन महाविद्यालयों में यथा अनुशंसित सीट वृद्धि किया जाय।
9.	इंदिरा गाँधी श्रमिक इंटर महाविद्यालय, माण्डु, हजारीबाग – कला संकाय में एक सेक्शन 128 सीट वृद्धि तथा खोरठा एवं गृह विज्ञान की पढ़ाई की अनुमति पर विचार।	निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थिति में महाविद्यालय में सत्र 2005–07 के लिए कला में 128 सीट की वृद्धि की जाय तथा खोरठा एवं गृह विज्ञान की पढ़ाई की अनुमति दी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि क्रमांक 7,8 एवं 9 में लिया गया निर्णय कोई पूर्वोदाहरण नहीं होगा।

10. परीक्षा समिति की अगली बैठक दिनांक 04.02.2006 का बुलाई जाय।

सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद बैठक की समाप्ति की गयी।

अनुमोदित।

ह/–
(श्री चंद्रकांत त्रिपाठी)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची की दिनांक 18.01.2006 की बैठक की कार्यवाही

<u>बैठक–संख्या – 26</u>

<u>उपस्थिति</u>

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 दुखा भगत	–	सदस्य
3.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
4.	प्रो0 आर0बी0 सिंह	–	सदस्य
5.	प्रो0 ताराकांत शुक्ल	–	सदस्य
6.	प्रो0 एम0एस0 खाँ	–	सदस्य
7.	श्री फूल सिंह	–	सदस्य
8.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव

क्रमांक	**कार्यसूची**	**निर्णय**
1	परिषद की दिनांक 03.01.2006 की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित संशोधनों के साथ इसे सम्पुष्ट किया जाय – (1) क्रमांक 03 – परीक्षा समिति की दिनांक 07.12.2005 की कार्यवाही के उप क्रमांक 01– बोकारो निम्न रूप में पढ़ा जाय – ''क्रमांक 03 बी0एस0एल0 +2 हाईस्कूल सेक्टर, 03–E, बोकारो में कॉलेज कोड संख्या 9656 – एस0एल0 आर्या कॉलेज, तुपकाडीह जोड़ा जाय और क्रमांक 07 से हटाया जाय। (2) कॉलेज कोड न0 9636 – बी0एस0एल0 +2 हाईस्कूल, सेक्टर 02–क बोकारो को कॉलेज क्रमांक 03 से हटाकर क्रमांक 07 बी0एस0 सीटी कॉलेज, बोकारो में जोड़ा जाय।

		(3) कार्यवाही संख्या 07 में ''उपायुक्त पलामू'' के जगह ''उपायुक्त लातेहार'' पढ़ा जाय।
2.	भवन निर्माण समिति की दिनांक 04.01.2006 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
3.	परीक्षा समिति की दिनांक 12.01.06 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय। इसी संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय भी लिए गये :– 1. इंटरमीडिएट–राँची जिला–9161– रविन्द्र नाथ टैगोर इंटर महाविद्यालय, हटिया, राँची का परीक्षा केन्द्र क्रमांक 09– गोस्नर कॉलेज, राँची से हटाकर क्रमांक 05– डोरंडा कॉलेज, राँची में रखा जाय। 2. माध्यमिक – पलामू जिला – (क) एस0एस0बी0एस0हाईस्कूल, नामूदाग को केन्द्र संख्या 3128– सी0एस0 दुबे इंटर कॉलेज, राजहरा से हटाकर केन्द्र 3102 राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर में रखा जाय। (ख) पी0 धनमानी हाईस्कूल, पीपरा बरदाग को केन्द्र संख्या 3128–सी0एस0 दुबे इंटर कॉलेज राजहरा से हटाकर केन्द्र संख्या 3101 राजकीय उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), मेदिनीनगर में रखा जाय।
4.	माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट 2006 से परीक्षकों को प्रति उत्तर–पुस्तिका के पारिश्रमिक (Remuneration) में एक रूपया की वृद्धि के सम्बन्ध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
5.	तदर्थ कर्मचारियों को, जिनकी सेवा 10 वर्षो की हो गयी है, उन्हें अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश का लाभ एवं सेवा पुस्तिका बनाने के सम्बन्ध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।

6	संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों, जिनका वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, को 500 रू0 से 1000 रू0 तक माहवारी वृद्धि के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित चार पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2006 से 750 रू0 मात्र प्रतिमाह के दर से देय राशि में वृद्धि की जाय :– क्रमांक नाम वर्त्तमान राशि संशोधित राशि 1. श्री ई0 बाड़ा 8,500 /– 9,250 /– 2. डॉ0 के0एन0 गोप 10,000 / 10,750 /– 3. श्री जे0एन0 चौधरी 8,000 / 8,750 /– 4. डॉ0 जी0डी0 गिरी 9,000 /– 9,750 /–
7.	निम्नांकित इन्टर महाविद्यालयों की स्थापना अनुज्ञा पर विचार – (क) सिस्टर निवेदिता महिला इन्टर कॉलेज, चक्रधरपुर, प0 सिंहभूम–तीनो संकायों में। (ख) संत जेवियर्स इन्टर कॉलेज, लुपुंगहुटु, चाईबासा – तीनों संकायों में। (ग) आइडियल इन्टर कॉलेज, जमशेदपुर – विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में। (घ) लापुंग इन्टर महाविद्यालय लापुंग, राँची (कला एवं वाणिज्य)। (ङ०) झारखण्ड इन्टर कॉलेज होसिर, गिद्धी 'सी' हजारीबाग – कला एवं वाणिज्य।	निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थिति में सत्र 2005–07 के लिए इन महाविद्यालयों को इस शर्त्त के साथ स्थापना अनुज्ञा दी जाय कि वे एक वर्ष के अन्दर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तो को पूरा कर लें।
8.	निम्नांकित महाविद्यालयों में सत्र 2005–07 के लिए सीट वृद्धि पर विचार :– (क) इन्टरमीडिएट सिल्ली कॉलेज, सिल्ली, राँची – कला संकाय में एक सेक्शन अर्थात् 128 सीट।	निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थिति में इन महाविद्यालयों में यथा अनुशंसित सीट वृद्धि किया जाय।

	(ख) जे0 एम0 कॉलेज, भुरकुण्डा – कला में एक सेक्शन–128 सीट। (ग) रामगढ़ इन्टर महिला महाविद्यालय, रामगढ़ – कला में 128 सीट।	
9.	इन्दिरा गाँधी श्रमिक इन्टर महाविद्यालय, माण्डु, हजारीबाग – कला संकाय में एक सेक्शन 128 सीट वृद्धि तथा खोरठा एवं गृह विज्ञान की पढ़ाई की अनुमति पर विचार।	निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थिति में महाविद्यालय में सत्र 2005–07 के लिए कला में 128 सीट की वृद्धि की जाय तथा खोरठा एवं गृह विज्ञान की पढ़ाई की अनुमति दी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि क्रमांक 7,8 एवं 9 में लिया गया निर्णय कोई पूर्वोदाहरण नहीं होगा।

10. परीक्षा समिति की अगली बैठक दिनांक 04.02.2006 का बुलाई जाय।

सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद बैठक की समाप्ति की गयी।

अनुमोदित।

ह/–
(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)
सचिव

ह/–
(श्री शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष

Minutes of the meeting of the Building Committee held on 04-01-2006 at 11.30 a.m. in the Council office.

Members present

1.	Dr. S. Yadav	- Chairman
2.	Prof. R.B. Singh	- Member
3.	Prof. Dukha Bhagat	- Member
4.	Prof. K.K. Mishra	- Member
5.	Sri B.K. Virnaue	- Expert
6.	Sri M.D. Vernave	- Architect
7.	Sri C.K. Tripathi	- Secretary
8.	Smt. Abha Kusum Tirkey	- O.S.D
9.	Dr. K.N. Gope	- Spl. Officer

1. The Minutes of meeting held on 19.09.2005 were confirmed.
2. The representative of M/S Design Team made a presentation of the plans prepared by them. It was discussed in detail.
3. The committee approved the plans prepared by M/S Design Team.
4. The Architect was directed to prepare detailed estimate and Tender documents for the main building, Chairman's Bungalow, Auditorium and Guest House.
5. It was decided that only one tender may be invited for the whole work including water supply, sanitation, electrical installation, lifts etc.
6. Only contractors who have done building work of more than Rs. 5 crores will be eligible to give their tender.
7. Technical Sanction will be accorded by Building Committee after which the Jharkhand Academic Council will accorded Administrative approval.
8. Detailed estimate and tender documents will be prepared by the Architect by the 4th February 06. Tender will be received by the 20th February 06.
9. The Committee approved the revised estimate for Approach Road repair amounting to Rs. 3.25 laks in place of Rs. 3.00 lacs.
10. The Committee appointed Shri B.K. Verma as consulting Engineer for the building project the Terms and conditions will be decided late on.

Approved

(C.K. Tripathi)
Secretary
Jharkhand Academic
Council, Ranchi

(S.Yadav)
Chairman
Jharkhand Academic
Council, Ranchi

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

आज दिनांक 10.01.2006 को डॉ० अनुज कुमार धान की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में झारखण्ड की संस्कृत, लोक कथा, महापुरूषों की जीवनी, आदि सम्मिलित करने हेतु गठित विशेषज्ञों की समिति की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः—

उपस्थिति

1.	डॉ० अनुज कुमार धान	— अध्यक्ष
2.	श्री शालिग्राम यादव	— परिषद् अध्यक्ष
3.	डॉ० राम दयाल मुण्डा	— सदस्य
4.	डॉ० श्रीमती इंदुधान	— सदस्य
5.	डॉ० (श्रीमती) मंजु ज्योत्सना	— सदस्य
6.	श्री एस० के शर्मा, प्राथमिक शिक्षक निदेशक	— सदस्य
7.	श्री अशोक कुमार शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची	— सदस्य
8.	प्रो० इंद्रजीत उराँव	— सदस्य
9.	श्री चंद्रकांत त्रिपाठी	— सचिव
10	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	— विशेष कार्य पदाधिकारी

1. समिति दिनांक 27.08.2005 की बैठक को संपुष्ट किया गया।
2. डॉ० मंजु ज्योत्यसना द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पर्व त्योहार एवं लोक—कला विषयों पर सामग्री उपलब्ध नहीं हो सका है। अतः पर्व त्योहार विषय के लिए डॉ० मंजु ज्योत्सना एवं लोक कला के लिए डॉ० रामदयाल मुण्डा को अधिकृत किया गया कि अन्य विशेषज्ञों के सहयोग से संबंधित विषयों एवं अन्य विषयों में सामग्री उपलब्ध करायें।
3. समिति की अगली बैठक दिनांक 10.02.2006 को 11 बजे प्रातः बुलाई जाय जिसमें सदस्यों से अनुरोध किया किया जाय कि उपलब्ध पुस्तकों को भी साथ लावें।
4. निम्नलिखित विषय विशेषज्ञों का भी एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 11—12 फरवरी, 2006 को 11 बजे प्रातः किया जायः—

1.	डॉ० गिरीधारी लाल गंझू	
2.	डॉ० रोज केरकेट्टा	
3.	डॉ० बी० पी० केशरी	
4.	श्रीमती बासन्ती कुजूर	
5.	डॉ० श्रीमती सेलेस्टीका कुजूर	पूर्व निर्णयानुसार जिला
6	श्री बाबू लाल मुर्मू	शिक्षा पदाधिकारी, राँची

7 प्रो० इंद्रजीत उराँव — द्वारा नामित विषय शिक्षक

8 श्री रंजीत मोहन

9 श्री सलिल कर्ण कुण्डु

10 श्री अशोक कुमार

11 डॉ० निखिल चन्द्र दास

12 डॉ0 दिलेश्वर प्रसाद

13 श्री गोबर्धन कुमार अधिकारी

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक स्थगित की गई।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
विशेष कार्य पदाधिकारी,	सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 04.02.2006 की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
3.	प्रो0 आर0बी0 सिंह	–	सदस्य
4.	प्रो0 ताराकांत शुक्ल	–	सदस्य
5.	प्रो0 एम0एस0 खाँ	–	सदस्य
6.	श्री फूल सिंह	–	सदस्य
7.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव

क्र०	कार्यसूची	निर्णय
1.	इन्टरमीडिएट (नवीन) एवं माध्यमिक परीक्ष 2006 के केन्द्र परिर्वत्तन के संबंध में प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों पर विचार।	1. निर्णय लिया गया कि इन्टरमीडिएट परीक्षा के कुछ जिलों के कुछ केन्द्रों का परिवर्त्तन का प्रस्ताव निम्न रूप में रखा गया जिसे अनुमोदित किया गया :– (1) राँची – जे0एन0 कॉलेज, धुर्वा केन्द्र को समाप्त किया गया। जे0 एन0 कॉलेज, धुर्वा केन्द्र पर सम्बद्ध महाविद्यालयों को वाई0एस0 कॉलेज केन्द्र पर सम्बद्ध किया गया। वाई0एस0 कॉलेज केन्द्र पर पूर्व में सम्बद्ध महाविद्यालयों को मारवाड़ी कॉलेज, राँची केन्द्र पर सम्बद्ध किया गया। (2) सरायकेला– आदिवासी +2 उच्च विद्यालय, बांगुरदा को चाँडिल से परिवर्त्तन कर प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, पटामदा केन्द्र पर सम्बद्ध किया गया। (3) हजारीबाग – राजकीयकृत उच्च विद्यालय कोयरी टोला रामगढ़ से आई0 जी0 एस0 आई0 कॉलेज, माण्डु को परिर्वत्तित कर

राजकीय बालिका उच्च विद्यालय रामगढ़ तथा महिला महाविद्यालय रामगढ़ एवं चितरपुर महाविद्यालय चितरपुर के केवल कला संकाय के परीक्षार्थियों को राजकीयकृत उच्च विद्यालय, कोयरी टोला, रामगढ़ केन्द्र पर सम्बद्ध किया गया।

2. धनबाद :–

निम्न रूप में केन्द्र परिवर्त्तन किया जाय:–

(1) एस0एस0एल0एन0टी0 महिला महाविद्यालय, धनबाद केन्द्र को बदलकर इससे संबंधित कॉलेज कोड निम्न रूप में रखा जाय :–

(क) नया केन्द्र आई0एस0एल0आई0एसएम0 धनबाद

कोड	**कॉलेज**	**कला**	**विज्ञान**	**वाणिज्य**
9605	आर0एस0मोर कॉलेज	–	–	186
9611	एस0एस0एल0एन0टी0 +2 बालिका उ0वि0	122	16	12
9615	बी0एस0एस0 महिला महाविद्यालय	347	26	41
		469	42	239
				= 750

(2) केन्द्र – आई0एस0एल0, झरिया

कोड	**कॉलेज**	**कला**	**विज्ञान**	**वाणिज्य**
9602	आर0एस0पी0 कॉलेज, झरिया	–	415	–
9603	सिन्द्री कॉलेज	–	131	–
9657	एन0बी0एम0 कॉलेज, सिन्द्री	10	9	1
9623	कोलफिल्ड कॉलेज, भागा	38	23	17
		48	578	18
				= 644

3. जिला– पलामू

		बलवंत सिंह नामधारी कॉलेज, सतबरवा का पूर्व के परीक्षा केन्द्र बदलकर नया केन्द्र ''सर्वोदय उच्च विद्यालय, सतबरवा'' बनाकर संबद्ध किया जाय।
		4. जिला– लोहरदगा बी0एस0 कॉलेज, लोहरदगा के स्थान पर एम0एल0ए0 महिला महाविद्यालय, लोहरदगा केन्द्र बनाया जाय।
		5. माध्यमिक – जिला धनबाद श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट महिला महाविद्यालय, धनबाद ब्लॉक बी0 के स्थान पर कीड्स गार्डेन, झरिया को केन्द्र रखा जाय।
		6. माध्यमिक – जिला गढ़वा 3206 नामधारी कॉलेज, गढ़वा केन्द्र से निम्न लिखित विद्यालयों को हटाकर नया केन्द्र ''ज्ञान निकेतन कन्वेंट स्कूल,'' गढ़वा से संबद्ध किया जाय :– 1. R.K. H/S Gardaha – 264 2. R.K. Sahdeo H/S Kharoandha - 62 3. Resi. H/S Chinia - 143 469
2.	इंटरमीडिएट 2006 वार्षिक परीक्षा के लिए जिलावार प्रायोगिक विषयों में बाह्य परीक्षकों का पैनल बनाने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि जिलावार, विषयवार (विज्ञान) बाह्य परीक्षकों का पैनल का प्रस्ताव तैयार किया जाय जिसमें कॉलेज का नाम, विषयवार परीक्षार्थियों की संख्या तथा बाह्य परीक्षकों का नाम दर्शाया जाय। परीक्षा समिति की अगली बैठक दिनांक 15.2.06 को बुलाई जाय जिसमें बाह्य परीक्षकों की तैयार सूची की समीक्षा की जायेगी।
3.	इंटरमीडिएट विज्ञान एवं वाणिज्य द्वितीय वर्ष 2006 के	निम्न लिखित निर्णय लिये गये :– 1. प्रश्न पत्र प्रारूप (उत्तर सहित) के विक्रय पर

अंग्रेजी केन्द्रिक (English Core) के प्रश्न पत्र प्रारूप उत्तर सहित में विभिन्न अषुद्धियों पर विचार।	तत्काल रोक लगाई जाय। 2. परीक्षार्थी प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। 3. अंग्रेजी के विशेषज्ञों की एक समिति से राय ली जाय। 4. समिति द्वारा गुण–दोषों की समीक्षा के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय लिया जाय। 5. भविष्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि ऐसे प्रकाशन त्रुटिरहित हों।

अनुमोदित।

ह/–	ह/–
(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)	(श्री शालिग्राम यादव)
सचिव	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 01.12.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 10.2.2006 को डॉ० अनुज कुमार धान की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में झारखण्ड की संस्कृति, लोक–कथा, महापुरूषों की जीवनी आदि सम्मिलित करने हेतु गठित विशेषज्ञों की समिति की बैठक हुई जिसमें निम्मलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

उपस्थिति

1.	डॉ० अनुज कुमार धान	– अध्यक्ष
2.	श्री शालिग्राम यादव	– परिषद् अध्यक्ष
3.	प्रो० आर० पी० साहु	– सदस्य
4.	डॉ० (श्रीमती) मंजु ज्योत्सना	– सदस्य
5.	प्रो० मिसिर उराँव उप निदेशक (प्राथमिक शिक्षक)	– सदस्य
6.	श्री अशोक कुमार शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची	– सदस्य
7.	डॉ० शांति खलखो	– सदस्य
8.	श्री चंद्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
9	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

1. समिति दिनांक 10.01.2006 की बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट किया गया।
2. डॉ० प्रदीप प्रभात, महासचिव, अखिल भारतीय अंगिका भाषा साहित्य कलामंच, झारखण्ड प्रदेष, गोड्डा से प्राप्त आवेदन, जो अंगिका भाषा के पुस्तकों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संबंधित पर विचार किया गया।

   निर्णय लिया गया कि चूंकि अंगिका भाषा की पढ़ाई नहीं होती है अतः प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाय।
3. श्री बबन बेदिया, करनीबाग, देवघर (झारखण्ड) से प्राप्त आवेदन, जिसमें उनके द्वारा लिखित कविता को झारखण्ड की संस्कृति लोक–कथाओं में शामिल करने के संबंध में है, पर विचार किया जाय।

   निर्णय लिया गया कि चूंकि इन कविताओं की कोई उपयोगिता नहीं है अतः इसे अस्वीकार किया जाय।
4. एन० सी० इ० आर० टी० के पुस्तकों के अनुरूप दैनिक लोक–कथा के आलोक में झारखण्ड की लोककथाओं का चयन किया जाय।

   यह भी निर्णय लिया गया कि कौन सी लोककथा किस कक्षा के लिए उपयोगी होगा, इस मुद्दे पर दिनांक 11.02.2006 की बैठक (कार्यशाला) में निर्णय

लिया जाय। कार्यशाला में आज की बैठक में उपस्थित सदस्यों/विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाय। इसके साथ ही जितनी सामग्री तैयार है, उसका अंतिम रूप कल की बैठक में तय किया जाय।

5. लोक–नृत्य एवं वाद्य–कला के पांण्डुतलिपि (Manuscripts) तैयार करने के लिए प्रो० मिसिर उराँव एवं प्रो० शांति खलखो को अधिकृत किया गया।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीचन्द्रकांत त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)	(श्री अनुज कुमार धान)
सचिव,	परिषद् अध्यक्ष,	अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रॉंची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रॉंची	

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

आज दिनांक 11.02.2006 को अनुज कुमार धान की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्र में झारखण्ड की संस्कृति, लोक–कथा, महापुरूषों की जीवनी, आदि सम्मिलित करने हेतु गठित विशेषज्ञों का एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए:–

उपस्थिति

1.	डॉ० अनुज कुमार धान	– अध्यक्ष
2.	श्री शालिग्राम यादव	– परिषद् अध्यक्ष
3.	प्रो० आर० पी० साहु	– सदस्य
4.	डॉ० (श्रीमती) मंजु ज्योत्सना	– सदस्य
5.	प्रो० मिसिर उराँव	– सदस्य
6.	डॉ० शांति खलखो	– सदस्य
7.	श्री सलिल बरण कुण्डू	– सदस्य
8.	श्री निरिबल चन्द्र दास	– सदस्य
9.	श्री गोवर्धन अधिकारी	– सदस्य
10.	श्री रंजीत मोहन	– सदस्य
11.	श्री अशोक कुमार	– सदस्य
12.	डॉ० दिलेश्वर प्रसाद	– सदस्य
13.	श्री चंद्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
14	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी
15	श्री यू० मिंज	– सहायक सचिव

1. झारखण्ड की लोक कथाएँ

डॉ0 मंजु ज्योत्सना द्वारा प्रस्तुत सोलह कथाओं का चयन किया गया जिसमें वर्गवार निम्न रूप में विभाजित किया गया:–

(क)	वर्ग III में पाँच कथाएँ	–	रात और दिन, दो अंडे, दोस्ती, टिपटिपा, ढेकी कहानी
(ख)	वर्ग IV में पाँच कथाएँ	–	झारखण्ड की नदियाँ, चड़ैया की वीरता, मगर दायाद, हेरो पर्व, सोहराई पर्व
(ग)	वर्ग V में छः कथाएँ	–	भुईया, हेम्बो, सात बेटे, याकीबा की कहानी, धरती माता की बेटी, मुड़मा जतरा

2. झारखण्ड की विभूतियाँ

डॉ० मंजु ज्योत्सना द्वारा अनुवादित इक्कीस विभूतियों का चयन किया गया जिसे वर्गवार निम्न रूप में विभाजित किया गया:–

(क) वर्ग III में तीन विभूतियाँ – दुर्जन साल, बुधु भगत, सिद्ध–कान्हू।

(ख)	वर्ग IV में तीन विभूतियाँ	–	गया मुण्डा, जतरा भगत, अलर्बट एक्का
(ग)	वर्ग V में तीन विभूतियाँ	–	शेख भिखारी, निलाम्बर–पिताम्बर, राजा अर्जुन सिंह
(घ)	वर्ग VI में चार विभूतियाँ	–	टिकैत उरांव सिंह, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, कार्त्तिक उराँव
(ङ)	वर्ग VII में चार विभूतियाँ	–	फणिमुकुट राय, मेदिनी राय, पाण्डे गणपत राय, सिनगी दई
(च)	वर्ग VIII में चार विभूतियाँ	–	तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, जुएल लकड़ा

कर्तिक उरांव, सिंगनी दई एवं जुएल लकड़ा की पाण्डुलिपि तैयार करने हेतु डॉ० मंजु ज्योत्सना एवं डॉ० शांति खलखो को अधिकृत किया गया।

3. झारखण्ड के पर्व त्योहार

डॉ० मिसिर उरांव एवं डॉ मंजु ज्योत्सना द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित टिप्पणी को सैद्धांतिक रूप में स्वीकृत किया गया और पाण्डुलिपि तैयार करने हेतु उन्हें अधिकृत किया गयाः–

झारखण्ड के पर्व और त्योहारों का संबंध प्रकृति से है। खेत, खलिहान, जंगल और उसके वृक्ष, खेती में काम आनेवाले पशु, अनाज और परिवार के बुजुर्ग यहाँ के पर्व त्योहारों के आधार हैं। इन पर्व एवं त्योहारों में खुशी, आपसी भाईचारा, सुख की कामना तथा एकता की भावना दिखलाई पड़ती है। इनसे समाज की पुरानी परम्पराएँ तथा रीतिरिवाजों की रक्षा भी होती है।

झारखण्ड में विभिन्न क्षेत्रों में पर्व–त्योहार मनाने के अपने–अपने तरीके हैं। उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संथाल, पंचपरगनिया, खोरठा और सदान – ये सभी इन त्योहारों को मनाते हैं लेकिन विधि विधानों में कुछ अंतर आ जाता है। कुछ त्योहारों के मनाने का निश्चित दिन भी नहीं है। सुवधिा के अनुसार ग्राम–सभा में तय किये गये दिन में ये त्योहार मनाये जा सकते हैं। अपनी अपनी भाषा में इन त्योहारों के नाम भी बदल जाते हैं लेकिन मूल त्योहार एक ही होता है। त्योहार मनाने के तरीके अलग अलग हैं और उनके गीत और नृत्य भी अलग है।

झारखण्ड के पर्व–त्योहारों में आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती है। इन त्योहरों का संबंध ऋतु से है और चाँद देखकर पर्व–त्योहारों की तिथि निश्चित की जाती है। फसल बोने से लेकर फसल काटने और अनाज घर लाने तक की क्रिया में इन पर्व–त्योहारों का विशेष महत्त्व है। प्राचीन काल में आदिवासियों का जीवन जंगल में बीता। उन दिनों में जंगली पशुओं का शिकार करके भी भोजन प्राप्त होता था। उसकी याद में अब भी कुछ पर्व मनाये जाते हैं। कुछ पर्वों में ऐतिहासिक तत्व भी आ गये हैं।

झारखण्ड के मुख्य पर्व और त्योहार हैंः–

1. करम
2. सरहुल
3. फगुवा
4. तुसगो गुम्हापुनी
5. तुसगो
6. सोहराई
7. सोहराई या वन्दना
8. माधे और टुसु
9. मंडा

करम

झारखण्ड में दस करम पर्व हैं– चालीकरम, रियाकरम, कोन्हाकरम, पच्चो करम, दसई करम, जीतिया करम, राजी करम, ईद करम, बम्बा करम, बूढ़ीकरम। इनमें राजीकरम मुख्य करम पर्व है।

पर्व त्योहार को वर्गवार निम्न रूप में विभाजित किया गयाः–

(क). वर्ग III – मंडा
(ख) वर्ग IV – करमा
(ग) वर्ग V – सोहराई या वन्दना तथा जीतिया करम
(घ) वर्ग VI – माधे और टुसु, तुसगो
(ङ) वर्ग VII – फगुवा एवं सोहराई
(च) वर्ग VIII – गुम्हापुनी, सरहुल

4. झारखण्ड के लोक नृत्य, लोक गति एवं वाद्य यंत्र

डॉ० मिसिर उरांव एवं डॉ० शांति खलखो द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित टिप्पणी को स्वीकृत किया गया तथा पाण्डुलिपि तैयार करने हेतु उन्हें अधिकृत किया गयाः–

झारखण्ड के लोक नृत्य, लोक गीत एवं वाद्य यंत्र

झारखण्ड – एक परिचय
नृत्य गीत के प्रकार
नृत्य–गीत का समय / मौसम
वाद्य यंत्रों का परिचय
नृत्य–गी के साथ वाद्य यंत्रों का प्रयोग

लोक नृत्य, लोक गीत एवं वाद्य यंत्र को वर्गवार निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गयाः–

(क). वर्ग III – एक नृत्य– डमकच
(ख) वर्ग IV – दो नृत्य – इंद जतरा, झुमर (मरदाना–जनाना)

(ग) वर्ग V – दो नृत्य – आसारी करम, दसई जतरा

(घ) वर्ग VI – दो नृत्य – अगनई, जेठ जतरा

(ङ) वर्ग VII – दो नृत्य – धुमरी जदुरा, सरहुल

(च) वर्ग VIII – तीन नृत्य – छऊ, पइका, सोहराई जतरा

5. झारखण्ड की संस्कृति के वर्गवार पाण्डुलिपि तैयार करने हेतु प्रो० आर० पी० साहु को भी अधिकृत किया गया।

6. आज की कार्यशाल में उपस्थित सदस्यों की अगली बैठक बुलाई जाय जिसमें शेष मुद्दों पर निर्णय लिया जायेगा।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्री चंद्रकांत त्रिपाठी)	(श्री शालिग्राम यादव)	(श्री अनुज कुमार धान)
सचिव,	परिषद् अध्यक्ष	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,	झारखण्ड अधिविद्य परिषद,	
राँची	राँची	

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 15.02.2006 की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
3.	प्रो0 आर0 बी0 सिंह	–	सदस्य
4.	प्रो0 ताराकांत शुक्ल	–	सदस्य
5.	प्रो0 एम0 एस0 खाँ	–	सदस्य
6.	श्री फूल सिंह	–	सदस्य
7.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव
8.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–	विशेष कार्य पदाधिकारी

क्रमांक	**कार्य सूची**	**निर्णय**
01.	परीक्षा समिति की दिनांक 04. 02.2006 की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ सम्पुष्ट किया जायः– 1. मद क्रमांक 03 के निर्णय अंष 01 निम्न रूप में पढ़ा जायः– ''1. अंगेजी केन्द्रिक (English Core) के प्रश्न पत्र प्रारूप (उत्तर सहित) विक्रय पर तत्काल रोक लगायी जाय।''
02.	वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2006 के लिए प्रस्तावित मूल्यांकन केन्द्र पर विचार।	निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार 11 जिलों में कुल 20 मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाय। इसी संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये :– 1. दुमका के उपायुक्त से अनुशंसा प्राप्त की जाय। यदि उन्हें कोई आपत्ति हो तो पूर्व के केन्द्रो को ही निर्धारित किया जाय। 2. पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के उपायुक्त से, यद्यपि की अनुशंसा प्राप्त है, एक बार बात कर लिया जाय ताकि आगे कोई शिकायत नहीं हो।
03.	वर्ग IX परीक्षा के कार्यक्रम पर विचार।	निर्णय लिया गया कि वर्ग IX के परीक्षा के कार्यक्रम को निम्न रूप में अनुमोदित किया जाय :–

तिथि एवं दिन	प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से 01 बजे अपराह्न ''विषय''	द्वितीय पाली 02 बजे अपराह्न से 05 बजे अपराह्न ''विषय''
06.03.2006 (सोमवार)	वाणिज्य / संगीत / गृहविज्ञान	उर्दू / कुरमाली
07.03.2006 (मंगलवार)	हिन्दी 'ए' / 'बी'	उड़िया / हो / पंचपरगनिया
08.03.2006 (बुधवार)	अंग्रेजी	अरबी / संथाली / खोरठा / नागपुरी
09.03.2006 (गुरूवार)	समाजिक विज्ञान	बंगला / मुंडारी / खड़िया
10.03.2006 (शुक्रवार)	गणित	संस्कृत
11.03.2006 (शनिवार)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	फारसी / उराँव

04. वर्ग XI (इन्टरमीडिएट) परीक्षा के कार्यक्रम पर विचार। — निर्णय लिया गया कि इसे निम्न रूप में अनुमोदित किया जाय :–

	1st. Sitting	**2nd Sitting**
Date & Days	10.00 am. to 1.00 pm.	2.00 pm. to 5.00 pm.
22.03.2006 Wednesday	English Core (I.A., I.Sc., I.Com) Hindi Core B + Matribhasha (I.A., I.Sc., I.Com)	Geology - I.Sc. Home Science – I.A. Entrepreneurship - I. Com.
23.03.2006 Thursday	Physics - I.Sc. Accountancy - I.Com.	History - I.A.
24.03.2006 Friday	Chemistry - I.Sc. Business Study - I.Com.	Political Science - I.A.
25.03.2006 Saturday	Mathematics/Statistics (I.A., I.Sc., I.Com)	Economics (I.A., I.Sc., I.Com)
27.03.2006 Monday	Biology - I.Sc. Anthropology - I.A. Commercial Arithmatics - I. Com.	Philosophy - I.A. Computer Science (I.A., I.Sc., I.Com)
28.03.2006 Tuesday	Elective Languages for I.A. Additional Language for I.Sc., I.Com	Geography - I.A.
29.03.2006 Wednesday	Psychology - I.A.	Sociology - I.A.
30.03-2006 Thursday	Hindi Core A - (I.A., I.Sc., I.Com)	X

05. इन्टरमीडिएट प्रथम वर्ष के मूल्यांकन पद्धति पर विचार। — निर्णय लिया गया कि इस मामले में प्रधानाचार्यो की एक बैठक बुला कर निर्णय लिया जाय।

06. इन्टरमीडिएट वर्ग XII (2005–2007) की पढ़ाई अप्रील 2006 (सत्र 2006–2007) से — निर्णय लिया गया कि इन्टरमीडिएट वर्ग XII (2005–2007) की पढ़ाई वर्ग XI के परीक्षाफल प्रकाशन की प्रत्याशा में

	प्रारंभ करने के संबंध में विचार।	दिनांक 03.04.2006 से प्रारंभ की जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि जो छात्र वर्ग XI की परीक्षा में अनुत्तीण होते हैं उन्हें एक और मौका दिया जाय कि अपने को वर्ग XII के योग्य बनावें।
07.	इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2006 के प्रायोगिक विषयों के बाह्य परीक्षकों का जिलावार तालिका (Panel) के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इन्टर प्रायोगिक परीक्षा हेतु अंगीभूत से अंगीभूत, डिग्री से डिग्री तथा इन्टर से इन्टर महाविद्यालयों में बाह्य परीक्षक के रूप में शिक्षकों को नामित किया जाय। किसी भी हालत में एक जिला से दूसरे जिला में शिक्षक को नहीं भेजा जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इस निर्णय के आलोक में जिलावार एवं विषयवार शिक्षकों की तालिका तैयार की जाय और इसे परीक्षा समिति की अगली बैठक में रखी जाय।

अनुमोदित।

ह / –	ह / –
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(श्री शालिग्राम यादव)
सचिव	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 01.12.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
5.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
6.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
7.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
8.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी
9.	डॉ० काशीनाथ गोप	– विशेष पदा० (शैक्षणिक)
10.	डॉ0 सुनील कुमार	– विशेष पदा० (परीक्षा)

बैठक प्रारंभ होने पर अध्यक्ष द्वारा सदस्यों का अभिनंदन किया गया।

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	परीक्षा समिति की दिनांक 15.02. 2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नखिति संशोधनों के साथ संपुष्ट किया जायः– 1. वर्ग XI (इंटरमीडिएट) परीक्षा के संशोधित कार्य–क्रम को संपुष्ट किया जाय।

2 स्थानीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की दिनांक 01.03.2006 की बैठक की निम्नलिखित कार्यवाही पर विचारः—

A meeting of the Principals of local colleges was held in the Conference Room of the Marwari College on 01-03-2006 at 11 a.m. in which Principals/representatives of 19 Colleges participated. The following decisions were taken:-

1. Resolved unanimously that the grading system as envisaged and circulated by the Council be accepted from class XI Examination of 2006 (Enclosed)
2. Resolved that a sum of Rs. 40/- (forty) instead of Rs. 20/- (twenty) only be charged from each student at the time of admission from the academic session 2006-2007 for meeting the expenses relating to examinations of class XI.

The increase in fee will be applicable to all categories of colleges. This is, however, subject to the approval of the Council.

The Vice-Chancellor in case of constituent colleges or the Principal/G.B. in case of affilated/minority colleges be approached for release of funds for conducting class XI Examination of 2006.

3. Resolved that XII year classes be started from the month of April of the year without waiting for the results of class XI Examination.
4. Resolved further that **75% attendance at lectures delivered or practical work** in the subject performed in the laboratory and **appearance at the Class XI examination is a mandatory requirement for a student being allowed to take the Class XII Examination.**

Sd/-
(K.N. Gope)
Spl. Officer
(Academic)

Sd/- (S.Yadav)
Chairman

Purpose of Convening this Meeting

The C.B.S.E. desires that the present system of awarding numerical marks should be replaced by the grading system. We in the Jharkhand Academic Council have not yet introduced the grading system and we still continue to stick to the system of division on the basis of the marks obtained.

Recently the C.B.S.E. has taken a decision that even students who have failed at the XI Examination should be allowed to take the XII Examination: they are averse to holding several test examination in order to provide opportunities to the students to better their performance.

As an alternative measure, it is our loud thinking that the answer books of class XI Examination to be evaluated internally should be graded as follows:

A grade - 70% or more

B grade - 59% to 69%

C grade - 50% to 58%

D grade - 40% to 49%

E grade - 33% to 39%

F grade - less than 33%

Student who are categorized as grade 'F' should be warned to improve their performance.

It is hereby emphasised that attendance at lectures delivered should not be less that 75% in normal cases.

It should be our endeavour to impart knowledge to the inquisitive students not bothering much for their performance at class XI examination.

Your august view is solicited in this regard.

निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया जाय:—

1. संकल्प संख्या 03 को निम्न रूप में पढ़ा जाय:—

माध्यमिक वर्ग x (सत्र 2006—07) एवं इंटर वर्ग XII (सत्र 2005—07) की पढ़ाई क्रमशः 03.04.2006 एवं 10.04.2006 से प्रारंभ की जाय।

निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये:—

1. माध्यमिक परीक्षा के परीक्षा संचालन निर्देषिका के अनुच्छेद 18.3 को इंटर परीक्षा संचालन निर्देशिका के अनुच्छेद 18.3 के अनुरूप रखा जाय।
2. माध्यमिक परीक्षा संचालन निर्देषिका के अनुच्छेद 18.1 एवं 18.2 में क्रमशः' 18 रुपये और 16 रुपये रखा जाय।

3. इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष के रोल कोड 9728 रोल क्रमांक 10072 के स्क्रुटनी प्रतिवेदन पर विचार।	निर्णय लिया गया कि इसमें "कोई परिवर्त्तन नहीं (No Change)" माना जाय। परीक्षक को सावधान रहना चाहिए था, जो सादे पन्ने थे उन्हें रेखांकित कर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था। यह भी निर्णय लिया गया कि

सभी मूल्यांकन केन्द्रों को एक निर्देश निर्गत किया जाय कि जो सादे पन्ने बचे उन्हें रेखांकित कर परीक्षक द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाय।

4. इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2006 के प्रयोगिक विषयों के वाह्य परीक्षकों की जिलावार तालिका (Panel) के संबंध में विचार।

निर्णय लिया गया कि प्राचार्यों को अधिकृत किया जाय कि बाह्य परीक्षक तालिका (Panel) से परीक्षा का आयोजन निर्धारित अवधि में कराया जाय। यदि तालिका के मुताबिक वाह्य परीक्षक नही उपलब्ध हों तो प्राचार्य अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था कर प्रायोगिक परीक्षा समय सीमा के अंतर्गत करायें।

5. इंटरमीडिएट परीक्षा, 2006 के मूल्यांकन केन्द्रों के निर्धारण के संबंध में विचार।

निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित 21 मूल्यांकन केन्द्र बनाया जायः–

कला संकाय :– **12+1=13**

1. राँची महिला महाविद्यालय, राँच
2. गोस्नर कॉलेज, राँची
3. बेथेसदा महिला महाविद्यालय, राँची – सिर्फ क्षेत्रीय भाषाएँ
4. सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा
5. जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, जमशेदपुर
6. महिला महाविद्यालय, चाईबासा
7. योध सिह नामधारी महिला महाविद्यालय, डाल्टेनगंज
8. संत कोलम्बा कॉलेज, हजारीबाग
9. जे०जे० कॉलेज, झूमरीतिलैया
10. आर०के० महिला कॉलेज, गिरिडीह
11. आर० एस० पी० कॉलेज, झरिया
12.जामताड़ा महिला कॉलेज, जामताड़ा
13. गोड्डा कॉलेज, गोड्डा

विज्ञान संकाय :– 5

1. राँची कॉलेज, राँची
2. करीम सिटी कॉलेज, जमषेदुपर
3.मार्खम कॉलेज, हजारीबाग
4. पी०के०राय मेमो० कॉलेज, धनबाद
5. एस० पी० कॉलेज, दुमका

वाणिज्य संकायः–3

1. मारवाड़ी कॉलेज, राँची
2. टीन प्लेट युनियन महिला कॉलेज, जमशेदपुर
3. गुरूनानक कॉलेज, धनबाद

6. इंटरमीडिएट परीक्षा, 2006 (पुराना पाठ्यक्रम) के प्रकाशित निम्नरूप में परीक्षा कार्यक्रम को संपुष्ट किया गया–

Jharkhand Academic Council, Ranchi

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

Programme for Intermediate Arts, Science, Commerce Theory Examination-2006 (old Course)

विज्ञप्ति संख्या–21/06

Theory (सैद्धांतिक)

Date & Day	1st Sitting 10.00 a.m. to 1.00 p.m.		2nd Sitting 2.00 to 5.00 p.m.	
03.04.06 Monday	RBH, NRB+MB	I.Sc., I.Com., I.A.	Vocational	I.S.C., I.Com. I.A
04.04.06 Tuesday	Language & Literature (Comp.) I	I.Sc. I.Com. II.A.	Language& Literature (Comp.) II	II I.Sc., I.Com., I.A.
05.04.06 Wednesday	PhysicsI Book Keeping & Accountancy History I	II.Sc. I.Com II.A.	Physics II Business Method & Office Organisation History II	II I.Sc. I.Com. II. I.A.
08.04.06 Saturday	Mathematics I Rural Economics	I.A., I.S.c II.Com	Mathematics II Trade	I.A., I.Sc. II I.Com
10.04.06 Monday	Biology I (Botany) Commercial Arithmetic & Elementary Statistics Economics I	II.Sc. I.Com. II.A	BiologyII (Zoology) Commercial Coorrespondence Salesmanship & Market Report Economics II	II I.Sc. I.Com. II. I.A.
12.04.06 Wednesday	Geology I Business Mathematics Psychology I	II.Sc. I.Com II.A.	Geology II Secretarial Practice Psychology II	II. I.Sc. I.Com II. I.A.
13.04.06 Thursday	Chemistry I Money & Banking Political Science I	II.Sc. I.Com. II.A.	ChemistryII Elementary Economics Political Science II	II I.S.c I.Com II. I.A.
15.04.06 Saturday	Statistics I Insurance	I.A. I.Sc. I. Com	Statistic II Transport	I.A. I.Sc. II I.Com
18.04.06 Tuesday	Economics History of India Sociology I	I.Com. II.A.	Co-operation SociologyII	I.Com. II.I.A
19.04.06 Wednesday	Short Hand & Type Writing (OPT) Geography I	I.Com. II.A	Civics & Indian Administration Geography II	I.Com. II.I.A.
20.04.06 Thursday	Commercial Geography Home Sceince I	I.Com. II.A.	Home Sceince II	II.I.A.
21.04.06 Friday	Logic I	II.A	Logic II	II.I.A
22.04.06 Saturday	Music	I.A.		
24.04.06 Monday	Ancient History I	II.A.	Ancient History II	II. I.A.
25.04.06	Public Administration I	II.A.	Public	II. I.A.

Tuesday			AdministrationII	
26.04.06 Wednesday	Gandhian Thought I	II.A.	Gandhian Thought II	II. I.A.
27.04.06 Thursday	Rural Economics I	II.A.	Rural Economics II	II I.A.
28.04.06 Friday	Labour & social Welfare I	II.A.	Labour & Social Welfare II	II.I.A
29.04.06 Saturday	Anthropology I	II.A.	Anthropology II	II.I.A.
01.05.06 Monday	Language & Literature (Opt)	I.Sc., I.Com. II.A	Language & Literature (Opt)II	II. I.Sc., I.Com. I.A.

प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक – 02.05.2006 से 10.05.2006 तक संचालित होगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह०/–
(श्री चंद्रकांत त्रिपाठी)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

7. इंटर , 2006 (पुराना पाठ्यक्रम) की सैद्धांतिक परीक्षा के लिए निम्नरूप में 18 परीक्षा केन्द्र अनुमोदित किये गयेः–

SL. No.	Name of District	Examination Centre
1	Ranchi	1. R.T.C. +2 H.S. Buty, Ranchi
		2. A.S.T.V.s. Zila School Ranchi
2	Gumla	1. St. Agniseia H.s. Gumla
3	Lohardaga	
4	Simdega	
5	East Singhbhum Jamshedpur	1. Kadma Boys H.S. Jamshedpur
		2. Marwari Hindi H.S. Ghatsila
6	West Singhbhum Chaibasa	1. M.L. Rungta +2 H.S. Chaibasa
7	Seraikela	1. N.R. +2 H.S. Seraikela
8	Palamu	1. Brahman H.S. Daltonganj
9	Garhwa	
10	Latehar	
11	Hazaribagh	1. St. Robert H.S. Hazribagh 2. Zila School, Hazaribagh
12	Chatra	
13.	Koderma	
14.	Giridih	1. Sir. J.C. Bose Balika H.S. Giridih
15.	Dhanbad	1. D.A.V. +2 H.S. Dhanbad
		2. S.S.L.N.T. +2 H.S. Dhanbad
16.	Bokaro	1. B.S.L. +2 H.S. SEC. 3 Bokaro
17	Dumka	1. Zila School Dumka
18.	Deoghar	1. St. Mery H.S Deoghar
19.	Jamtara	
20.	Godda	1. +2 H.S. Godda
21	Sahebganj	1. E.Rly. H.S. Sahebganj
22.	Pakur	

8.	इंटर परीक्षा (पुराना पाठ्यक्रम के मूल्यांकन केन्द्र के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि तीनों संकायों के लिए तीन मूल्यांकन केन्द्र, राँची में ही बनाया जाय।

9. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2007 में सम्मिलित होने वाले स्वतंत्र परीक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक परीक्षा/आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में विचार।

निर्णय लिया गया कि निम्नरूप में संलेख को स्वीकृत किया जायः–

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

संलेख

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2007 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विषय के व्यावहारिक परीक्षा में 40 अक, सामाजिक विज्ञान विषय के आंतरिक मूल्यांकन में 20 अंक एवं गणित विषय के आंतरिक मूल्यांकन में 20 अंक निर्धारित किये गये हैं। व्यावहारिक परीक्षा/आतंरिक मूल्यांकन के अंतर्गत सत्त मूल्यांकन, कक्षा परीक्षण, सावधिक परीक्षा, नियत कार्य आदि परीक्षार्थियों द्वारा किया जाना है। साथ ही व्यावहारिक पुस्तिका (प्रयोगिक बुक) रखना भी आवश्क है **स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए व्यावहारिक परीक्षा/आतंरिक मूल्यांकन से संबंधित उक्त क्रियाशीलन सुनिश्चित कराने हेतु तीन महीने के लिए छात्र की उपस्थिति उन राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों में अनिवार्य हो जिनके द्वारा उनके पंजीयन एवं अनुमति आवेदन पत्र परिषद् को अग्रसारित किया जायेगा।** इसी के आधार पर स्वतंत्र छात्र/छात्राओं का पंजीयन किया जायेगा एवं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति दे जायेगी।

विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाय कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं की संख्या उतनी ही हो जितने छात्र/छात्राओं को एक साथ अपने विद्यालय में प्रेषण (सेंटअप) परीक्षा में वे सम्मिलित करा सकें। इसके अनुश्रवण (monitoring) हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाय और इसकी सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास विभाग को दी जाय।

यह विषय परिषद् के परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित है।

ह०/–

(चन्द्रकांत त्रिपाठी)

सचिव

यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में इसे लागू किया जाय।

10. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2006 में जो पूर्ववर्ती छात्र/छात्राएँ परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन से कुछ छात्र/छात्रओं द्वारा सामाजिक विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20 अकों का क्रियाषीलन अदि नहीं कराया जा सका हो तो सी० बी० एस० ई० द्वारा अपनायी जाने वाली नीति की भांति 80 अकों की सैद्धांतिक परीक्षा को 100 अंक का मानकर आनुपातिक अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अनुमोदित

(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की) विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी) सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	(डॉ० शालिग्राम यादव) अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की वित्त समिति की दिनांक 11.03.2006 की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0 बी0 सिंह	–	सदस्य
3.	प्रो0 के0 के0 मिश्र	–	सदस्य
4.	प्रो0 दुखा भगत	–	आमंत्रित सदस्य
5.	श्री फूल सिंह	–	आमंत्रित सदस्य
6.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव
7.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–	विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यवाही प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया।

क्र0 सं0	**कार्य–सूची**	**निर्णय**
1.	वित्तीय वर्ष 2006–2007 का बजट तथा 2005–2006 के पुनरीक्षित बजट पर विचार।	निर्णय लिया गया कि वार्तानुसार आंशिक संशोधन के साथ इसे अनुमोदित किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि संशोधित बजट की प्रति वित्त समिति की दिनांक 20.03.2006 की बैठक में रखी जाय। परिषद् की अगली बैठक दिनांक 22.03.2006 को बुलाई जाय।
2.	बिहार एवं झारखण्ड यात्रा–भत्ता नियमावली को परिषद् में लागू करने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।

अनुमोदित।

ह / –	ह / –
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(श्री शालिग्राम यादव)
सचिव	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख मद संख्या – 02

विषयः बिहार एवं झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली को परिषद् में लागू करने के संबंध में ।

बिहार एवं झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली के तहत संलग्नलित पृष्ट 02/ एवं 03 पर वेतनमान के आधार पर वायुयान/रेल/ सड़क यात्रा पर अनुमान्य राशि वेतनमान के आधार पर दिया गया है एवं दैनिक भत्ता का दर शहरों के वर्गीकरण के आधार पर दिया गया है।

अतः इसे परिषद् में लागू करने की अनुमति अपेक्षित है।

सुलभ प्रसंग हेतु नियमावली की प्रति रख दी गई है।

ह/–
सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

(A) वायु से यात्रा

प्रतिमाह रु० 16,400/– एवं इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले पदाधिकारी कर्त्तव्य पर यात्रा की स्थिति में वायुयान से यात्रा करने के हकदार होंगे। विशेष परिस्थिति में रु० 12,300/– से रु० 16,399/– तक प्राप्त करने वाले वेतन के अधिकारी के विमान से यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी बशर्ते यात्रा की दूरी 500 कि०मी० अधिक हो तथा सीधी रेल सेवा से यह दूरी रात भर में पूरी न की जा सके।

(B) रेल द्वारा यात्रा

वेतनमान	अनुमान्य श्रेणी
(1) 16,400/– रु० एवं इससे अधिक .	(a) प्रथम ए०सी० श्रेणी (सभी ट्रेन) (b) ए० सी० प्रथम श्रेणी (राजधानी एक्सप्रेस) (c) एक्जीकुयुटिभ श्रेणी (शाब्दी एक्सप्रेस)
(2) 8,000/– एवं इससे अधिक किन्तु रु० 16,400/– से कम	(a) ए०सी० 2 टायर (राजधानी एक्सप्रेस) (b) ए०सी० कुर्सीयान (शाताब्दी एक्सप्रेस)
(3) 6,500/– रु० इससे अधिक किन्तु रु० 8,000/– से कम	(a) प्रथम श्रेणी (राजधानी एक्सप्रेस) (b) ए०सी० कुर्सीयान (शताब्दी एक्सप्रेस)
(4) 4,100/– रु० एवं इससे अधिक किन्तु रु० 6,500/– से कम	(a) कुर्सीयान (राजधानी एक्सप्रेस) (b) 3 टायर कुर्सीयान (शताब्दी एक्सप्रेस)

(5) 4,100/– रु० से कम	(a) द्वितीय श्रेणी (राजधानी एक्सप्रेस) (b) कुर्सीयान (शताब्दी एक्सप्रेस)

(C) सड़क से यात्रा

(1) वेतनामन उपर		(i) वातानुकुलित बस/साधारण परिवाहन बस का वास्तविक भाड़ा अथवा (ii) वातानुकुलित टैक्सी/ अपनी कार मोटर साईकि/औटोरिक्शा के निर्धारित दर।
(2)	ʼʼ	(i) वातानुकुलित टैक्सी को छोड़ यथा उपर (1) में वर्णित है।
(3)	ʼʼ	वातानुकुलित बस एवं वातानुकुलित टैक्सी को छोड़ कर उपर यथा (1) में वर्णित तदैव
(4)	ʼʼ	(i) साधरण पब्लिक बस का वास्तविक किराया औटोरिक्शा के लिए निर्धारित दर।

शहरों का वर्गीकरण

(d) दैनिक भत्ता

	ए० I श्रेणी/शहर सामान्य	होटल श्रेणी/शहर सामान्य	ए० श्रेणी/शहर सामान्य	होटल श्रेणी/शहर सामान्य	बी I श्रेणी/शहर सामान्य	होटल श्रेणी/शहर सामान्य	अन्य श्रेणी/शहर सामान्य	होटल श्रेणी/शहर सामान्य
1	260/–	650/–	210/–	525/–	170/–	425/–	135/–	335/–
2	230/–	505/–	185/–	405/–	150/–	330/–	120/–	225/–
3	200/–	380/–	160/–	305/–	130/–	250/–	105/–	200/–
4	170/–	245/–	135/–	195/–	110/–	160/–	90/–	130/–
5	105/–	125/–	85/–	100/–	70/–	85/–	55/–	65/–

सड़क से यात्राः–

सड़क से यात्रा निजी कार से करने पर 5/– रु० प्रति कि०मी० का प्रावधान है।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 20.03.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
3.	प्रो० के० के० मिश्र	– सदस्य
4.	श्री फुल सिंह	– आमंत्रित सदस्य
5.	प्रो० दुखा भगत	– आमंत्रित सदस्य
6.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– आमंत्रित सदस्य
7.	श्री केशव कुमार हडौदिया	– सदस्य
8.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
9.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	वित्त समिति की दिनांक 11.03.2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधन के साथ संपुष्ट किया जायः– 1. उपस्थिति सदस्यों में डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वमी का नाम जोड़ा जाय।
2.	संशोधित वित्तीय वर्ष 2006–2007 तथा 2005–2006 के पुनरीक्षित बजट को परिषद् की दिनांक 22.03. 2006 की बैठक के विचारार्थ अनुमोदन करना।	निर्णय लिया गया कि इसे यथा संशोधित परिषद् के विचारार्थ अनुमोदित किया जाय।
3.	परिषद् के वैसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जिन्हें निर्धारित वेतनमान में मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते की सुविधा मिल रही है उन्हें भी तदर्थ कर्मचारियों की भांति वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश एवं भविष्य निधि, आदि का लाभ प्रदान करने के संबंध के विचार।	निर्णय लिया गया कि अप्रील, 2006 के प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए भविष्य निधि, अवकाश आदि की भी सुविधा दी जाय। (सूची संलग्न)

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
प्रभारी सचिव,	सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

क्रम संख्या	**कर्मचारियों की सूची**
1	शिव राम महली
2	मुन्ना राम
3	आनन्द मुण्डा
4	भरत कुमार मिर्धा
5	प्रविण कुजूर
6	घासी राम बेदिया
7	अजीत कुमार महतो
8	ज्योतिष डूगडूंग
9	अशोक कुमार बड़ाईक
10	बिजय बिरजा गाडी
11	षिवदयाल महतो
12	पवन कुमार सिंह
13	राजू महतो

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Minute of the meeting of the Building committee held on 18-02-2006 at 2 p.m. in the Council Office

Members Present.

1-	Dr. S.Yadav	- Chairman
2-	Prof. R.B. Singh	- Member
3-	Prof. K.K. Mishra	- Member
4-	Prof. M.S. Khan	- Member
5-	Sri B. Som	- Member
6-	Shri Chandrakant Tripathi	- Secretary
7-	Sri M.D. Virnave	- Architect

1. The Architect Shri M.D. Virnave presented the estimate, specification and Survey, Soil Test and Site evaluation report.
2. The total estimated cost of the project is Rs. 8,51,54,300.00. The cost of the building construction work excluding the cost of Consultancy and Contingency is Rs. 8,18,55,484.00

   The estimate was approved and technical sanction was accorded by the Committee
3. It was suggested by the Chairman that the cost of the following items of work should also be included in the estimate:-

   (A) Furnishing of VIP Guest House and Chairman's bungalow.

   (B) Air conditioning of various rooms of Administrative building. VIP guest house and Chairman's Bungalow.

   The Architect was directed to make additions of the above mentioned items in the estimate.
4. It was decided that the following item of work will be excluded from the building contract:-

   (i) Furnishing and Air Conditioning of Auditorium, VIP Guest House, Chairman's Bungalow and Administrative building

   (ii) Sound system of the Auditorium.

   (iii) Lifts.

5. The mode of contract was discussed and it was decided that the Contract will be signed on the F-2 form (suitably) of Public Works Department, Govt. of Jharkhand

6. The Architect made the following suggestions regarding special terms and conditions to be included in the Part I of the tender as pre-qualification criteria for the tenderers and the same were accepted by the Building committee.

   Attested copies of the following documents to be enclosed:

   (i) Articles of Association of the Company with registration.
   (ii) Current valid Income Tax and Sales Tax clearance certificate.
   (iii) Bankers Solvency certificate.
   (iv) Latest Profit and Loss A/c. with audited Balance sheet
   (v) List of similar work executed with cost of the project.
   (vi) List of similar work in hand with cost of the project.
   (vii) List of professional man power & construction equipments to be deployed for this project.
   (viii) Certificate of satisfactory complection of the project from the Principal Employer.
   (ix) An affidait confirming that work whole or any part of the work would not be sublet.

7. The note Inviting Tender was discussed and dates were finalized. Copy of the same is enclosed.

Approved.

(C.K. Tripathi)
(Secretary)

(S.Yadav)
Chairman

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL

Birsadih, Hawainagar

Khhunti Road, Ranchi-834003

Tel. (0651) 2502131, 2502192 Fax : 2502175

Tender Notice No..

Name of the work: Construction of Administrative building, 500 seated Auditorium, VIP Guest house and Chairman's Bungalow including campus development at Namkum, Ranchi.

Sealed tenders are invited by the Secretary, Jharkhand Academic Council from reputed Contractors registered under top most category with State P.W.D., C.P.W.D., M.E.S., Railways, Govt./Semi Govt. undertaking and having following minimum experience of large building construction work.

(1) Should have completed one single building project of minimum value of Rs. 5.00 crores in the past 3 years, within a period of 18 months, consisting of Civil work, Electrification work (internal and external) Interior furnishing, False ceiling and Acoustical treatment and should also have experience of installation of central Air conditioning system.

Approx. estimated cost – Rs. 7.64 crores, Earnest money – Rs. 15.28 lacs in form of Crossed D/D or Bank Guarantee only in favour of "Jharkhand Academic Council, Fund Ranchi" drawn on any nationalized Bank at Ranchi, time of completion –18 months, cost of tender paper – Rs. 15,000/- (Non refundable)

Date of sale of tender paper 5th March 2006 to 10th March 2006 during working days & hours, (from 10.30 a.m. to 5.00 p.m.) from the office of the undersigned.

The tender documents duly filled and completed by the tenderer will be received upto 2.00 p.m. on 30th March 2006 in two parts- Part I "Technical Bid Part II Rice Bid " part I will opened as the same day at 3.00 pm. part II of the tender of only those tenders who have submitted all the document and meet the competency requirement for Part I shall be opend on 7.4.2006 at 2.00 pm. Both parts of the tender will be opened in presence of the Tenderers or their authorized representatives who may wish to be present, in the office of the undersigned.

The undersigned reserves the right to accept the tender for full quantities/items or split the offered quantities/items between more than one tenderer with proportionate reduction in the period of contract or to reject any or all the tenders without assigning any reason whatsoever.

By order the Chairman

(C.K. Tripathi)

Secretary,

Departmental meeting held on 24.03.2006 at 4.00 p.m. for the construction of Class rooms for Project School in the campus of Jharkhand Academic Council at Namkum, Ranchi in which the following were present.

1. Dr. S. Yadav, Chairman
2. Shri. C.K. Tripathi, Secretary
3. Mrs. Abha Kusum Tirkey, O.S.D.
4. Shri E. Bara, Special Officer
5. Shri J.N. Choudhary, Special Officer
6. Shri M.D. Virnave. Architect

The architect submitted three quotations received from the contractors namely:

Name of the Contractor	**Lump-sum quoted**
M/s. P.K. Constructions	Rs. 3,20,000/-
M/s Pradip Electrical & Engineering Work	Rs. 3,00,000/-
M/s Mudrika Prasad	Rs. 3,15,000/-

The quotation of M/s Pradip Electricals & Engineering works. 7th Street, Aresanday, Boreya Road, Ranchi was found lowest at Rs. 3,00,000/- (Rupees Three lacs only) and hence it was decided that the work may be allotted to them.

They were asked to complete the work within 60 days after receiving the work order.

The Architect was asked to prepare the Memorandum of Agreement for the work.

Approved

(C.K. Tripathi) (S. Yadav)

Secretary Chairman

Departmental meeting held on 22.03.2006 at 4.00 p.m. for the construction of Class rooms for Project School in the campus of Jharkhand Academic Council at Namkum, Ranchi in which the following were present.

1. Dr. S. Yadav Chairman
2. Shri C.K. Tripathi, Secretary
3. Mrs. Abha Kusum Tirkey, O.S.D.
4. Shri E. Bara, Special Officer
5. Shri J.N. Choudhary, Special Officer
6. Shri M.D. Virnave, Architect

The issue of construction of three rooms for the Project School, Namkum, Ranchi was discussed in the light of estimates received from the Architect, based on S.O.R. (PWD) 2004.

it was decided that the Architect be authorized to collect quotation on lump sum basis from suitable Contractors, on urgent basis, for the proposed construction of Class rooms.

The work should be started immediately and should finish within a minimum period of time .

The following will be the minimum specification of the construction.

A. Foundation	:	Designation 75B brick work in foundation with 4” the P.C.C. (1:4:8) bed
B. Roofing	:	Asbestos sheet roofing on tubular truss as per design
C. Plastering	:	12 mm. thick internal & external wall plaster with C.M. (1:8)
D. Doors	:	30X30X6mm thick angle door frame with 35mm. thick flush door shutters
E. Windows	:	Fully glazed standard steel casement windows with M.S. grill
F. Flooring	:	25 mm thick patent stone flooring over 100mm thick P,C.C. (1:4:8)
G Finishing	:	i. Three coat of white ash over plastered surface ii. Two coats of synthetic enamel paint over a coat of suitable primer on wood and steel surfaces.

Approved

(C.K. Tripathi) — (S. Yadav)

Secretary — Chairman

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

विभागीय परीक्षा संचालन समिति की दिनांक 23.03.2006 की बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या – 01

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	श्री हरेन्द्र प्रसाद सिंह उपर निदेशक, मा० षि०	– सदस्य
3.	श्री अशोक कुमार शर्मा जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची	– सदस्य
4.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
5.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी
6	श्री ई० बाड़ा	– वि० पदा०

1. राज्य सरकार के पत्रांक 2683 दिनांक 12.08.05 के आलोक में विभागीय परीक्षा संचालन में अनुमनित व्यय की विवरणी उक्त संचालन समिति के विचारार्थ रखा गया। चूंकि राज्य सरकार से परीक्षा से संबंधित नियमावली अभी तक नहीं प्राप्त हुई है अतः निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1. नियमावली के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया जाय।
2. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, पटना से जानकारी प्राप्त की जाय कि परीक्षा हेतु प्रति परीक्षार्थी विभाग से कितनी राशि प्राप्त होती है या प्रति परीक्षार्थी क्या व्यय आता है।
3. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् से यह भी जानकारी प्राप्त की जाय कि प्रश्न चयनकर्त्ता/परीक्षक आदि नियुक्ति करने की प्रक्रिया क्या है? अर्थात् किस श्रेणी/विभाग के पदाधिकारी से उक्त र्काय लिया जाता है।

नयी नियमावली के प्राप्त होने पर ही अन्य मुद्दों पर निर्णय किया जा सकेगा।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की) प्रभारी सचिव,	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी) सचिव,	(डॉ० शालिग्राम यादव) अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 28.03.2006 की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0बी0 सिंह	–	सदस्य
3.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
4.	श्री फूल सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ0 ताराकांत शुक्ल	–	सदस्य
6.	प्रो0 एम0एस0 खाँ	–	सदस्य
7.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव
8.	डॉ0 सुनिल कुमार	–	वि0पदा0 (परीक्षा)

क्रमांक	**कार्यसूची**	**निर्णय**
1.	इंटरमीडिएट 2006 के तीनों संकायों की सैद्धांतिक परीक्षा के परीक्षकों की सूची पर विचार।	तीनों संकायों के विभिन्न मूल्यांकन केन्द्रों के विभिन्न विषयों के परीक्षकों की सूची का अवलोकन किया गया। निर्णय लिया गया कि परीक्षकों की सूची आंशिक संशोधनों के साथ अनुमोदित किया जाय।
2.	माध्यमिक मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं समन्वयक के पारिश्रमिक भत्ते में वृद्धि के संबंध में विचार।	निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः– 1. निदेशक को 100/– (एक सौ) रूपया प्रतिदिन एवं समन्वयक को 80/– (अस्सी) रूपया प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में इसे 2006 की परीक्षा से लागू किया जाय। अनुमोदित।

ह/–
(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)
सचिव

ह/–
(श्री शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 22.03.2006 की बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या– 27

<u>उपस्थिति</u>

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
3.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	प्रो0 आर0बी0 सिंह	– सदस्य
5.	डॉ0 ताराकांत शुक्ल	– सदस्य
6.	प्रो0 एम0एस0 खाँ	– सदस्य
7.	श्री फूल सिंह	– सदस्य
8.	प्रो० के० के० मिश्र	– सदस्य
9.	श्री केशव कुमार हडौदिया	– सदस्य
10.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
11.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यवाही प्रारंभ होने पर अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया।

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	परिषद् की दिनांक 18.01.2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।
2.	परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 04.02.06, 15.02,2006 एवं 05.03.06 की बैठक की कार्यवाहियों का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदन किया जाय।
3	परिषद् की वित्त समिति की दिनांक 11.03.2006 एवं 20.03.2006 की बैठक की कार्यवाहियों का अनुमोदन	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
4.	परिषद् की वित्त समिति की दिनांक 20.03.2006 की बैठक में अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2006–2007 का बजट तथा 2005–06 के पुनरीक्षित बजट पर विचार।	सचिव ने सदस्यों के समक्ष झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची का बजट 2006–2007 आमुख निम्न रूप में प्रस्तुत किया:

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
बजट 2006—2007
आमुख

माननयीय सदस्यगण

आपके समक्ष 2006—2007 वित्तीय विर्ष के लिए परिषद् के बजट के साथ 2005—2006 वर्ष का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रसंग में पूर्व में कहा जा चुका है कि संयुक्त सचिव (झारखण्ड सरकार) के पत्रांक 6/व—101/01—2491 दिनांक 02.09.2003 के आलोक में (झारखण्ड अधिनियम, 2/2003) की धारा (3) के अधीन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की स्थापना की गई है। इस अधिनियम के रिरसन और व्यावृति (धारा—30) के अनुसार झारखण्ड राज्य में इंटरमीडिएट (10+2), माध्यमिक, मध्मा (संस्कृत) एवं मदरसा की परीक्षा संचालित करने वाली सभी संस्थाएँ निरस्त की गई। अधिनियम की धारा—7 के अधीन इंटरमीडिएट (10+2), माध्यमिक, मध्यमा (संस्कृत) एवं मदरसा एवं अन्य कोई परीक्षा, जो राज्य सरकार के द्वारा समय—समय पर अधिरोपित की जाय, का संचालन एवं परीक्षाफल का प्रकाशन इस संस्थान का कर्त्तव्य है। इन कार्यों के संचालन हेतू अधिनियम क धारा—11 के अधीन अध्यक्ष एवं सचिव के पद का सृजन किया गया, साथ ही उपर्युक्त पत्रांक 2491 दिनांक 02.09.2003 के द्वारा निरसित झारखण्ड इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् एवं माध्यमिक परीक्षा पर्षद दोनों के कार्यरत सचिवों को विशेष कार्य पदाधिकारी नामित किया गया। उनमें से एक का स्थानांतरण हो गया तथा ज्ञापांक 1620 राँची दिनांक 18.06.2005 के माध्यम से सचिव की नियुक्ति हो चुकी है।

इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद् द्वारा निश्चित शुल्कादि द्वारा राशि तथा उधार लेकर कार्य संचालन करना अपेक्षित है।

स्थापना की तिथि (02.09.2003) से आज तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद हेतु अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त अन्य पदों के सृजन का अनुमोदन राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। विघटित झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा पर्षद एवं झारखण्ड इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त निश्चित वेतन पर कर्मचारियों को लगाकर काम चलाया जा रहा है। अधिविद्य परिषद् ने 352 कर्मचारियों का पद सृजन का प्रस्ताव JAC/OSD/0184/04 दिनांक 10.03.2004 के माध्यम से राज्य सरकार के पास अनुमोदनार्थ प्रेषित किया है जिस पर अभी तक राज्य सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हो पायी है। पद सृजन की सहमति के अभाव में कम्प्यूटर का काम ठेका पर चल रहा है। परिषद् का कार्य संपादन अध्यक्ष की जवाबदेही है इसलिए प्रस्ताव है कि जब तक राज्य सरकार से पद सृजन में सहमति की प्राप्ति एवं उनके आधार पर कर्मचारियों का पदस्थापना न हो जाय तब तक तदर्थ/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के माध्यम से कार्य कराया जाय।

अधिविद्य परिषद् का अपना मकान हो इस दिषा में काफी प्रयास किया गया है। फलस्वरूप बरगावाँ में 4.48 एकड़ जमीन राज्य सरकार से प्राप्त कर परिषद् भवन का शिलान्यास करा दिया गया तथा भूमि पूजन भी हो चुका है। इस कार्य हेतु वास्तुकार के द्वारा लगभग 8.5 करोड़ की राशि का आकंलन कर लिया गया है तथा ठीकेदार से टेंडर मांगा गया है। आशा है, अगले माह से भवन निर्माण का कार्य आरंभ हो जायेगा; जिसे यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। इस कार्य हेतु भवन निर्माण मद से अगले वर्ष (2006–2007) में 7 करोड़ रु० की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

अधिविद्य परिषद् से मध्यमा, मदरसा, शिक्षक प्रशिक्षण आदि परीक्षाएँ जो विलंब से चल रही थीं उनको अद्यतन कर दिया गया है तथा परीक्षाफल का प्रकाशन भी हो चुका है। इस वर्ष से माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट का संपूरक परीक्षा का संचालन भी शुरू कर दिया गया है।

माध्यमिक परीक्षा के परीक्षकों के पारिश्रमिक से 3 प्रतिशत की राशि शिक्षक कल्याण कोष मद में काटी जाती हैं, जो 2001 से 2004 तक की परीक्षा में 4,37,416 तक पहुँच गयी थी। चूंकि परीक्षकों को 3 प्रतिशत की राशि काटकर ही भुगतान होता है, 4,37,416 की राशि परिषद् कोष मे जमा हो चुकी थी जिसका पृथक बैंक खाता खोल दिया गया है।

कर्मचारी कल्याण कोष का अभाव खटकता रहा है क्योंकि हाल ही में दो कर्मचारियों की अलग–अलग दुर्घटनाएँ हुई पर अध्यक्ष के पास मदद देने को कुछ नहीं था। इस कारण कर्मचारी कल्याण कोष में एक लाख का प्रस्ताव है जिसमें कर्मचारियों के अंश दान की राशि मिलाकर कर्मचारियों को बिना ब्याज के सुविधाजनक किस्तों में ऋण के रूप में दिया जा सकेगा, अगर कर्मचारियों की सहमति हो।

प्रस्तुत बजट चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स आडूकिया एण्ड एसोसियेट के द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है तथा यह बजट 20.03.2006 को वित्त समिति से कुछ संशोधन के साथ अनुशंसित हो चुका है। उक्त संशोधन के साथ अब यह बजट आपके समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है।

चालू वर्ष के दिसम्बर 05 तक के व्यय के आधार पर 2005–2006 का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उसी के अनुरूप आगामी वर्ष के लिये निम्न प्रकार का प्रस्ताव है:–

चालू व्यय में वेतनादि में 7.72 करोड़, आकस्मिकी हेतु 2.18 करोड़, पुस्तकालय हेतू 2.45 लाख, कर्मचारी कल्याण उपादान सहित 9.8 लाख, विभिन्न परीक्षाओं में पारिश्रमिक हेतु 1.54 करोड़ परीक्षा संचालन परिणाम प्रकाशिनादि में 6.31 करोड़ का प्रस्ताव है।

इसी प्रकार पूंजीगत व्यय में अग्रिम आदि में 2.56 करोड़ सुरक्षा कोष एवं विनियोग हेतु 3 करोड़ भवन निर्माण हेतु 7 करोड़ तथा सामान क्रय हेतु 16.30 लाख का प्रस्ताव है।

जहाँ तक आय का प्रश्न है, निबंधन आदि के 5.75 करोड़, निरीक्षण शुल्क से 12.5 लाख, परीक्षा शुल्क से 7.29 करोड़ अन्य शुल्क 7.81 करोड़ कुल 28.27 करोड़ का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार पत्रांक –8/अ०वि० से0–12/2004 मा० 2683 दिनांक 12.08.2005 के आलोक में जे०सी०ई० आर० टी० गठन हो जाने तक राज्य सरकार के विभागीय परीक्षा का आयोजन भी कराना है, जिसका व्यय तत्काल आकस्मिक अग्रिम शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है। इस पर परिषद् की सहमति की आवश्यकता है। यह राशि सरकार से प्राप्य है।

इस प्रकार कुल 31.16 करोड़ की आय की राशि के विरुद्ध 30.6 करोड़ व्यय का प्रस्ताव है तथा 56 लाख (56,11,948) की राशि की बचत का प्रस्ताव है।

मान्य सदस्यों से अनुरोध है कि प्रस्तुत बजट का अवलोकन करें एवं स्वीकृति प्रदान करें ताकि परिषद् का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

अनुमोदित

ह/–	ह/–
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,	झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची	राँची

		बजट के विभिन्न मुद्दे पर पूर्ण रूप से विचारोपरांत सर्वसम्मति से इसे अनुमोदित किया गया।
5.	परिषद् के दिन प्रति दिन के कार्य में वृद्धि एवं कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण दैनिक भत्ते पर काम लेने के संबंध में विचार।	विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया कि भविष्य में यदि आवष्यकता हुई तो दैनिक भत्ते पर काम लेने से पूर्व निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन किया जायः– 1. संख्या का निर्धारण 2. प्रक्रिया का निर्धारण 3. एक समिति का गठन परिषद् द्वारा दिनांक 26.04.2005 को स्वीकृत 35 पदों पर की गयी नियुक्तियाँ इसके अंदर नहीं जायेंगी।
6.	एस०एस० उच्च विद्यालय, घाघरा (गुमला) के 42 छात्रों के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2006 के विषय में भिन्नता के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि एस० एस० उच्च विद्यालय, घाघरा (गुमला) के 42 छात्रों को संपूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंटल परीक्षा) में शामिल होने

		का मौका दिया जाय। संपूरक परीक्षा में उनका परीक्षाफल संपूर्ण रूप से अर्थात् श्रेणी (Division) के साथ निकाला जाय। इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाय।
7.	गोमिया इंटर कॉलेज, स्वांग, बोकारो की सत्र 2005–07 के लिए विशेष परिस्थिति में परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में अध्यक्ष द्वारा दिये गये स्थापना अनुज्ञा आदेश की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।
8.	शिवेसर बादशाह प्रसाद आजाद चन्द्रवंशी इंटर कॉलेज, मझिगाँव, गढ़वा को सत्र 2005–2007 के लिए विशेष परिस्थिति में परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में अध्यक्ष द्वारा दिये गये स्थापना अनुज्ञा आदेश की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।
9.	छोटानागपुर इंटर महाविद्यालय, बेड़ोकला, बरकट्ठा, हजारीबाग को सत्र 2005–2007 के लिए विशेष परिस्थिति में परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में अध्यक्ष द्वारा दिये गये स्थापना अनुज्ञा आदेश की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।
10.	इंटर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विषयों को पढ़ाई की अनुमति हेतु स्थलीय निरीक्षण शुल्क के मद में राशि के निर्धारण पर विचार।	निर्णय लिया गया कि दो विषयों तक का निरीक्षण शुल्क 10,000/– रुपया और दो से अधिक विषयों का निरीक्षण शुल्क 15,000/– रुपया निर्धारित किया जाय।
11	झुमरी तिलैया कॉमर्स कॉलेज, झुमरी तिलैया का नाम आर० पी० गाँधी इंटर कॉलेज, झुमरी तिलैया परिवर्त्तित करने के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित कर राज्य सरकार को अनुशंसा भेज दी जाय।
12	पं० दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज, देवघर की स्थापना अनुज्ञा विस्तार पर विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे एक शैक्षणिक सत्र तक स्थापना अनुज्ञा दी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इस तरह के अन्य महाविद्यालय से यदि आवेदन आता है तो उसे भी अनुमति दी जाय।
13.	आर० के० महिला कॉलेज, गिरीडीह (अंगीभूत) में कला संकाय 640 सीट के अतिरिक्त 128 सीट अर्थात् 768	निर्णय लिया गया कि 640 सीट से अधिक सीट वृद्धि नहीं होगी। स्वतंत्र छात्र के रूप में निर्धारित शुल्क

	सीट 2006–07 के लिए वृद्धि करने पर विचार।	जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि यह निर्णय अन्य महिला महाविद्यालयों में ही लागू होगा।
14	गायत्री शिक्षा निकेतन महिला इंटर कॉलेज, आदित्यपुर, जमशेदपुर की स्थापना अनुज्ञा पर विचार।	निर्णय लिया गया कि शिक्षा सत्र 2006–08 के लिए कला एवं विज्ञान संकाय में स्थाना अनुज्ञा इस शर्त्त के साथ दी जाय कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा कर लें।
15.	रामटहल चौधरी इंटर कॉलेज, उन्धन, मनोहरपुर, पं० सिंहभूम (चाईबासा) की स्थापना अनुज्ञा पर विचार।	निर्णय लिया गया कि शिक्षा सत्र 2006–08 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्थापना अनुज्ञा इस शर्त्त के साथ दी जाय कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृत की सभी शर्त्त को पूरा कर लें।
16.	द्विवर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की वर्ष 93 से लेकर झारखण्ड राज्य के गठन के पूर्व की लंबित परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में विचार।	चूंकि सी०डब्लू० जे०सी० नं० 2164 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में 1993–1996 कुल चार वर्ष की शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा लेने के संबंध में परिषद् वरीय अधिवक्ता से विधि सम्मत राय प्राप्त कर लिया गया और राज्य सरकार ने भी पत्रांक 2730 दिनांक 06.10.2005 के द्वारा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का नियमित रूप से संचालन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को प्राधिकृत किया है, अतः निर्णय लिया गया कि सत्र 93 से 96 तक की परीक्षा ले ली जाय।
17.	परिषद् के नए रेग्युलेशन में माध्यमिक परीक्षा के लिए पंजीयन हेतु अंकित तिथि अर्थात् 30.09. 1992 को परीक्षा के वर्ष परीक्षार्थी की उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए, के संबंध में पुनर्विचार।	निर्णय लिया गया कि पंजीयन हेतु परीक्षार्थी की उम्र परीक्षा 01 ली मार्च को 14 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इस हद् तक इस वर्ष के पंजीयन के लिए इसे संशोधित समझा जाय। परंतु अगले वर्ष से नामांकन के समय ही इसे लागू करने की अधिसूचना निर्गत की जाय।

18. निम्नलिखित पाँच चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों (वेतन मान 2550 –55 – 2660– 60– 3200 को उनकी शैक्षणिक योग्यता देखते हुए दिनचार्य लिपिक के वेतनमान (4000–100–6000) में दिनांक 01.04.2006 से अनुमान्य किया गया–

1. श्री सुरेश मुंडा
2. श्री आभय नन्दन श्रीवास्तव

3. श्री जीतेन्द्र पासवान

4. श्री कन्हैया प्रसाद

5. श्री संजय कुमार

यह भी निर्णय लिया गया कि इस तरह के अन्य मामले में भी निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाय।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्रीचन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
प्रभारी सचिव,	सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रॉंची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रॉंची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रॉंची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की परीक्षा समिति की दिनांक 08.04.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह,	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
5.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
6.	डॉ० तारा कान्त शुक्ल	– सदस्य
7.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
8.	श्री सुनील कुमार	– विशेष पदाधिकारी (परीक्षा)

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 28.03.2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि संथालपरगना क्षेत्र में अवस्थित महाविद्यालयों के वाणिज्य संकाय के शिक्षकों को यथा संभव गुरूनानक कॉलेज, धनबाद मूल्यांकन केन्द्र पर परीक्षक बनाया जाय बशर्त्ते की उस क्षेत्र की उत्तरपुस्तिका वहाँ नहीं हो।
2	2006 परीक्षा के कक्षा 12 वीं (इंटर) के निम्नांकित अंक योजना के संबंध में विचार।	

Jharkhand Academic Council, Ranchi
Intermediate Examinations, 2006
Marking Scheme

General Instructions: for Examiners evaluating answer scripts of class XII Exam.

1. Answer scripts should not be given to the evaluators for evaluation until and unless the given Marking Scheme has been thoroughly discussed with them in group or individually on the first day of evaluation.
2. **The head-examiners have to go through the first five answer-scripts evaluated by each evaluator to ensure** that the evalution has been carried out as per the marking scheme only. The remaining answer scripts meant for evaluation shall be given only after ensuring

that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.

3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the marking scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration- Marking Scheme is the only guideline.
4. The marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are only guidelines and do not constitute to complete answer.
5. **If a question has parts, please award marks on the right hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totalled up and written out in the left hand margin and circled. In no case should the marks be awarded on the body of answers,** and the marks awarded be written distinctively.
6. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left hand margin.
7. **Where marks are allotted separately for content and expression as per the marking scheme, they have to be reflected separately and then totalled. This is mandatory requirement.**
8. A slash (/) in the marking scheme indicates alternative answer. If a student writes an answer which is not given in the marking scheme but which is equally acceptable, marks should be awarded only in consultation with the head-examiner.
9. **If a child has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out.**
10. Q.1. Under section A (Reading skills) and under section C1 (text books) questions have been designed to test a student's understanding of the passage and his ability to interpret, evaluate and respond to the given passage. In other words only the reading skills are to be tested. As such content assumes more importance than expression in the answers to these questions. **Therefore students should not be unduly penalised for poor expression and faulty spelling, as long as the answer clearly reveals understanding of the passage.**
11. However, where questions have been designed to test the writing skills of students, expression (grammatical accuracy, appropriate vocabulary and style, spelling, organization and presentation of relevant matter in a coherent and logical way) is important

12. Wherever the word limit is given, **no deduction of marks is to be made if the word limit has been exceeded up to 25%.** However, beyond this permitted limit, marks are to be deducted as follows:
Penalty for exceeding the word limit
For a 50 words answer:
Above 65- deduct ½ mark
For a 100 word answer:
125 to 150 words – deduct ½
Above 150 words – deduct 1 mark
For a 150 words answer:
175 to 200 words – deduct ½ mark
Above 200 words – deduct 1mark
For a 200 words answer:
225 to 250 words – deduct ½ mark
Above 250 words – deduct 1 mark
However, no marks should be deducted in respect of short answer type questions (under C1, C2 and C5) **if the answer exceeds 60 words it may be penalised by deducting ½ mark.**

13. If a student, in response to a short-answer-type question, writes a single word answer which constitutes the core of the answer, it should be accepted and awarded full marks.

14. **If a student literally lifts a portion the given passage as an answer to a question, no mark(s) to be deducted for this so long as it is relevant and indicative of the desired understanding on the part of the student,** especially in questions under A1 and C1.

15. A full scale of marks –0 to 100- has to be used. Please do not hesitate to award full marks, if the answer deserves it.

16. All blank pages in the answer books must necessarily be crossed to root out any possibility of misuse by examinees at a later stage

Secretary,
Jharkhand Academic Council, Ranchi

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

इंटरमीडिएट परीक्षा, 2006

अंक योजना (कक्षा XII के लिए)

भाषा संबंधी विषयों एवं सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों के मूल्यांकन के लिए निर्देश

सामान्य निर्देश : मूल्यांकन करते समय कृपया निम्नलिखित निर्देशों के प्रति सावधानी बरतिएः–

1. अंक–योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है। अंक–योजना में दिए गए उत्तर–बिंदु अंतिम नहीं है। ये सुझावात्मक एवं सांकेतिक हैं। यदि परीक्षार्थी ने इनसे भिन्न किंतु उपयुक्त उत्तर दिए हैं, तो उसे उपयुक्त अंक दिए जाए।
2. मूल्यांकन–कार्य अपनी निजी व्याख्या के अनुसार न करके, अंक–योजना में योजना में निर्दिष्ट निर्देशानुसार ही किया जाय।
3. **प्रश्न के उपभागों के उत्तरों पर दाईं ओर अंक दिए जाए, बाद में उपभागो के इन अंकों का योग बाई ओर के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाय।**
4. **यदि प्रश्न का कोई उपभाग नहीं है तो उस पर बाई ओर ही अंक दिए जाए। किसी भी स्थिति में उत्तर के मध्य में ही अंक नहीं लिखा जाय। अंक सुस्पष्ट रूप से बायीं ओर हाशिए में लिखें।**
5. **यदि परीक्षार्थी ने किसी अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर भी लिख दिया है तो अपेक्षाकृत अच्छे उत्तर पर अंक देकर दूसरे अतिरिक्त उत्तर को काट दिया जाए।**
6. **संक्षिप्त, परंतु उपयुक्त विवेचन के साथ प्रस्तुत किया गया बिंदुवत उत्तर विस्तृत विवेचन की अपेक्षा अच्छा माना जाएगा। ऐसे उत्तरों को उचित महत्व देने की अपेक्षा है।**
7. **बार–बार की गई एक ही प्रकार की अशुद्ध वर्तनी पर अंक न काटे जाए।**
8. **मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 से 100 का प्रयोग अभिष्ठ है अर्थात् पर्रीक्षार्थी ने सभी उपेक्षित उत्तर बिन्दुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे 100 अंक दिए जाने चाहिए।**

सामाजिक विज्ञान में अन्य विषय के लिए निर्देश

9. **उपर्युक्त निर्देशों का पालन किया जाय।**
10. **खराब लिखावट तथा अशुद्ध वर्तनी के लिए अंक न काटे जाय।**
11. **कॉपी के सारे खाली पन्ने अवश्यक ही क्रॉस कर दिए जायँ ताकि परीक्षार्थी द्वारा बाद में दुरूपयोग करने की संभावना को समूल नष्ट किया जा सके।**

ह०/–
सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि

परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में इसे लागू किया जाय।

3. माध्यमिक परीक्षा, 2007 के स्वतंत्र छात्र–छात्राओं का पंजीयन के संबंध में विचार।

निर्णय लिया गया कि निम्नांकित संलेख के आलोक में ऐसे विद्यालयों को क्षमता के अनुरूप स्वतंत्र छात्र–छात्राओं का पंजीयन के लिये अधिकृत किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2006 के पंजीयन से (2007 माध्यमिक परीक्षा हेतु) परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू किया जाय।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

संलेख

विषयः– **स्वतंत्र छात्र–छात्राओं का पंजीयन राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 81–82 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय से कराने के संबंध में।**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पैटर्न पर झारखण्ड में भी स्वतंत्र छात्र/छात्राओं का पंजीयन राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के माध्यम से पंजीयन होता रहा है। परिषद् की विज्ञप्ति संख्या 28/2006 के आलोक में इस नई परिस्थिति में निर्धारित आश्वासन के अनुरूप केवल राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के माध्यम से पंजीकरण में कठिनाई हो रही है।

प्रस्ताव है कि प्रोजेक्ट विद्यालय (81–82) जिन्हें सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत प्राप्त है तथा अल्प संख्यक विद्यालय जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय, इन दोनों कोटि के विद्यालय के माध्यम से भी स्वतंत्र छात्र–छात्राओं का पंजीयन कराने की अनुमति हेतु परीक्षा समिति का निर्णय अपेक्षित है। परिषद् के निर्णय के पश्चात् इसकी स्वीकृति हेतु विभाग को भेज दिया जायेगा।

4.	इंटर वाणिज्य 2006 परीक्षा के एकाउटेंसी पेपर (Accountancy Paper) के मूल्यांकन के संबंध में दिशा–निर्देश पर विचार।	निर्णय लिया गया कि निम्नांकित दिशा निर्देश को अनुमोदित किया जाय।

Ref :- JAC Date 08-04-2006

To,

The Evaluation Director,
Gurunank College,
Dhanbad.

Sub: Evaluation of accountancy Paper I.Com. 2006 Exam.

Sir,

As per information received from the K.M.P.M. Inter College, JSR, their I.Com examinees of 2006 have attempted Groups A & C in Accountancy paper. For your information I would like to make it clear that Group A contains the questions pertaining to Accountancy and will be examined by commerce teacher: **But Group C is related to computer science, Hence Group C, if attempted by any student in Accountancy subject must be evaluated by computer experts.**

Under the circumstances, you are requested to do proper arrangement to safeguard the interest of the students. **One Computer Teacher may kindly be requested to examine all such answer books in which examinees have attempted Group C which is of 20 Marks only.** In Group C there is no compulsion as per regulation to secure pass marks. Hence, after evaluation, questions wise marks will be posted on the front page by Computer Teacher and will put his signature as one of the co-examiners. Total of all marks will be finally done by the Commerce Teacher and Head examiner will verify the marks awarded and posted by Accountancy Teacher and computer teacher. It means there will be two co-examiners in respect of the examinees who have offered Group C. For more clarification I am to say here that if Group A and B have been attempted by the examinees, then only Commerce Teachers will be involved.

With regard to remuneration Rs. 3 will be paid per copy to Commerce Teacher and Rs. 2 to Computer Teacher. In case Groups A & B have been evaluated by commerce teacher Rs. 5 per A/B will be paid. Remuneration of H/E will be the same in both the cases.

With regards,

Yours faithfully

(K.N. Gope)
Special Officer Academic

N.B. The Accountancy Paper is of 80 marks (Theroy) and 20 marks of project marks. 80 marks have been sub-divided into the following groups.

Group A - 60 Marks
Group B - 20 marks
or - 20 marks Theory for Computer Accountancy shown as Group C above.

5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हड़ताल के चलते परिषद् द्वारा संचालित	निर्णय लिया गया कि परिस्थिति से निपटने के लिए

मदरसा परीक्षा की कठिनायों पर विचार।	उपायुक्त/अवर प्रमंडल पदाधिकारी से संपर्क स्थापित किया जाय ताकि परीक्षा निर्धारित समय पर बिना कोई बाधा के संचालित हो सके। यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा समिति के सदस्यों से भी निम्नांकित परीक्षा केन्द्रों का आवलोकन करने के लिये अनुरोध किया जाय।

Jharkhand Academic Council, Ranchi

District wise list of centres for madrasa exam-2006

Sl . No.	Name of Distt.	Name of Treasury/Bank	Roll Code	name of Center
1	Ranchi	Ranchi	1101	Islamia Momin Urdu girls H/S Doranda, Ranchi
2	Ranch		1102	Rayeen Urdu Girls H/S Ranchi
3	Ranchi		1103	Mad. Islamia Upper Bazar, Ranchi
4	Hazaribagh	Hazaribagh	2101	Hazaribagh H/S, Hazaribagh
5	Hazaribagh	Barhi	2102	Mad. Tahfuzze Islam Barhi, Hazaribagh
6	Hazaribagh	SBI Gola	2103	Urdu Middle Girls School Chari Gola, Hazaribagh
7	Giridih	Giridih	2201	High School, Giridih
8	Giridih		2202	Mad. Jamia Hussainia Giridih
9	Giridih		2203	Mad. Jamia Rizwia, Giridih
10	Dhanbad		2301	Millat H/S Wasepur Dhanbad
11	Dhanbad	Dhanbd	2302	Mad. Yateem Khan Nayabazar, Dhanbad
12	Chatra	Chatra	2401	S.S. H/S Chatra
13	Bokaro	Chass Bokaro	2501	Mad. D.A.S.H.G.N. Siwandih, bokaro
14	Bokaro		2502	Imamul Hai Urdu H/S Siwandih, bokaro
15	Bokaro		2503	Mad. Ghausia Faizul Islam Bharra, Bokaro
16	Bokaro		2504	Urdu H/S Bharra, Bokaro
17	Bokaro	SBI Tenughat	2505	Middle School Khetko Peterwar, Bokaro

18	Koderma	SBI Telaiya	2601	Mad. Ahmadia Jainahgar Koderma
19	Palamu	Palamu	3101	Urdu Girls H/S Daltonganj, Palamu
20	Palamu		3102	Mad. Ahsanul Uloom Daltonganj, Palamu
21	Palamu		2103	Urdu Girls H/S Daltonganj, Palamu
22	Palamu	SBI Panki Palamu	3104	Harbansh Girls H/S Panki] Palamu
23	Garhwa	Garhwa	3201	Govind H/S Garhwa
24	Jamshedpur	Jamshedpur	5101	Urdu Middle School Dhatkidih, Jamshedpur
25	Dumka	Dumka	4101	Zila H/S. Dumka
26	Deoghar	Madhupur	4201	M.L.G.H.S. Madhupur, Deoghar
27	Deoghar	Madhupur	4202	Mad. Islamia Madhupur, Deoghar
28	Deoghar		4203	Shyam Prasad Mukherjee H.S Madhupur, Deoghar
29	Sahebganj	Sahebganj	4301	Public HS Sahebganj
30	Sahebganj	Rajmahal	4302	J.K. H/S Rajmahal, Sahebganj
31	Sahebganj	SBI Barharwa	4303	Millat H/S Srikund Barharwa, Sahebganj
32	Sahebganj	SBI Rajmahal	4304	Mad. Darul Uloom Piyarpur Amanat, Udhwa, Shabganj
33	Sahebganj	SBI Rajmahal	4305	Mad. Kalimia Aminia Lakhipur, Rajmahal, Sahebganj
34	Sahebganj	SBI Borio	4306	Mad. Noorul Hoda Borio, Sahebganj
35	Pakur	Pakur	4401	Urdu Middle School Haridanga, Pakur
36	Pakur	Bank of Baroda	4402	Mad. Mazharul Uloom

		Birkitty		Radipur, Pakur
37	Pakur	Bank of Baroda Sangrampur	4403	Mad. Qumrul Hoda Sangrampur, Pakur
38	Godda	Godda	4501	Govt. Girl's H/S Godda
39	Godda		4502	+2 H/S Godda
40	Godda		4503	Mad. Islamia Asanbani Godda
41	Godda	SBI Dighi	4504	Mad. Hussainia Tajweedul Quran Dighi, Godda
42	Godda	SBI Gopichak Pathergama	4505	Mad. Quamrul Koriyanahat pathergama, Godda
43	Godda	SBI Boarijore Saraiya	4506	Mad. Misbhul Uloom Saraiya, Godda
44	Jamtara	Jamtara	4601	J.B.C. Jamtara

6. निर्णय लिया गया कि इटर विज्ञान परीक्षा में Biology (Botany +Zoology) का Total Marks रख जाय।

अनुमोदित

ह/–	ह/–
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,	झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची	राँची

Jharkhand Academic Council, Ranchi

Minutes of the meeting of the Building Committee held on 19.04.2006 at 11.30 a.m. in the Council.

Member present

1- Dr. S. Yadav	- Chairman
2- Prof. R.B. Singh	- Member
3- Prof. Dukha Bhagat	- Member
4- Prof. K.K. Mishra	- Member
5- Sri. K.K. Harodia	- Invitee
6- Prof. M.S.Khan	- Invitee
7- Sri Phool Singh	-Invitee
8- Sri B.K. Verma	-Expert Member
9- Sri Shiv Kumar	- Expert Member
10-Sri M.D. Virnave	- Architect
11-Sri C.K. Tripathi	- Secretary
12-Smt. Abha Kusum Tirkey	- Officer on Special Duty

The Chairman welcomed the Members and the Members gave their introductions.

1. The minutes of the meeting of the Building Committee held on 18-02-2006 were confirmed.
2. To select eligible tenderers for the proposed construction of Administrative building, Auditorium, VIP Guest House, Chairman's Bungalow, Service Block and other facilities for Jharkhand Academic Council, New Campus at Namkum on the basis of the Technical Bids (Part –I) received from 6 tenderes on 30.03.2006.

1. The tender Committee presented the comparative statement and the site inspection report on the Technical Bid (Part-I) of the following tenderers.

i M/s. Hindustan Steelworks Construction Ltd, Kadru, Ranci

ii M/s. Kamala Construction Co., Bokaro

iii M/s. B.T. Hirani, Gandhinagar, Ranchi

iv M/s. Acme Construction Co. Mahavir Tower, main Road, Ranchi

v M/s. N.B.C.C., Ranchi

vi M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd., Ranchi

2 The members deliberated on both the documents, and the qualifying requirements given in the NIT was explained by the Architect Shri. M.D. Virnave.

3 It was found that the Technical Bid of the following tenderers do not meet the qualifying criteria given in the N.I.T.

i M/s. Hindustan Steelworks Construction Pvt. Ltd. Kadru Ranchi

ii M/s. Kamala Construction Co., Bokaro

iii M/s. N.B.C.C., Ranchi

iv M/s. N.B.C.C., Ranchi

v M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd., Ranchi

4 M/S. B.T. Hirani and M/S. Acme Construction., meet all qualifying criteria given in the N.I.T.

5 The Chairman informed that a confidential letter to the Chief Engineer, Building Construction Department, Govt. of Jharkhand was sent requesting him to give his comments about the performances of the six tenderers. The copy of the reply of the Chief Engineer was circulated among the members of the building committee.

6 In light of the comparative statement, site visit report and the letter of the Chief Engineer, the Committee felt that only the above mentioned 2 tenderers should be called for opening of the Part-II (Commercial bid) and asked the tender committee to submit their recommendation, which was submitted and accepted by the Building Committee "it was resolved that the Part-II (Commercial Bid) of M/s. B.T. Hirani and Acme construction co. should be opened"

7 It was decided that the Pary-II (Commercial Bid) of the tender will be opened on 25-04-2006 at 11 a.m in the Office of the Jharkhand Academic Council and the above mentioned 2 qualifying tenderers should be informed about it by Regd. Post, Telephone, Fax and by hand deliver; so that they may be present at the time of opening of the Part-II (Commercial Bid) off the tender.

The meeting concluded with the Chairman expressing his thanks to the members of the building committee.

Approved.

(C.K. Tripathi)	(S.Yadav)
Secretary	Chairman

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

आज दिनांक 22.04.2006 को प्रो० मिसिर उरांव की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में झारखण्ड की संस्कृति, लोक कथा, महापुरूषों की जीवन, आदि सम्मिलित करने हेतु गठित समिति एवं कार्यशाला विषय विशेषज्ञों की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

उपस्थिति

1.	प्रो० मिसिर उरांव	– अध्यक्ष
2.	श्री शालिग्राम यादव	– परिषद् अध्यक्ष
3.	प्रो० आर०पी० साहु	– सदस्य
4.	डॉ० रोज केरकेट्टा	– सदस्य
5	निदेशक प्राथमिक शिक्षा	
6.	श्री सलिल वरण कुण्डु	– सदस्य
7.	श्री गोबर्धन कुमार अधिकारी	– सदस्य
8.	श्री रंजीत मोहन	– सदस्य
9.	श्री अशोक कुमार	– सदस्य
10.	डॉ० निखिल चन्द्र दास	– सदस्य
11.	डॉ० दिलेश्वर चन्द्र दास	– सदस्य
12.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
13.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यवाही प्रारंभ होने पर अध्यक्ष महोदय ने आज की बैठक की अध्यक्षता के लिये प्रो० मिसिर उरांव के नाम का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

1. समिति की दिनांक 18.03.2006 की बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट किया गया।
2. विभिन्न विषयों पर प्राप्त पांडुलिपियों पर विचार को विषयवार एवं वर्गवार संकलित करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक उपसमिति बनाई जाय।

1.	प्रो० मिसिर उरांव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० शंति खलखो	– सदस्य
3.	प्रो० सलिल बरण कुण्डु	– सदस्य

यह भी निर्णय लिया गया कि इसके लिए उपसमिति की बैठक दिनांक 24.04.2006 को 3 बजे अपराह्न में बुलाई जाय।

3. श्री सलिल बरण कुण्डु से अनुरोध किया गया कि झारखण्ड की भौगोलिक स्थिति पर पाण्डुलिपि तैयार कर दिनांक 24.04.2006 तक अवष्य परिषद् को भेज दें ताकि संकलन का काम उस दिन की बैठक में किया जा सके।
4. निर्णय लिया गया कि संकलित पाण्डुलिपि की प्रति समिति के सभी सदस्यों को भेजते हुए समिति की अगली बैठक मई, 2006 में बुलाई जाय ताकि परिषद् की अनुशंसा राज्य सरकार को जल्द से जल्द भेजी जाय।

ह/–	ह/–	ह/–
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)	(श्री मिसिर उरांव)
सचिव,	परिषद् अध्यक्ष,	अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,	झारखण्ड अधिविद्य परिषद,	
राँची	राँची	

Jharkhand Academic Council, Ranchi

Member present

1-	Dr. S. Yadav	- Chairman
2-	Prof. Dukha Bhagat	- Member
3-	Prof. K.K. Mishra	- Member
4-	Sri. K.K. Harodia	- Invitee
5-	Dr. Dineshanand Goswami	- Invitee
6-	Prof. M.S.Khan	- Invitee
7-	Prof. Tarakant Shukla	-Invitee
8-	Sri Phool Singh	-Invitee
9-	Sri Shiv Kumar	- Expert Member
10-	Sri M.D. Virnave	- Architect
11-	Sri C.K. Tripathi	- Secretary

The Chairman welcomed the members.

1. The Minutes of the meeting of the Building Committee held on 19-04-2006 were confirmed.
2. The Minutes of the meeting of the Tender Committee held on 25.04.2006 together with comparative Statement of the Committee accepted the recommendation of the Tender Committee and resolved that the Tender of M/S. B.T. Hirani should be accepted as they are lower of the two qualifying Tenderers. It was decided that the above mentioned Tenderer should be called for negotiation.
3. The letters of three Tenderers received regarding objections/requests for reconsideration including their Bids in the list of successful Tenderers of Technical Bids were placed before the Committee.

   The Architect explained the reasons for which their Tenders were not found fit to be accepted and their commercial Bids have not been opened. Only the criteria given in the NIT have been considered for accepting or rejecting the Tenders.

   The Committee felt that there is no reason to give reply to the letters of three Tenderers.

4. The letter dated the 24th April 06 received from Sri B.K. Verma, Retd. Chief Engineer was placed before the Building Committee and resolved that the request of Sri Verma be accepted.

(Copy Enclosed)

The meeting ended with a vote of thanks.

Approved.

(C.K. Tripathi)	(S.Yadav)
Secretary	Chairman

MINUTES OF THE MEETING OF THE TENDER COMMITTEE HELD ON 25-04-2006 IN THE COUNCIL OFFICE

The following members were present in the meeting.

1. Shri C.K. Tripathy, Secretary, JAC
2. Shri Shiv Kumar, Dist Engineer,
3. Shri M.D. Virnave, Architect.

Two Tenderers who qualified in the Technical Bid (Part-I) were called for opening of their Commercial Bid (Part-II).

The sealed envelopes of part –II were opened in front of the Representative of M/S. Acme Construction Co. and M/s. B.T.Hirani

M/s. Acme Construction co. has quoted for

- Part A of BOQ - Scheduled item of works : @ 5.25% above rates
- Part B – Non Scheduled item of works : Rs. 264,15,266/-

M/s. B.T. Hirani has quoted for

- Part A of BOQ - Scheduled item of works : @ 4.88% above the rates

Part B – Non Scheduled item of works : Rs. 261,33,699/-

The tender committee examined the supplementary papers submitted by the 2 tenderers as required by the Building Committee vide letter no. JAC/756/06 dtd. 21.04.2006.

COMPARATIVE STATEMENT OF COMMERCIAL BID (PART –II) OF THE SUCCESSFUL TENDERERS OF PART – I (TECHNICAL BID) RECEIVED FOR THE PROPOSED CONSTRUCTION OF THE NEW CAMPUS OF JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL AT NAMKUM, RANCHI

Name of the tenderer	**Rate/Amont quoted by Tenderer**		**Rate/Amount corrected after Scrutiny**	
	Rate Quoted for part A of BOQ of Scheduled items	Rate quoted for Part B of BOQ of Non Scheduled items	Rate Quoted for Part of BOQ of Scheduled items	Rate quoted for Part B of BOQ of Non Scheduled items
M/s. Acme Construction Co.	**5.25%** above the estimated rate	264,15,266.00	**5.25%** above the estimated rate (L-2)	264,15,346.00 (L-2)

M/s. B.T. Hirani	**4.88%** above the estimated rate	261,33,699.00	4.88% above the estimated rate (L-1)	261,33,699.00 (L-2)

The tender committee has examined the various documents and photographs submitted in resoponse to letter No. JAC/756/06 dt. 21.04.2006 and found them to be in order

Recommendation:

The Tender committee recommends the name of M/s. B.T. Hirani as their Financial bid is lowerst

(C.K. Tripathy)	**(Shiv Kumar)**	**(M.D. Virnave)**
Secretary, JAC	**Dist. Engineer**	**Architect**

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 07.05.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
3.	श्री लक्ष्मण कु० सिंह उपशिक्षा निदेशक (मा०)	– सदस्य
4.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
5.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
6.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
7.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
8.	प्रो० के० के० मिश्र	– सदस्य
9.	श्री केशव कुमार हडौदिया	– सदस्य
10.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
11.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी
12.	श्री एम० डी० विर्नवे	– वास्तुविद

बैठक प्रारंभ होने पर अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को स्वागत किया।

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	परिषद् की दिनांक 22.03.2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।
2	परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 28.03.2006 एवं दिनांक 08.04.2006 की बैठक की कार्यवाहियों का अनुमोदन	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
3.	परिषद् की भवन निर्माण समिति की दिनांक 19.04.2006 एवं 04.05.2006 की बैठक की कार्यवाहियों का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
4.	अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद् के क्षेत्रीय–कार्यलय, दुमका के लिए एक मारूति ओमनी गाड़ी रु०	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।

	2,43,000/– (दो लाख तैतालीस) हजार रुपये) मात्र की लागत पर खरीद के आदेश की संपुष्टि।	
5.	विशेष सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2 (ख)/यो–12/2005–313 दिनांक 30.03.2006 जो राज्य में महिला शिक्षा के विकास हेतु स्नातकोत्तर तक छात्राओं को निःशुल्क (शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क) शिक्षा प्रदान करने के संबंध में है, पर विचार।	निर्णय लिया गया कि सरकार के निर्देश का अनुपालन किया जाय।
6	विशेष सविच, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2171 दिनांक 19.08.2005 जो महाविद्यालयों के डिग्री प्रभाग से इंटर का बैंक खाता अलग करने के संबंध में है, के कार्यान्वयन पर विचार।	निर्णय लिया गया कि सरकार के निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि नये खाता का संचालन प्राचार्य एवं वरसर के सुयुक्त हस्ताक्षर से किया जया।
7	वर्ष 1984–85 एवं 1988–1989 में खुले प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालयों की छात्राओं को माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सूचीकरण के प्रश्न पर विचार।	निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों की सूची के अनुरूप सभी उच्च विद्यालयों (बालक एवं बालिका विद्यालयों) के छात्रों एवं छात्राओं का सूचीकरण किया जाय।
8.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा के आधार पर उर्सूलाइन इंटर विद्यालय, पुरूलिया रोड, राँची क सत्र 2006–08 के लिए तीनों संकायों में स्थापना अनुज्ञा प्रदान किए गये आदेश की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जया।
9.	नेहरू महिला महाविद्यालय, चन्दौर, तेतुलमारी, धनबाद की सत्र 2006–08 के लिए तीनों संकायों में स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार।	निर्णय लिया गया कि शिक्षा सत्र 2006–08 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में स्थापना अनुज्ञा इस शर्त्त के साथ दी जाय कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा कर लें।

10.	स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉजेज, रतनपुर, टुण्डी, धनबाद की शिक्षा सत्र 2006–2008 के लिए तीनों संकायों में स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार।	निर्णय लिया गया कि शिक्षा सत्र 2006–08 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में स्थापना अनुज्ञा इस शर्त्त के साथ दी जाय कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा कर लें।
11.	शहीद निर्मल महतो इंटर कॉलेज, दुमदुमी, नीमडीह, सरायकेला, खरसवाँ में कला संकाय में गृह विज्ञान एवं समाजषास्त्र विषय की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति पर विचार।	निर्णय लिया गया कि कला संकाय में गृह विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय क पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति दी जाय।

12. गांधी इंटर महाविद्यालय, लातेहार से संबंधित मामले को परिषद् की अगली बैठक में रखा जाय।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त की गयी।

अनुमोदित

ह/–
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 16.05.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
3.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
4.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
5.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
6.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
7.	श्री ई० बाड़ा	– विशेष पदाधिकारी

क्र० सं०	**कार्यसूची**	**निर्णय**
1	श्री राजेष कुमार, सहायक, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को निलंबन से मुक्त कर क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में प्रतिनियोजन/स्थानान्तरण करने के संबंध में विचार।	निम्नलिखि निर्णय लिये गयेः– 1. तत्काल प्राभाव से कार्य ग्रहण की अनुमति और क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में स्थानांतरण किया जाय। 2. अनुपस्थित अवधि का सामंजन देय अर्जित/चिकित्सा अवकाश में और शेष दिनों का सामंजन किसी तरह के अवकाश अर्जित करने पर किया जाय। 3. अनुपस्थित अवधि का भुगतान अवकाश स्वीकृति के बाद किया जाय। 4. एक वेतन वृद्धि रोक दी जाय। 5. भवष्यि में सतर्क एवं कार्यपर तत्पर रहने की चेतावनी दी जाय।
2	स्व० रामलाल, स्वीपर, के पुत्र शंकर कुमार की अनुकम्पा के आधार पर स्वीपर के पद पर रु० 2550– 55 – 2660 – 60 – 3200 के वेतनमान में अस्थायी नियुक्ति के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि स्व० रामलाल के पुत्र भी शंकर कुमार को अनुकम्पा के आधार पर तदर्थ रूप में चतुर्थ वर्ग के पद पर 2550–55–2660– 66– 3200 के वतनमान में राज्य सरकार द्वारा पद स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यरत की तिथि अर्थात् 02.12.2005 से नियुक्त किया जाय।
3.	स्व० महिपाल महतो, दैनिक पारिश्रमिक भोगी चालक के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित घोषणाओं को परिषद् के अनुमोदनार्थ अनुशंसित किया जायः– 1. अनुग्रह अनुदान के रूप में

	दो लाख रुपया का भुगतान किया जाय। 2. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनकी पत्नी को परिषद् की सेवा में नियुक्त किया जाय। 3. दस हजार रूपये दाह संस्कार एवं श्राद्ध के लिये अनुदान स्वरूप भुगतान– जिसे भुगतान कर दिया गया है।
4 श्री डिप्टी राय, वरीय सहायक को ए०सी०पी० का लाभ देने के संबंध में विचार।	निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः– 1. बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना से सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की मांग विशेष दूत से अविलंब की जाय। 2. यदि वहां से निर्धारित अवधि में सेवा पुस्तिका नहीं प्राप्त होती है तो पूर्व के निर्णयानुसार यही पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार की जाय। 3. ए०सी०पी० का लाभ देने का प्रस्ताव स्थापना समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
5. दैनिक पारिश्रामिक पर नियुक्त के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया और 65 (पैंसठ) कर्मचारियों की दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति का प्रस्ताव राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार परिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसित किया जाय।

अनुमोदित

ह/–	ह/–
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,	झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची	राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

<u>संलेख</u>

विषय :— श्री राजेश कुमार, सहायक, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची को निलंबन से मुक्त कर क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में प्रतिनियोजन /स्थानान्तरण करने के संबंध में।

श्री राजेश कुमार, सहायक, परिषद् कार्यालय में बिना पूर्व सूचना दिये कार्यालय से अनुपस्थित रहे। इस कार्यालय के ज्ञापांक 3364/05 दिनांक 26.09.2005 के द्वारा इन्हें क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका प्रतिनियोजन किया गया। श्री कुमार को दिनांक 30.09.2005 को विरमित होकर दिनांक 01.10.2005 तक निश्चित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में योगदान देने का आदेश दिया गया। लेकिन उस आदेश का पालन उन्होंने नहीं किया और अबतक उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में योगदान नहीं दिया।

(2) कार्यालय आदेश ज्ञापांक 3753/05 दिनांक 18.11.2005 के द्वारा श्री राजेष कुमार सहायक को आदेश की अवहेलना एवं कर्त्तव्यहीनता के आरोप में तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया और आदेश ज्ञापित कर यह भी आदेश दिया गया कि ये अपनी उपस्थिति मुख्यालय में स्थित सहायक सचिव कक्ष में प्रतिदिन अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे।

(3) परिषद् द्वारा प्रेस विज्ञप्ति संख्या — 133/2005 के द्वारा आवष्यक सूचना ज्ञापित कर उन्हें यह सूचित किया गया कि वे अविलम्ब प्रभार सौंपकर क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में अपना योगदान दिनांक 09.11.2005 तक सुनिश्चित करें अन्यथा बाध्य होकर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

(4) श्री राजेश कुमार, सहायक, पर सर्वप्रथम अवज्ञा का आरोप है कि उन्होंने अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए आदेश निदेष की अवहेलना की है साथ ही उन्होंने बिना पूर्वानुमति लिये कार्यालय में अनुपस्थित रहे हैं।

(5) श्री कुमार का अभ्यावेदन मेडिकल नुस्खा के साथ दिनांक 07.04.2006 को प्राप्त हुआ है जिसमें जिक्र किया है कि अस्वस्थ्यता के कारण दिनांक 22.09.2005 से 26.03. 2006 तक लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहे। अनुपस्थिति के कारण निलंबित कर दिया गया। उन्होनें अपना अभ्यावेदन में स्पष्ट किया है कि उनकी तबीयत 20.09.2005 के अपराह्न में कार्यालय में ही खराब हो चुकी थी जिसकी सूचना उन्होंने आवेदन के माध्यम से दे दिया था जिसकी छायाप्रति भी उनके द्वारा संलग्न किया गया है जिसपर विशेष पदाधिकारी (स्थापना) श्री ई0 बाड़ा का हस्ताक्षर है।

अतः यह विषय परिषद् की स्थापना समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित है।

ह/—
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)
सचिव

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

संलेख

स्व0 रामलाल राम स्वीपर के पद पर 2610–60–3150–65–3540 के वेतनमान में नियमित कर्मचारी के रूप में सृजित पद पर कार्यरत थे। झारखण्ड राज्य बनने के उपरान्त इनकी सेवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से विघटित, झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद् अब झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को प्राप्त हुई। इनका निधन दिनांक 16.09.2005 को सेवा काल के अन्तर्गत हुआ।

स्व0 राम के एकलौता पुत्र शंकर कुमार की शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक उत्तीर्ण और जन्मतिथि 01.02.1986 है। चूँकि स्व0 राम सृजित पद पर नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, इसलिए उनके पुत्र शंकर कुमार को नियमित वेतनमान – 2550–55–2660–3200 में अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है। अगर इनकी सेवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में होती तो इनके पुत्र को यह सुविधा हस्तगत होती। ऐसे शंकर कुमार को दिनांक 02.12.2005 की तिथि से संविदा के आधार पर 2500/– मासिक मानदेय पर कार्य लिया जा रहा है। अतः इस मामले को विचारार्थ परिषद् की बैठक में रखा जा रहा है।

ह/–
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 27.05.2006 की बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या–29

उपस्थिति

1. डॉ0 शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2. प्रो0 दुखा भगत – सदस्य
3. डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
4. प्रो0 आर0 बी0 सिंह – सदस्य
5. डॉ0 ताराकांत शुक्ल – सदस्य
6. प्रो0 एम0 एस0 खाँ – सदस्य
7. श्री फूल सिंह – सदस्य
8. प्रो0 के0 के0 मिश्र – सदस्य
9. श्री केशव कुमार हड़ौदिया – सदस्य
10. श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी – सचिव
11. श्रीमती आभा कुसुम तिर्की – विशेष कार्य पदाधिकारी

क्रमांक	कार्य सूची	निर्णय
1.	परिषद की दिनाांक 07.05.2006 की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ सम्पुष्ट किया जायः– 1. मद संख्या 5 – यह भी निर्णय लिया गया कि मान्यता प्राप्त इंटर महाविद्यालय/ माध्यमिक विद्यालय में ही परीक्षा शुल्क नहीं देने की छुट दी जाय।
2.	स्थापना समिति की दिनांक 16.05. 2006 की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित संशोधनों के साथ इसे

अनुमोदित किया जायः—

1. मद संख्या 1 का अंश '1' निम्न रूप में पढ़ा जायः—

1. तत्काल प्रभाव से निलंबन उठाते हुए कार्य ग्रहण की अनुमति दी जाय और उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दुमका में स्थानान्तरण किया जाय।

2. मद सं0 4 का अंश '2' निम्नरूप में पढ़ा जायः—

यदि वहाँ से निर्धारित अवधि जून 2006 तक नियमित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका नहीं प्राप्त होती है तो पूर्व के निर्णयानुसार यहीं पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार की जाय।

3. मद सं0 5 का निम्नरूप में पढ़ा जायः—

''निर्णय लिया गया कि और 65 (पैसठ) कर्मचारियों की दैनिक पारिश्रमिक पर तृतीय वर्ग में नियुक्ति का प्रस्ताव राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार परिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसित किया जाय।''

यह भी निर्णय लिया गया कि नीति निर्धारण एवं अन्य मुद्दों पर निर्णय हेतु स्थापना समिति की बैठक में रखा जाय जिसकी बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाय।

3.	सचिव के दिन–प्रतिदिन के कार्य में सहुलियत के लिये एक अम्बेस्डर गाड़ी खरीदने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि एक अम्बेस्डर गाड़ी खरीदी जाय।
4.	इंटरमीडिएट (+2) सत्र 2006–08 की प्रथम वर्ष कला, विज्ञाण एवं वाणिज्य की कक्षाऐं दिनांक 03.07.2006 से प्रारंभ करने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
5.	श्री बादशाह प्रसाद आजाद एवं महाविद्यालय सचिव के सहमति पत्र के आलोक में शिवेसर बादशाह प्रसाद आजाद चन्द्रवंशी इंटर कॉलेज मझिआंव, गढ़वा (स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालय) का नाम 'शिवेसर चन्द्रवंशी इंटर कॉलेज मझिआंव, गढ़वा' परिवर्त्तन करने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि श्री बादशाह प्रसाद आजाद से एक लिखित शपथ–पत्र लेकर महाविद्यालय का नाम परिवर्त्तन किया जाय।
6.	गाँधी इंटर कॉलेज लातेहार को सत्र 2005–07 के लिए कला संकाय में एक सेक्शन (128) सीट वृद्धि तथा विज्ञान एवं वाणिज्य की प्रस्वीकृति की अनुशंसा (निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर) के संबंध में विचार (स्थगित मद)।	अनुमंडला पदाधिकारी–सह –सचिव के पत्रांक 174/06 दिनांक 16.05.2006 के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः– 1. गाँधी इंटर कॉलेज, लातेहार में सत्र 2005–07 के लिये कला संकाय में एक सेक्शन सीट (128) की वृद्धि की जाय तथा विज्ञान एवं वाणिज्य की प्रस्वीकृति निर्धारित शर्त्तों के साथ राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी जाय। 2. माननीय परिषद सदस्य प्रो0 के0 के0 मिश्र के जाँच प्रतिवेदन की ही मान्यता दी जाय।

7.	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002 की धारा–1 (2) (झ) के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1104, दिनांक 18.05.2006 द्वारा प्रेषित प्रस्तावित उच्च विद्यालयों को स्थापना अनुमति देने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि निरीक्षण शुल्क रू0 6000/– (छः हजार रूपया) लेकर विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि निरीक्षण दल में परिषद के एक माननीय सदस्य और जिला शिक्षा पदाधिकारी को नामित किया जाय।
8.	Under Age के कारण वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2006 का परीक्षाफल with held कर दिया गया है, के मामले पर विचार।	निर्णय लिया गया कि संबंधित विद्यार्थियों से जन्मतिथि के संबंध में निम्नलिखित अभिलेखों की मांग की जायः– 1.विद्यालय से जन्मतिथि प्रमाण–पत्र 2.प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से जन्मतिथि प्रमाण–पत्र 3. असैनिक शल्यचिकित्सक से जन्मतिथि प्रमाण–पत्र।
9.	राज्य संपोषित उच्च विद्यालय, घाघरा (गुमला) के 42 छात्रों के परीक्षाफल प्रकाशन के संबंध में विचार।	पूर्व में परिषद के दिनांक 22. 03.2006 के संकल्प सं0 6 में लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए निर्णय लिया गया कि संबंधित छात्रों का भ्छठ के साथ परीक्षाफल प्रकाषित किया जाय किंतु यह कोई पूर्वोदाहारण नहीं माना जायेगा।

अनुमोदित।

ह/–
(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)
सचिव

ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

<u>संलेख</u>

स्व० महिपाल महतो परिषद् कार्यालय में लगभग दो वर्षों से चालक के पद पर दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत थे। सेवा पर ही (ऑन डियूटी) दिनांक 26.04.2006 को दो बजे रात्रि में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी।

अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 27.04.2006 को दाह संस्कार के अवसर पर माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की उपस्थिति में निम्नलिखित घोषणाएँ की :–

(1) दो लाख रूपये अनुग्रह अनुदान का भुगतान।

(2) शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनकी पत्नी को परिषद् की सेवा में नियुक्ति।

(3) दस हजार रूपये दाह संस्कार एवं श्राद्ध के लिये अनुदान स्वरूप भुगतान – जिसे भुगतान कर दिया गया है।

यह विषय परिषद् की स्थापना समिति के समक्ष सम्पुष्टि के लिए रखा जा रहा है।

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 27.05.2006 की बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या–29

उपस्थिति

1. डॉ0 शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2. प्रो0 दुखा भगत – सदस्य
3. डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
4. प्रो0 आर0 बी0 सिंह – सदस्य
5. डॉ0 ताराकांत शुक्ल – सदस्य
6. प्रो0 एम0 एस0 खाँ – सदस्य
7. श्री फूल सिंह – सदस्य
8. प्रो0 के0 के0 मिश्र – सदस्य
9. श्री केशव कुमार हड़ौदिया – सदस्य
10. श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी – सचिव
11. श्रीमती आभा कुसुम तिर्की– विशेष कार्य पदाधिकारी

क्रमांक	कार्य सूची	निर्णय
1.	परिषद की दिनाांक 07.05.2006 की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ सम्पुष्ट किया जायः– 1. मद संख्या 5 – यह भी निर्णय लिया गया कि मान्यता प्राप्त इंटर महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय में ही परीक्षा शुल्क नहीं देने की छुट दी जाय।
2.	स्थापना समिति की दिनांक 16.05.2006 की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित संशोधनों के साथ इसे अनुमोदित किया जायः– 1. मद संख्या 1 का अंश '1' निम्न रूप में पढ़ा जायः–

		1. तत्काल प्रभाव से निलंबन उठाते हुए कार्य ग्रहण की अनुमति दी जाय और उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दुमका में स्थानान्तरण किया जाय। 2. मद सं0 4 का अंश '2' निम्नरूप में पढ़ा जायः– यदि वहाँ से निर्धारित अवधि जून 2006 तक नियमित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका नहीं प्राप्त होती है तो पूर्व के निर्णयानुसार यहीं पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार की जाय। 3. मद सं0 5 का निम्नरूप में पढ़ा जायः– ''निर्णय लिया गया कि और 65 (पैसठ) कर्मचारियों की दैनिक पारिश्रमिक पर तृतीय वर्ग में नियुक्ति का प्रस्ताव राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार परिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसित किया जाय।'' यह भी निर्णय लिया गया कि नीति निर्धारण एवं अन्य मुद्दों पर निर्णय हेतु स्थापना समिति की बैठक में रखा जाय जिसकी बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाय।
3.	सचिव के दिन–प्रतिदिन के कार्य में सहुलियत के लिये एक अम्बेस्डर गाड़ी खरीदने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि एक अम्बेस्डर गाड़ी खरीदी जाय।
4.	इंटरमीडिएट (+2) सत्र 2006–08 की प्रथम वर्ष कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षायें दिनांक 03.07.2006 से प्रारंभ करने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
5.	श्री बादशाह प्रसाद आजाद एवं महाविद्याालय सचिव के सहमति पत्र के आलोक में शिवेसर बादशाह प्रसाद	निर्णय लिया गया कि श्री बादशाह प्रसाद आजाद से एक लिखित सपथ–पत्र लेकर

	आजाद चन्द्रवंशी इंटर कॉलेज मझिआंव, गढ़वा (स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालय) का नाम 'शिवेसर चन्द्रवंशी इंटर कॉलेज मझिआंव, गढ़वा' परिवर्त्तन करने के संबंध में विचार।	महाविद्यालय का नाम परिवर्त्तन किया जाय।
6.	गाँधी इंटर कॉलेज लातेहार को सत्र 2005–07 के लिए कला संकाय में एक सेक्शन (128) सीट वृद्धि तथा विज्ञान एवं वाणिज्य की प्रस्वीकृति की अनुशंसा (निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर) के संबंध में विचार (स्थगित मद)।	अनुमंडला पदाधिकारी–सह –सचिव के पत्रांक 174/06 दिनांक 16.05.2006 के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः– 1. गाँधी इंटर कॉलेज, लातेहार में सत्र 2005–07 के लिये कला संकाय में एक सेक्शन सीट (128) की वृद्धि की जाय तथा विज्ञान एवं वाणिज्य की प्रस्वीकृति निर्धारित शर्त्तों के साथ राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी जाय। 2. माननीय परिषद सदस्य प्रो0 के0 के0 मिश्र के जाँच प्रतिवेदन की ही मान्यता दी जाय।
7.	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002 की धारा–1 (2) (झ) के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1104, दिनांक 18.05.2006 द्वारा प्रेषित प्रस्तावित उच्च विद्यालयों को स्थापना अनुमति देने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि निरीक्षण शुल्क रू0 6000/– (छः हजार रूपया) लेकर विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि निरीक्षण दल में परिषद के एक माननीय सदस्य और जिला शिक्षा पदाधिकारी को नामित किया जाय।
8.	Under Age के कारण वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2006 का परीक्षाफल with held कर दिया गया है, के मामले पर विचार।	निर्णय लिया गया कि संबंधित विद्यार्थियों से जन्मतिथि के संबंध में निम्नलिखित अभिलेखों की मांग की जायः– 1. विद्यालय से जन्मतिथि प्रमाण–पत्र 2. प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से जन्मतिथि प्रमाण–पत्र 3. असैनिक शल्यचिकित्सक से जन्मतिथि प्रमाण–पत्र।

9.	राज्य संपोशित उच्च विद्यालय, घाघरा (गुमला) के 42 छात्रों के परीक्षाफल प्रकाशन के संबंध में विचार।	पूर्व में परिषद के दिनांक 22.03.2006 के संकल्प सं0 6 में लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए निर्णय लिया गया कि संबंधित छात्रों का HNB के साथ परीक्षाफल प्रकाषित किया जाय किंतु यह कोई पूर्वोदाहारण नहीं माना जायेगा। अनुमोदित।

ह/–
(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)
सचिव

ह/–
(श्री शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 09.06.2006 की बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या – 30

उपस्थिति

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
3.	प्रो0 दुखा भगत	–	सदस्य
4.	प्रो0 के0 के0 मिश्र	–	सदस्य
5.	प्रो0 ताराकान्त शुक्ल	–	सदस्य
6.	श्री ए0 के0 मुखर्जी उप शिक्षा निदेशक, (मा0 षि0)	–	सदस्य
7.	प्रो0 आर0 बी0 सिंह	–	सदस्य
8.	प्रो0 एम0 एस0 खाँ	–	सदस्य
9.	श्री फूल सिंह	–	सदस्य
10.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव
11.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–	विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व स्व0 बिरसा मुण्डा के शहादत दिवस के अवसर पर परिषद् के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया।

क्रमांक	कार्य सूची	निर्णय
1.	परिषद् की दिनांक 27.05. 2006 की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित संशोधनों के साथ इसे सम्पुष्ट किया जाय :–

		1. दिनांक 07.05.2006 का मद संख्या 5 निम्न रूप में पढ़ा जाय :– यह भी निर्णय लिया गया कि मान्यता प्राप्त इंटर महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय में ही छात्राओं को परीक्षा शुल्क नहीं देने की छूट दी जाय। 2. दिनांक 27.05.2006 का मद संख्या 5 पर पुनर्विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री बादशाह प्रसाद आजाद के दिनांक 17.05.2006 के पत्र के आलोक में कॉलेज का नाम परिवर्त्तन ''शिवेसर चन्द्रवंशी इंटर कॉलेज, मझिआंव, गढ़वा किया जाय।
2.	नेषनल करिकुलम फ्रेम वर्क (एन0सी0एफ0) के तहत सी0बी0एस0ई0 द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम को नवम् एवं इन्टरमीडिएट प्रथम वर्ष (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) ग्यारहवीं कक्षा के लिए शिक्षा सत्र 2007–2008 से लागू करने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे सत्र 2007–2008 से लागू करने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम पुनरीक्षण हेतु विशेषज्ञों की समिति बनाई जाय और पुस्तकों की अनुशंसा राज्य सरकार को अलग से भेजी जाय।
3.	वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2005 की परीक्षा के लिए मूल्यांकन के क्रम में दी गयी अग्रिम राशि के सांमजन पर विचार।	निर्णय लिया गया कि सामंजन के लिये सख्त कार्रवाई की जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि 15 दिनों का समय देकर अग्रिम सामंजन का पत्र निर्गत किया जाय।
4.	पूरक/सम्पूरक परीक्षा, 2006 के तिथि निर्धारण एवं परीक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि निम्न कार्यक्रम के अनुरूप परीक्षा का आयोजन किया जाय :–
5.	परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में विभिन्न मदरसा प्रबंध समिति द्वारा की गई नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्योत्तर सम्पुष्टि।	निर्णय लिया गया कि निम्न संलेख के आलोक में इसे सम्पुष्ट किया जाय :–

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

संलेख संख्या

विषय – मदरसा प्रबन्ध समिति द्वारा की गई नियुक्ति/प्रोन्नति का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

राज्य अवस्थित अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसे में षिक्षण कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे मद्देनजर रखते हुए परिषद के अनुमोदन की प्रत्याषा में मदरसा प्रबन्धन समिति द्वारा की गई नियुक्ति/प्रोन्नति को कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है, जो निम्नवत हैः–

क्र0 स0	मदरसे का नाम	प्रबन्ध समिति द्वारा की नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा (पदनाम)	नाम एवं पिता का नाम
1	मदरसा मिसबाहुल उलूम सरैया, गोड्डा।	फाजिल के स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्ति।	1. श्री मो0 अब्दुर रउक अंसारी पिता मो0 रेजाउर रहमान
2	मदरसा सेराजुल उलूम नरोत्तमपुर, पाकुड़।	प्रधान मौलवी एवं मौलवी के स्वीकृत रिक्त पद पर प्रोन्नति।	1. श्री मो0 अब्दुल खालिफ पिता बहरुददीन 2. श्री मो0 नसीम अख्तर पिता मो0 शमसुज्जुहा
3.	मदरसा नुरुल इस्लाम नया आमतल्ला गगन पहाड़ी, पाकुड़।	हाफिज के स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्ति।	1. श्री मो0 एनुल हक पिता मो0 नजाम उददीन
4	मदरसा फैजुल उलुम धात्तकीडीह जमशेदपुर।	मौलवी, लिपिक एवं आदेशपाल के स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्ति।	1. श्री मो0 इम्तियाज अहमद पिता मो0 रौजान अली 2. श्री मो0 मुख्तार पिता मो0 शम्सउददीन 3. श्री मेराजुल हक अंसारी पिता मो0 एज्जाब अली
5.	मदरसा जामिया हुसैनिया, गिरिडीह।	फाजिल, के दो मौलवी, आई0 ए0 हाफिज एवं आदेशपाल के एक–एक स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्ति।	1. श्री सगीर अहमद पिता अब्दुर रसीद 2. श्री शमसाद आलम पिता अब्दुल जलील 3. श्री अब्दुल लतीफ पिता अब्दुस सगीर 4. श्री अबुजफर आदिल पिता गुलाम मुर्तजा 5. श्री अब्दुस समद पिता गुलाम रसुल 6. श्री यूसूफ अंसारी पिता मो0 युनुस अंसारी

6.	27 मई, 2006 को इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षाफल घोषित करते हुए माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग ने यह घोषणा की थी कि वर्ष 2006 से डा0 राधाकृष्णन कैष एवार्ड (नगद पुरस्कार) माध्यमिक परीक्षा में मेधा सूची के अनुसार 10 उत्तीर्ण छात्रों को दिये जाने के संबंध में विचार।	. निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
7.	उल्लेखनीय है कि माध्यमिक परीक्षा, 2006 में संत माईकल नेत्रहीन विद्यालय की 05 छात्र/छात्रायें परीक्षा में सम्मिलित हुए और पाँचों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की। इन छात्र/छात्राओं को भी डा0 राधा कृष्णन कैश एवार्ड (नगद पुरस्कार) दिये जाने पर विचार।	निर्णय लिया गया कि जॉन मिल्टन के नाम पर परिषद् की ओर से विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि पुरस्कार राशि निर्धारण हेतु परिषद् की आगामी बैठक में रखा जाय।
8.	माध्यमिक विद्यालय की स्थापना अनुमति के लिये निरीक्षण दल में दो सदस्यों को रखने का निर्णय परिषद की गत बैठक में लिया गया था। प्रस्ताव है कि तीसरे सदस्य के रूप में निकटतम राजकीय/राजकीयकृत/प्रस्वीकृत अल्प संख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी इस दल में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
9.	माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना अनुमति हेतु आवेदित विद्यालयों, जिसकी संचिका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से परिषद को प्राप्त हुई है, उनमें से वैसे भी कुछ विद्यालय हैं जिनका जिला शिक्षा पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक है, उन विद्यालयों का पुनः निरीक्षण न कराकर प्राप्त अभिलेखों एवं प्रतिवेदन के आधार पर स्थापना अनुज्ञा देने पर विचार करने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि इसे प्रस्वीकृति समिति में रखा जाय।

10.	सामाजिक विकास समिति, . बरही, हजारीबाग के पत्र के आलोक में अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त रहित) मदरसों के स्वतंत्र छात्रों का पंजीयन कराने की अनुमति देने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे स्थगित रखा जाय।
1.	डेफोडिल्स इन्टर महिला महाविद्यालय बारीडीह, जमशेदपुर को सत्र 2005–07 के लिए स्थापना अनुज्ञा अवधि विस्तार करते हुए डेफोडिल्स इन्टर महाविद्यालयों के नाम से सह शिक्षा प्रदान करने संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा पर विचार।	निर्णय लिया गया कि सत्र 2005–2007 के लिए परिवर्तित नाम – डेफोडिल्स इन्टर महाविद्यालय के नाम से महाविद्यालय को नयी स्थापना अनुज्ञा प्रदान किया जाय।
12.	गुलमोहर इन्टर कॉलेज, हजारीबाग की प्रस्वीकृति के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि निरीक्षण दल की अनुशंसा के आधार पर सत्र 2006–2008 से दो सत्रों के लिए कला एवं विज्ञान संकाय में प्रस्वीकृति की अनुशंसा राज्य सरकार में भेजी जाय तथा वाणिज्य संकाय में सत्र 2006–2008 के लिए पढ़ाई जारी रखने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दिया जाय कि वे एक वर्ष के अन्दर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों यथा छात्र संख्या में वृद्धि, इत्यादि को पूरा करें।
13.	लालू प्रसाद महिला महाविद्यालय, . राँची की स्थापना अनुज्ञा के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि निरीक्षण दल की अनुशंसा के आधार पर सत्र 2006–2008 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्थापना अनुज्ञा इस

		शर्त्त के साथ दिया जाय कि वे एक वर्ष के अन्दर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा करें।
14.	अन्नदा महाविद्यालय, हजारीबाग में सत्र 2006–2008 के लिए तीनों संकायों में निर्धारित सीट संख्या 384–384–384 के अतिरिक्त दो–दो सेक्शन सीट वृद्धि (निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर) करने पर विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे स्वीकृत किया जाय, किन्तु 640 से अधिक नामांकन नहीं लिया जाय।
15.	देवधारी मेहता इन्टर कॉलेज, . रोमी, हजारीबाग की स्थापना अनुज्ञा के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि कॉलेज स्थापना हेतु प्रस्ताव करने वाली संस्था सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही विचार किया जाय।
16.	बी0 डी0 कॉलेज, भरकट्ठा, गिरिडीह की प्रस्वीकृति के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि सत्र 2006–2008 के लिए प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा किए जाने की शर्त्त पर इस महाविद्यालय को कला संकाय में स्थापना अनुज्ञा प्रदान किया जाय।
17.	जे0 एन0 कॉलेज, धुर्वा, राँची में इन्टर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्तर्गत बायोटेक्नोलोजी, (48 सीट), इन्फोंमेसन प्रैक्टिसेज तथा हेल्थ केयर एण्ड ब्यूटी कल्चर की पढ़ाई की अनुमति प्रदान करने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमति प्रदान की जाय।
18.	शहीद शक्ति नाथ महतो	निर्णय लिया गया कि परिषद् द्वारा

स्मारक इन्टर महाविद्यालय, सिजुआ, धनबाद के प्राचार्य के पत्र पर महाविद्यालय का नाम में 'इन्टर' शब्द को हटाकर इंटर परीक्षा, 2006 का अंकपत्र, इत्यादि निर्गत करने के संबंध में विचार।	इन्टर की प्रस्वीकृति की अनुशंसा राज्य सरकार में भेजी गयी है, अतः महाविद्यालय में 'इन्टर' शब्द का समावेश रहेगा। इस आषय की सूचना प्राचार्य को दे दी जाय कि भविष्य में वे 'इन्टर' शब्द जोड़कर ही परिषद् में पत्राचार करें। यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षाफल का प्रकाशन शहीद शक्ति नाथ महतो स्मारक इन्टर महाविद्यालय, सिजुआ के नाम से ही किया जाय।

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के प्रति सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

अनुमोदित।

ह/–	ह/–
(चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(श्री शालिग्राम यादव)
सचिव	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद की परीक्षा समिति की दिनांक 16.06.2006 की बैठक की कार्यवाही

<u>उपस्थिति</u>

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0बी0 सिंह	–	सदस्य
3.	श्री फूल सिंह	–	सदस्य
4.	प्रो0 एम0एस0 खाँ	–	सदस्य
5.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
6.	प्रो0 दुखा भगत	–	आमंत्रित सदस्य
7.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव
8.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–	विशेष कार्य पदाधिकारी

क्रमांक	कार्यसूची	निर्णय
1.	इन्टमीडिएट विज्ञान 2006 की वार्षिक परीक्षा में रौल कोड 9205 रौल नं0 10218, जो टाटा कॉलेज, चाईबासा का अनुसूचित जनजाति वर्ग का छात्र है, के रसायन शास्त्र के प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक के संबंध में विचार जिसमें 12 अंक देकर फिर काटकर 04 अंक दिया गया और छात्र अनुत्तीर्ण हो गया।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विषय विशेषज्ञ प्रो0 आर0बी0 सिंह की लिखित अनुशंसा के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा में 12 अंक मानते हुए संशोधित परीक्षा फल प्रकाशित किया जाय।

2.	झारखण्ड अधिविद्य परिषद के पत्रांक JAC/CC/086/05 दिनांक 09.08.2005 के आलोक में इंटरमीडिएट वाणिज्य 2006 के लेखांकन विषय में परीक्षार्थियों को अनुपस्थित घोषित किये जाने पर विचार।	निर्णय लिया गया कि एकांउटेंसी पाठ्यक्रम के अनुसार 20 अंक के प्रोजेक्ट में जिन्हें अनुपस्थित दिखाया गया है उनके द्वारा 80 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा के प्राप्तांक को 100 अंक के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाय और संशोधित परीक्षा फल प्रकाशित किया जाय। चूँकि यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर इंटरमीडिएट की प्रथम परीक्षा है यह लाभ दिया जाय किंतु यह कोई पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि पुनः सभी प्रधानाचार्यों को स्मार पत्र देते हुए अनुरोध किया जाय कि पाठ्यक्रम के संबंध में परिषद के निर्देशों का कठोरता से अनुपालन किया जाय ताकि 2007 की परीक्षा में ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो। (पत्र की प्रति उद्धृत)

झारखण्ड अधिविद्य परिषद,राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Birsadih, Hawai Nagar, Khunti Road
Hatia , Ranchi – 834003
Ph.:- 0651-2502131, 2502141,2502192
Fax :- 2502175
बिरसाडीह ,हवाई नगर ,खुंटी रोड़
राँची – 834003
फोन : 0651–2502131,2502141,2502192
फैक्स :– 2502175

Ref………………….. **Date………………….**

To

The Principals of Degree college / Inter +2 School imparting I. Com Teaching.

Sub :- Clarification of Accountancy Syllabus of I.Com XII Ex. 2006.

Sir / Madam,

Attention is invited to the syllabus of Accountancy (I.Com 2nd Year 2006 Exam). Accountancy paper is divided in two parts. Part A countains the Partnership and Company Account, Sixty Marks have been allotted to this part. Part B contains the Analysis of Financial Statements. This part is divided in 3 units. Units 6.1 and 6.2 are of 20 marks in which Theory based questions will be asked in the examination. Unit 6.3 is of 20 marks in which project work in involved. This project work will be completed by institutions form which students will appear. Marks will be allotted by the teachers appointed by the institutions on the basis of project work / Report and be submitted by them to Council soon after the completion of the Annual Examination of 2006. **The Council will conduct the examination of 80 marks only.**

Further, we would like to point out at this place that as per syllabus students may opt for Computerized Accountancy **in place of** Analysis of Financial Statements. **If Colleges are interested in imparting teaching of Computerised Accountancy in place of Analysis of financial Statements,** adequate provision for computer teaching should be made by the colleges, because there is a provision of practical also containing 20 marks. After internal assessment marks will be submitted by the colleges to the Council soon after completion of the Annual Exam of 2006. **Hence availability of computer and instructor is essential.**

The institutions must keep the above clarifications in mind.

Yours faithfully

Sd/-
(K.N. Gope)
Special Officer
(Academic)
Jharkhand Academic
Council, Ranchi.

3.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतिरूप (पैटर्न) पर परीक्षा अवधि में संशोधन यथा संलेख (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में वर्णित है, के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि संलेख में वर्णित संशोधनों को अपना (एडौप्ट) लिया जाय और 2007 की परीक्षा से लागू किया जाय। (संलेख की प्रति संलग्न)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ने दसवीं एवं बारहवीं के छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए प्रश्न–पत्र के अवलोकन के लिए 15 (पन्द्रह) मिनट अतिरिक्त समय का प्रावधान किया है। तदनुरूप झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ने निम्नलिखित निर्णय लिया है जिसका अक्षरशः अनुपालन केन्द्राधीक्षक, वीक्षक एवं परीक्षार्थियों द्वारा किया जाएगाः

1. इस प्रावधान के अंतर्गत परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में 9.30 बजे प्रातः प्रवेष करेंगे। दसवीं की परीक्षा में प्रश्न–पत्र सह उत्तर–पुस्तिका का प्रावधान है। प्रश्न–पत्र सह उत्तर–पुस्तिका उन्हें 9.30 से 9.45 बजे तक उपलब्ध करा दी जाएगी। परीक्षार्थी मुख–पृष्ठ पर अपना रोल कोड एवं रोल नं० तथा अन्य सूचना लिखेंगे। **प्रश्न–पत्र सह उत्तर– पुस्तिका कदापि नहीं खोलेंगे।**

2. 9.45 मिनट पर घंटी बजते ही परीक्षार्थी प्रश्न–पत्र सह उत्तर–पुस्तिका खोलेंगे एवं 9.45 से 10.00 बजे तक शांत वातावरण में प्रश्न–पत्र का निर्विध्न अवलोकन एवं मनन करेंगे।

3. 10.00 बजे घंटी बजेगी एवं परीक्षा प्रारंभ होगी एवं परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर लिखने में लग जायेंगे।

4. परीक्षा की समाप्ति की घंटी 1.00 बजे बजेगी। परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका वीक्षक को समर्पित करेंगे।

इसी भांति द्वितीय पाली में होने वाली बारहवीं की परीक्षा में परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में 1.45 बजे प्रवेष करेंगे। 1.45 से 2.00 बजे तक उत्तर–पुस्तिकाएँ परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दी जायेंगी। परीक्षार्थी मुख–पृष्ठ पर अपना रोल कोड एवं रोल नं० एवं अन्य सूचना लिखेंगे।

2. 2.00 बजे परीक्षार्थी को प्रश्न–पत्र उपलबध करा दिए जायेंगे।
   2.00 से 2.15 मिनट तक शांत वातावरण में प्रश्न–पत्र का निर्विध्न अवलोकन एवं मनन करेंगे।

3. 2.15 बजे घंटी बजेगी एवं परीक्षा प्रारंभ होगी एवं परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर लिखने में लग जायेंगे।

4. परीक्षा की समाप्ति की घंटी 5.15 बजे बजेगी। परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका वीक्षक को समर्पित कर देंगे।

In order to free the students of classes X and XII from the stress and strain of final examinations the C.B.S.E, Delhi has made provision for 15 minutes of extra time for reading the question paper only. Similarly the Jharkhand Academic Council, Ranchi has taken the following decisions which have to be meticulously followed:

1. As per this provision examinees will enter the examination hall at 9.30 a.m. In the class X Examination there is the provision for question paper-cum answer booklet and the same will be distributed to them from between 9.30 to 9.45 a.m. The examinees will write their Roll Codes and Roll Nos. and other things during this time but **they must not open the question paper-cum- answer booklets.**
2. At 9.45 a.m. when the bell rings, examinees will start reading the question paper without any disturbance and calm be maintained in the examination hall.
3. At 10.00 a.m. as soon as the bell goes, the examination shall start and examinees will start writing their answers.
4. At 1.00 p.m. with the ring of the bell, the examination is over and examinees will submit the answer books to the invigilators.

Similarly the examinations of class XII scheduled to be held in the second sitting examinees will enter the examination hall at 1.45 p.m. Between 1.45 to 2.00 p.m. answer books will be distributed to the examinees. Examinees will write the Roll Code and Roll No. and other pertinent details.

2. At 2.00 p.m. question papers will be distributed to examinees. From 2.00 to 2.15 p.m. examinees will read the questions paper without any disturbance, and calm will be maintained in the examination hall.
3. As soon as the bell rings at 2.15 p.m. the examination will start and examinees will start writing their answers.
4. With the ring of the bell at 5.15 p.m., the examination will come to an end. Examinees will submit the answer books to the invigilators.

अनुमोदित।

ह/–	ह/–
(चन्द्रकांत त्रिपाठी)	(श्री शालिग्राम यादव)
सचिव	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद की स्थापना समिति की दिनांक 19.06.2006 की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
3.	प्रो0 दुखा भगत	–	सदस्य
4.	प्रो0 आर0बी0 सिंह	–	सदस्य
5.	प्रो0 एम0एस0 खाँ	–	सदस्य
6.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव
7.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–	विशेष कार्य पदाधिकारी
8.	श्री ई0 बाड़ा	–	विशेष पदाधिकारी

बैठक प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया।

क्रमांक	कार्यसूची	निर्णय
1.	दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार।	निर्णय लिया गया कि तृतीय वर्ग में कुल 114 (35+65+14 पूर्व का आरक्षित कोटा = 114) पदों पर नियुक्ति की प्रकिया राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार निम्न रूप में किया जाय :– 1. सामान्य वर्ग – 50 पद 2. अन्य पिछड़ा वर्ग – 10 पद 3. अनुसूचित जनजाति – 30+14 = 44 पद 4. अनुसूचित जाति – 10 पद 2. नियुक्ति हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र ''राँची एक्सप्रेस'' में दिनांक 30.06.2006 को Walk-in Interview के रूप में विज्ञापित किया जाय। 3. पूर्ण विवरणी एवं संबंधित दस्तावेजों के साथ दिनांक 01.07.2006 को 4 बजे अपराह्न तक आवेदन आमंत्रित किया जाय। 4. साक्षातकार (Walk-in Interview) की तिथि निम्न रूप में निर्धारित की जाय :– (क) दिनांक 02.07.2006 – 11.30 बजे पूर्वाह्ण से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के लिये। (ख) दिनांक 03.07.2006 – 11.30 पूर्वाह्ण से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये। (ग) दिनांक 04.07.2006 – 11.30 बजे पूर्वाह्ण से सामान्य वर्ग के लिये।

(घ) अंक विभाजन :–

1. योग्यता – प्रथम श्रेणी – 05 अंक
   द्वितीय श्रेणी – 03 अंक
   तृतीय श्रेणी – 02 अंक
2. अनुभव :– 10 अंक
   (कार्य अनुभव को प्रमुखता दी जायेगी)
3. मौखिक – 25 अंक
   कुल अंक – 50 अंक

यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका की नियुक्ति के मामले को भी राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार प्रक्रिया में लाया जाय।

अनुमोदित।

ह/–	ह/–
(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)	(शालिग्राम यादव)
सचिव	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 21.06.2006 की बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या – 31

उपस्थिति

1.	डॉ0 शालिग्रम यादव	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0 बी0 सिंह	–	सदस्य
3.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
4.	प्रो0 दुखा भगत	–	सदस्य
5.	प्रो0 एम0 एस0 खाँ	–	सदस्य
6.	प्रो0 ताराकांत शुक्ल	–	सदस्य
7.	प्रो0 के0 के0 मिश्र	–	सदस्य
8.	श्री फूल सिंह	–	सदस्य
9.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–	विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया।

क्र0सं0	कार्यसूची	निर्णय
1.	परिषद् की दिनांक 09. 06.2006 की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ सम्पुष्ट किया जाय :– 1. संकल्प संख्या 07 का अनुच्छेद प्रथम निम्नरूप में पढ़ा जाय – ''निर्णय लिया गया कि परिषद् की ओर से विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाय।'' 2. देवघर के एक नेत्रहीन छात्र जिसने भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की है, का भी नाम जोड़ा जाय।

		3. संकल्प संख्या 15 का निर्णय निम्न रूप में पढ़ा जाय – (क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधन का प्रतिबंध दिनांक 01.06.06 से लागू माना जाय। (ख) इस महाविद्यालय को सत्र 2006–2008 के लिये प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा किये जाने की शर्त्त पर कला संकाय में स्थापना अनुज्ञा प्रदान किया जाय।
2.	परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 16.06.2006 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया जाय – 1. कार्य सूची क्रमांक 02 में ''लेखांकन विषय'' के बाद ''प्रोजेक्ट वर्क'' जोड़ा जाय। 2. कार्य सूची क्रमांक 03 के संलेख में द्वितीय पाली की परीक्षा 1.45 बजे के बदले 2.00 बजे से शुरू की जाय और 5.15 बजे के बदले 5.30 बजे परीक्षा समाप्ति की घंटी बजेगी। तद्नुसार अन्य समयों में संशोधित माना जाय।
3.	परिषद् की स्थापना समिति की दिनांक 19.06.2006 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि परिषद् की स्थापना समिति की दिनांक 19.06.2006 की बैठक की कार्यवाही निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया जाय :– 1. निर्णय क्रमांक 4 (घ) में अंक निर्धारण

		के लिये स्नातक योग्यता उच्चत्तम तथा इंटर निम्नत्तम माना जाय। 2. पास श्रेणी के लिये 01 अंक रखा जाय।
4.	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संबद्धता के संबंध में विचार।	निम्न बिन्दुओं एवं संलेख के आधार पर विभिन्न प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण में निम्न रूप में निर्णय लिये गये :– (विभिन्न बिंदु एवं संलेख की प्रति संलग्न)

मद संख्या – 04

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की सम्बद्धता के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाय :–

(1) इस तरह के महाविद्यालयों को राज्य सरकार से अनापति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है अथवा नहीं।

(2) अगर निर्गत हुआ है तो इस आधार पर एन0सी0टी0ई0 द्वारा स्वीकृति के लिए बनायी गयी समिति में राज्य सरकार शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं।

(3) अगर हुआ है तो उस समिति की अनुशंसा पर महाविद्यालय को स्वीकृति मिली है या नहीं।

उपर अंकित इन्हीं तीनों बिन्दुओं के आधार पर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में परिषद् निर्णय लेना चाहेगी।

——— X ———

मद संख्या 04

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सम्बद्धता हेतु संलेख

1.	डी0 ए0 भी (कपिल देव) इनस्टीट्यूट ऑफ शिक्षक एजूकेशन, कडरू, राँची	महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अनापति प्रमाण पत्रांक 3388 दिनांक 17.12.04 के द्वारा प्राप्त है जो संचिका के पृष्ठ 17/सी पर संलग्न है। अनापति प्रमाण पत्र के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.) के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है जो संचिका के पृष्ठ 18/सी पर संलग्न है। जिसका पत्रांक ERC/07–62.5.1/2005/1399 (1) है।
2.	देव संघ ई0प्रा0शि0शि0 महावि0, देवघर	महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अनापति प्रमाण पत्र पत्रांक 2701 दिनांक 17.11.05 के द्वारा प्राप्त है जो संचिका के पृष्ठ 15/सी पर संलग्न है। अनापति प्रमाण पत्र के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.) के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है जो संचिका के पृष्ठ 14/सी पर संलग्न है। जिसका पत्रांक ERC/07-55.6 (8)/2005 /1270 (1) है।
3.	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय गुरूवा, सीतागढ़, हजारीबाग	महाविद्यालय को बिहार सरकार पटना द्वारा अनापति प्रमाण पत्र पत्रांक 111/B 1–1/60E/227 दिनांक 3 फरवरी 1960 के द्वारा प्राप्त है जो संचिका के पृष्ठ 36/सी पर संलग्न है। अनापति प्रमाण पत्र के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.) के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है जो संचिका के पृष्ठ 31/सी पर संलग्न है। जिसका पत्रांक FNo. 2799 (12) 11.2. 97 है।
4.	उर्सुलाइन प्राथमिक शि0 शि0 महा0 वि0, लोहरदगा	महाविद्यालय ने आवेदन पत्र के साथ अनापति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृति प्राप्त है जिसका पत्रांक FN 2807 दिनांक 12.2.97 है। महाविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ था अतः उस समय अनापति प्रमाण पत्र का प्रावधान नहीं था।
5.	एस0 पी0 जी0 मिशन महिला प्रा0शि0शि0 महाविद्यालय, राँची	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृति पत्र मिला है जिसका पत्रांक FN 2807 दिनांक 12.2.97 है जो संचिका के साथ संलग्न है। महाविद्यालय 1907 में स्थापित हुआ था अतः उस समय अनापति प्रमाण पत्र का प्रावधान नहीं था।

6.	बेथेसदा महिला प्रा0 शि0 शि0 महाविद्यालय, राँची	महाविद्यालय के आवेदन पत्र के साथ अनापति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। यह महाविद्यालय 1952 का है जिसका प्रमाणक पृष्ठ 11/सी पर संलग्न है पत्रांक 30546B दिनांक 28.12.1951 है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्वीकृति पृष्ठ 9/पी पर है। जिसका पत्रांक 2807 दिनांक 12.02.1997 है। महाविद्यालय 1952 में स्थापित हुआ था अतः उस समय अनापति प्रमाण पत्र का प्रावधान नहीं था। संलेख में वर्णित प्रशिक्षण महाविद्यालयों को 2006 परीक्षा से सम्बद्धता प्रदान की जाय एवं इनकी नियमित परीक्षाओं का आयोजन परिषद् द्वारा किया जाय और राज्य सरकार को इसकी सूचना भेज दी जाय।
5.	सामाजिक विकास समिति, बरही, हजारीबाग के पत्र के आलोक में अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त रहित) मदरसों के स्वतंत्र छात्रों का पंजीयन कराने की अनुमति देने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि ऐसे मदरसों को स्वतंत्र छात्रों का पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाय। (वित्त सहित एवं वित्त रहित मदरसों की जिलावार सूची संलग्न)।

श्रींतींदक ।बंकमउपब ब्वनदबपसए त्ंदबीप

Category of Madarsa		**No. of Madarsa**
Aided Madarsa		
1027 & 226 Categories	-	170
52 Categories	-	18
Total No. of Aided Madarsa	-	188
Non Aided Madarsa		
Co-ed Madarsa	-	503
Madarsatul Banat (Girls Madarsa)	-	71
Total No. of Non Aided Madarsa	-	574

Grand Total – 188+574= 762

District–wise	Aided Madarsa	Non Aided Madarsa
1. Ranchi	02	16
2. Gumla	01	02
3. Lohardaga	Nil	02
4. Hazaribagh	15	58
5. Giridih	03	24
6. Dhanbad	04	23
7. Chatra	02	06
8. Bokaro	04	09
9. Koderma	03	01
10. Palamu	04	38
11. Garhwa	01	10
12. Latehar	Nil	05
13. Dumka	03	19
14. Deoghar	03	14
15. Sahebganj	43	99
16. Pakur	28	147
17. Godda	67	83
18. Jamtara	02	10
19. Jamshedpur	02	08
20. Chaibasa	01	01
	188	**574**

6.	स्वामी सहजानन्द इन्टर कॉलेज, चास, बोकारो	निर्णय लिया गया कि न्यायालय के अंतिम निर्णयाधीन

के तीन निलंबित कर्मचारियों (श्री नित्यानन्द रब्बास, प्रधान सहायक (2) श्री सच्चिदानन्द शर्मा, लेखा सहायक (3) श्री परमेष्वर शर्मा, काउन्टर लिपिक) को निलम्बन मुक्त करने के संबंध में विचार।

शासी निकाय द्वारा इन कर्मचारियों का निलम्बन आदेश वापस लिया जाय परन्तु इन कर्मचारियों को महाविद्यालय के पूर्व पदों पर पदस्थापित नहीं किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद् अधिवक्ता से विधि सम्मति राय लेकर परिषद् द्वारा आगे की कार्यवाई की जाय। (संलेख की प्रति संलग्न)।

<u>मद संख्या – 06</u>

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख

विषयः– स्वामी सहजानन्द इन्टर कॉलेज चास, बोकारो के तीन निलम्बित कर्मचारियों को निलम्बन मुक्त करने के संबंध में।

परिषद पत्रांक JAC/Coll Estt/0099/05, दिनांक 28.09.2005 के द्वारा संबंधित महाविद्यालय के सचिव को निर्गत पत्र पर दिनांक 12.12.05 को महाविद्यालय तदर्थ समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के तीन कर्मचारी (1) श्री नित्यानन्द ख्वास, प्रधान सहायक (2) श्री सच्चिदानन्द शर्मा, लेखा सहायक तथा (3) श्री परमेष्वर शर्मा, काउन्टर लिपिक को इस आरोप पर निलम्बित किया गया है कि उनके ऊपर गबन का मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लम्बित है, इसलिए माननीय न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक तत्काल प्रभाव दिनांक 14.12.05 से उन्हें निलम्बित किया जाता है।

वहीं दूसरी ओर इन तीनों कर्मचारियों द्वारा परिषद् में आवेदन देकर यह अनुरोध किया गया है कि वेतन के अभाव में उनके सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है। शुल्क जमा नहीं कर पाने के कारण बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इस स्थिति में हमलोग तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन तीनों का कहना है कि जब हमलोगों का निलम्बन परिषद् द्वारा किया गया है तो क्यों न परिषद् कार्यालय के समक्ष ही आत्मदाह कर श्रीमान् के सामने जीवन लीला समाप्त कर दिया जाय।

महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य द्वारा भी यह आग्रह किया गया है कि उपरोक्त तीनों कर्मचारियों का मामला न्यायालय में लम्बित है। परन्तु तीनों कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची से अग्रिम जमानत एवं माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चास, बोकारो से जमानत मिल चुका है। ऐसी परिस्थिति में तीनों कर्मचारियों का निलम्बन वापस करते हुए नियमित सेवा में रखने की कृपा की जाय। प्रभारी प्राचार्य द्वारा परिषद् को प्रेषित उक्त अभ्यावेदन पर

माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गयी है।

उक्त तीनों कर्मचारियों द्वारा परिषद् में आवेदन देकर यह अनुरोध किया है कि यह मामला वर्ष 2002 का है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत मिल चुका है। परिषद पत्र के आधार पर निलम्बन हुआ है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उनके भयावह स्थिति को एवं आर्थिक संकट से गुजर रहे स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन के संबंध में उन्हें निलम्बन मुक्त करने के अनुरोध पर विचारार्थ परिषद के समक्ष रखा जा रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि दिनांक 23.06.2006 के पूर्व उनका निलम्बन वापस नहीं होने पर बाध्य होकर दिनांक 23.06.2006 को 12.00 बजे दिन में परिषद कार्यालय के समक्ष आत्मदाह कर जीवन लीला समाप्त कर देनी पड़ेगी।

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची।

7.	संलेख में वर्णित 06 पदाधिकारी/कर्मचारियों को ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि सभी मामलों को जाँचोपरान्त परिषद् की अगली बैठक में रखा जाय (संलेख की प्रति संलग्न)।

मद संख्या – 7 का संलेख

वित्त विभाग के संकल्प संख्या – 3/एस0–6/प्रोन्नति/02/2002–5207/वि0, राँची दिनांक 14.08.2002 ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत वेतनमान का लाभ पानेवाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति।

क्र0सं0	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम	नियुक्ति तिथि	12 वर्ष पूरा करने की तिथि	वर्त्तमान वेतनमान	ए0सी0पी0 का लाभ पाने पर वर्त्तमान वेतनमान
1.	श्री यूजिन मिंज, सहायक सचिव	04.01.1994	04.01.2006	6500–200–10,500/–	7500–250–12,000/–
2.	श्री महिमानन्द पाण्डेय, सहायक	12.03.1985	12.03.1997	5500–175–9000/–	6500–200–10,500/–
3.	श्री मणि भूषण झा, सहायक	28.03.1992	28.03.2004	5500–175–9000/–	6500–200–10,500/–
4.	श्री विलियम बाड़ा, आशुलिपिक	19.06.1992	19.06.2004	5500–175–9000/–	6500–200–10,500/–
5.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, दि0 लि0	26.03.1992	26.03.2004	4000–100–6000/–	4500–125–7000/–
6.	श्री जगन्नाथ राम, पदचर	01.08.1977	01.08.2001 (चौबीस वर्ष)	2550–55–2660–60–3200	2610–60–3150–65–3540

उपरोक्त पदाधिकारी/कर्मचारी पूर्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना में कार्यरत थे। कैडर विभाजन के तहत उन्हें विघटित झारखंड माध्यमिक परीक्षा परिषद्, राँची में सेवा सौंपी । वर्त्तमान में झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची में कार्यरत हैं। इन पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत संचिका एवं अन्य सभी संचिकाएँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा विघटित झारखंड माध्यमिक परीक्षा परिषद्, राँची को भेज दी है, साथ ही इनका सभी पावना यहाँ भेजा जा चुका है। इसलिए ये वित्तीय उत्तक्रमण के हकदार हैं।

ह0/–	ह0/–	ह0/–
सहायक	प्रशाखा पदाधिकारी	विशेष कार्य पदाधिकारी

8.	उन तेरह चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को मानदेय देने के संबंध में विचार जिन्हें 2005–2006 में निर्धारित वेतनमान एवं अन्य सुविधायें दी गयी है।	निर्णय लिया गया कि सभी कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को एक समान मानदेय दिया जाय।
9.	श्री अमित कुमार रोल न0 30525, रौल कोड – 9115 (Ranchi College, Ranchi) के 2006 वार्षिक इंटर कला परीक्षा के मनोविज्ञान के प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् इस पर विचार करना संभव नहीं है।

अनुमोदित।

ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्री शालिग्राम यादव)
विशेष कार्य पदाधिकारी	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की परीक्षा समिति की दिनांक 07.07.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
3.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
4.	डॉ० तारा कान्त शुक्ल	– सदस्य
5.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–विशेष कार्य पदाधिकारी
6.	डॉ० के० एन० गोप	– विशेष पदाधिकारी (शै०)
7	डॉ० सुनील कुमार	– विशेष पदाधिकारी (परीक्षा)

कार्यवाही प्रारंभ होने पर अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया।

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	इंटरमीडिएड (पुराने पाठ्यक्रम की संपूरक परीक्षा, 2006 की तिथि निर्धारण के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इस परीक्षा का आयोजन दिनांक 17.08.2006 से किया जाय और तदनुसार विज्ञपित किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रों की संख्या के आधार पर प्रत्येक प्रमंडल में एक–एक केंद्र निर्धरित किया जाय।
2.	विस्थापित इंटर महाविद्यालय, बालीडीह, बोकारो स्टील सीटी के इंटरमीडिएट विज्ञान (पुराने पाठ्यक्रम) 2006 (वार्षिक) परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के संबंध मं विचार।	निर्णय लिया गया कि चूंकि महाविद्यालय ने काफी विलंब (परीक्षाफल प्रकाशन के बाद) से दिनांक 05.07.2006 का) प्रायोगिक परीक्षा का अंक भेजा है अतः प्राप्त Marks Foils के लिफाफों को खोला जाय ताकि यह पता चले कि अंक किस तरह से दिये गये हैं। क्या परीक्षाफल (श्रेणी) को प्रभावित करते हैं या नहीं? लिफाफा खोलने के बाद पाया गया कि अप्रत्याशित रूप से (Inflated Marks) अंक दिया गया है और प्रकाशित परीक्षाफल को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाय।
3.	माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट पूरक/संपूरक परीक्षा, 2006 के केन्द्रों के निर्धारण के संबंध में विचार।	निम्नलिखित रूप में निर्णय लिये गयेः– 1. माध्यमिक परीक्षा–यथा प्रस्तावित

अनुमोदित ।

2. इंटरमीडिएट परीक्षा (क) जिला स्कूल, हजारीबाग के बदले में रामगढ़ में एक केंद्र "महात्मा गांधी उच्च विद्यालय", रामगढ़ बनाया जाय और महाविद्यालयों का आवंटन दूरी के अनुरूप किया जाय।

ख धनबाद में गुरूनानक महाविद्यालय, धनबाद को हटाकर "उच्च विद्यालय, धनबाद" केन्द्र बनाया जाय।

ग) शेष यथा प्रस्तावित अनुमोदत। (केंद्र सूची संलग्न)

4. माध्यमिक परीक्षा 2006 (वार्षिक) की स्क्रुटनी के संबंध में विचार।

निर्णय लिया गया कि 07 केन्द्रों से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रुटनी की जाँच नियमानुसार की गयी और संशोधित अंक माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया और जहाँ कोई परिवर्त्तन (No Change) है उसे यथावत मान लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि क्रमांक 4505/59 एवं 4101/392 (कुल दो उत्तरपुस्तिकायें विषय – गणित) संसमय पूर्ण लगती हैं अतः T.R. से इन दोनों क्रमांकों के अन्य विषयों के प्राप्तांक अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अनुमोदित

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

आज दिनांक 29.06.2006 को प्रो० मिसिर उराँव की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में झारखण्ड की संस्कृति, लोक कथा, महापुरूषों की जीवनी, राज्य के इतिहास, राज्य की भौगोलिक स्थिति आदि को सम्मिलित करने हेतु गठित समिति एवं कार्यशाला विशेषज्ञों की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. प्रो० मिसिर उराँव	–	अध्यक्ष
2. डॉ० शालिग्राम यादव	–	परिषद् अध्यक्ष
3. मंजु ज्योत्स्ना	–	सदस्य
4. प्रो० आर० पी० साहु	–	सदस्य
5. डॉ० शांति खलखो	–	सदस्य
6. डॉ० इन्दुधान	–	सदस्य
7. डॉ० प्रकाशचन्द्र उराँव	–	सदस्य
8. डॉ० करमा उराँव	–	सदस्य
9. प्रो० इन्द्रजीत उराँव	–	सदस्य
10.श्री सलिल वरण कुण्डु	–	सदस्य
11.श्री गोबर्द्धन कुमार अधिकारी	–	सदस्य
12.श्री रंजीत मोहन	–	सदस्य
13.श्री अशोक कुमार	–	सदस्य
14.डॉ० निखिल चन्द्र दास	–	सदस्य
15.डॉ० दिलेश्वर प्रसाद	–	सदस्य
16.श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	–	सचिव
17.श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–	विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यवाही प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष महोदय ने आज की बैठक की अध्यक्षता के लिये प्रो० मिसिर उराँव को आमंत्रित किया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

1. विशेषज्ञों की समिति की दिनांक 22.04.2006 की बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया गया।

2. विभिन्न विषयों पर तैयार निम्नांकित पांडुलिपियों पर विचार किया गया–

1. झारखण्ड का भौगोलिक परिवेश।
2. झारखण्ड की लोक नृत्य, लोक गीत एवं वाद्य यंत्र।
3. झारखण्ड की विभूतियाँ।
4. झारखण्ड की लोक कथायें।
5. झारखण्ड के पर्व त्योहार।
6. झारखण्ड की संस्कृति।

विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि '' झारखण्ड की संस्कृति'' विषय की पांडुलिपि को आवष्यकतानुसार संशोधन हेतु प्रो० प्रकाषचन्द्र उराँव, निदेशक, झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची को अधिकृत किया जाय। प्रो० आर० पी० साहु से भी अनुरोध किया गया कि वे अपना सुझाव प्रो० उराँव को दे दें।

यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य शेष विषय की पांडुलिपि को अनुमोदित किया जाय किन्तु प्रो० करमा उराँव से अनुरोध किया जाय कि वे एक बार इन विषयों पर तैयार पांडुलिपियों को देख लें।

3. निर्णय लिया गया कि सभी विषयों पर तैयार पांडुलिपियों को समिति की अगली बैठक में अनुमोदन के लिये रखा जाय जिसकी बैठक दिनांक 17.07.2006 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में बुलाई जाय।

अनुमोदित।

ह / –	ह / –	ह / –
(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)	(श्री मिसिर उराँव)
सचिव	परिषद अध्यक्ष	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद की परीक्षा समिति की दिनांक 18.07.2006 की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0बी0 सिंह	–	सदस्य
3.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
4.	ताराकान्त शुक्ल	–	सदस्य
5.	प्रो0 एम0एस0 खाँ	–	सदस्य
6.	श्री फूल सिंह	–	सदस्य
7.	प्रो0 दुखा भगत	–	आमंत्रित सदस्य
8.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव

कार्यवाही प्रारंभ होने पर अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया।

क्रमांक	**कार्यसूची**	**निर्णय**
1.	परिषद की परीक्षा समिति की दिनांक 07.07.2006 की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे सम्पुष्ट किया जाय। दिनांक 07.07.2006 के निर्णय के आलोक में क्रमांक 4 के अनुच्छेद 2 के रौल कोड एवं क्रमांक 4505/59 एवं 4101/392 के अन्य विषयों के प्राप्तांक का T.R. से जानकारी प्राप्त किया एवं निर्णय लिया गया कि अपरीक्षित प्रश्नोत्तरों की जाँच कराई जाय। यह भी निर्णय लिया कि संबंधित परीक्षकों को परीक्षा कार्य से हटाया (debar) जाय और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आगे की कार्यवाई के लिए पत्र लिखा जाय।

2.	इन्टरमीडिएट (पुराना पाठ्यक्रम) की संपूरक परीक्षा, 2006 के कार्यक्रम का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय जो निम्न रूप में है :–
3.	माध्यमिक परीक्षा 2006 (वार्षिक) की स्क्रुटिनी के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि शेष तेरह (कुल बीस – सात = तेरह) केन्द्रों से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रुटिनी की जाँच नियमानुसार की गई और संशोधित अंक माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया तथा जहाँ कोई परिवर्तन नहीं (No change) है उसे यथावत मान लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित कोडों/क्रमांको के संबंधित परीक्षकों/पुनरीक्षकों को परीक्षा समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाय ताकि वे अपना स्पष्टीकरण दे कि किन परिस्थितियो में ऐसी भूलें हुई :– (1) 2112/558, (2) 1165/782, (3) 2326/307, (4) 2534/224, (5) 4208/640 यह भी निर्णय लिया गया कि जिन परीक्षकों की उत्तरपुस्तिकाओं में भारी भूलें हुई हैं उनको परीक्षक के कार्य से हटाया (Debar) जाय और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आगे की कार्यवाई के लिए पत्र लिखा जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि कोड/क्रमांक 1168/482 एवं 1109/44 को कदाचार जाँच समिति में भेजा जाय।

अनुमोदित।

ह/–	ह/–
(श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी)	(श्री शालिग्राम यादव)
सचिव	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

आज दिनांक 17.07.2006 को प्रो० मिसिर उराँव की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में झारखण्ड की संस्कृति, लोक कथा, महापुरूषों की जीवनी, राज्य के इतिहास, राज्य की भौगोलिक स्थिति, आदि को सम्मिलित करने हेतु गठित समिति एवं कार्यशाला विशेषज्ञों की बैठक हुई जिसमे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	प्रो० मिसिर उराँव	– अध्यक्ष
2.	श्री शालिग्राम यादव	– परिषद् अध्यक्ष
3.	डॉ० मंजु ज्योत्स्ना	– सदस्य
4.	डॉ० प्रकाश चन्द्र उरांव	– सदस्य
5	प्रो० आर० पी साहु	– सदस्य
6.	डॉ० शांति खलखो	– सदस्य
7.	प्रो० इंद्रजीत उरांव	– सदस्य
8.	श्री सलिल बरण कुण्डु	– सदस्य
9	डॉ० निखिल चन्द्र दास	– सदस्य
10	श्री गोबधर्न कुमार अधिकारी	– सदस्य
11	श्री रंजीत मोहन	– सदस्य
12	श्री अशोक कुमार	– सदस्य
13	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यवाही प्रारंभ होने पर अध्यक्ष महोदय ने आज की बैठक की अध्यक्षता के लिय प्रो० मिसिर उरांव को आमंत्रित किया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

1. समिति की दिनांक 29.06.2006 की बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट किया गया
2. डॉ० करमा उरांव से प्राप्त पत्र दिनांक 15.07.2006 का अवलोकन किया गया

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रो० मिसिर उरांव एवं डॉ० मंजु ज्योत्स्ना को अधिकृत किया जाय कि डॉ० राम दयाल मुण्डा एवं डॉ० करमा उराँव से तैयार पाँचों पाण्डुलिपियों पर बात–चीत कर अंतिम निर्णय लें

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रो० आर० पी० साहु एवं डॉ० प्रकाष चन्द्र उराँव से **"झारखण्ड की संस्कृति"** की पाण्डुलिपि में प्राप्त सुझावों एवं संशोधनों पर भी डॉ० मुण्डा की राय प्राप्त की जाय।

अंतिम निर्णय के अनुसार सभी छः पाण्डुलिपियों को राज्य सरकार को भेजा जाय।

अनुमोदित

ह/– (श्रीमती आभा कुसुम तिर्की) प्रभारी सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	ह/– (डॉ० शालिग्राम यादव) परिषद् अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	ह/– (श्री मिसिर उराँव) अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की दिनांक 27.7.2006 की बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या – 32

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
5.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
6.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
7.	प्रो० के० के० मिश्र	– सदस्य
8.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
9.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
10	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

क्र० सं०	**कार्यसूची**	**निर्णय**
1	परिषद् की दिनांक 21.06.2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	परिषद् की दिनांक 21.06.2006 की बैठक की कार्यवाही के कंडिका 2 (2) के बाद निम्नांकित संशोधन के साथ इसे अनुमोदित किया जाय। (क) प्री टेस्ट या सेंट–अप टेस्ट की परीक्षा में भी इसे लागू किया जाय। सभी कोटि के विद्यालयों एवं अन्य महाविद्यालयों में सर्वाधिक परीक्षा एवं क्रियाकलापों को लागू करने के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र दिया जाय।
2.	परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 07.07.2006 एवं 18.07.2006 की बैठकों की कार्यवाहीयों का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।

3.	परिषद् की वित्त समिति की दिनांक 20.07.2006 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
4.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक – 1449, दिनांक 11.07.2006 द्वारा निर्गत पत्र जिसमें 129 इंटर महाविद्यालयों की संचिका झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति नियमावली, 2005 के आलोक में नये सिरे से स्थलीय निरीक्षण कराकर परिषद् की अनुशंसा के साथ भेजने संबंधी परिषद् को प्राप्त पत्र पर विचार।	निर्णय लिया गया कि झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति नियमावली, 2005 एवं संशोधित नियमावली 2006 के आधार पर स्थलीय निरीक्षण के लिये जाँच प्रतिवेदन के प्रारूप को निम्नांकित संशोधन के साथ अनुमोदित किया जायः– (क) कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तरों की सूची में 2004 के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए प्राचार्य शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सूची की मान्यता दी जाय। परिषद् के अनुमोदनापरांत अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो उक्त पत्र की छायप्रति भी उपलबध कराया जाय। (ख) अगर किसी महाविद्यालय में डिग्री स्तर की पढ़ाई अलग–अलग प्राचार्य, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी, कोष, भूमि, भवन, प्रयोगषाला आदि का विवरण मांगा जाय। (ग) निरीक्षण शुल्क के रूप में रु० 5000/– (पाँच हजार रुपये) मान लिया जाय। (घ) सुरक्षा कोष के मद में परिषद् में पूर्व से जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने तथा जिनका सुरक्षा कोष जमा नहीं है यथाशीघ्र जमा करने हेतु एक विज्ञप्ति दी जाय।

(ङ) परिषद् द्वारा तैयार जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति सभी महाविद्यालयों को उपलब्ध करायी जाय।

5. कोल्हान इंटर कॉलेज, चालियामा, सरायकेला–खरसवाँ की सत्र 2006–08 के लिये तीनों संकायों में परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिए गए स्थापना अनुज्ञा आदेश की संपुष्टि।

निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।

6. संत जेवियर्स इंटर महाविद्यालय, ताऊ, बुण्डु, राँची की सत्र 2006–08 के लिए तीनों सकायों में परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिए गए स्थापना अनुज्ञा आदेश की संपुष्टि।

निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।

7. झारखण्ड कॉमर्स कॉलेज, डुमरी के प्राचार्य श्री डेगलाल राम कीी सेवा छह माह के लिए परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में विस्तारित आदेश की संपुष्टि।

निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।

8. विस्थापित महाविद्यालय, बालीडीह, बोकारो में डिग्री से इंटर खण्ड को अलग करने के संबंध में निर्गत परिषद् सत्र पर प्रभारी प्राचार्य द्वारा समय की मांग पर विचार।

निर्णय लिया गया कि डिग्री से इंटर को अलग करने के संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य को दिए गए एक सप्ताह के समय पर अलग न करने की सूचना परिषद् को देने तथा परिषद् निर्देश की अवहेलना करने के कारण सत्र 2005–07 के इंटर के छात्रों का पंजीयन आवेदन एवं उनके द्वारा जमा शुल्क की राशि को वापस कराया जाय तथा वर्त्तमान सत्र 2006–08 में इंटर का नामांकन नहीं लेने का निर्देश दिया जाय।

9.	विस्थापित महाविद्यालय, बालीडीह, बोकारो स्टील सीटी को इंटरमीडिएट (पुराने पाठ्यक्रम) 2006 (वार्षिक) परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि दिनांक 07.07.2006 की परीक्षा समिति का निर्णय ही मान्य है।
10	चन्द्रमोहन यामिनीकांत महतो इंटर कॉलेज, सालबनी, पूर्वी सिंहभूम की सत्र 2006–08 के लिए तीनों संकायों में स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार।	निर्णय लिया गया कि इस महाविद्यालय को सत्र 2006–08 के लिए स्थापना अनुज्ञा वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा कर परिषद् को सूचित करें।
11	परिषद् की दिनांक 09.06.2006 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में नेत्रहीन छात्रों जों 2006 की माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि निर्धारण हेतु विचार।	निर्णय लिया गया कि उन्हें विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 4000/– (चार हजार रुपया) मात्र दिया जाय।
12.	श्री शंकर कुमार जिनकी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर तदर्थ रूप से चतुर्थ वर्ग के पद पर निर्धारित वेतनमान में हुई है, के मामले पर पुनर्विचार।	निर्णय लिया गया कि श्री शंकर कुमार की नियुक्ति में तदर्थ के स्थान पर अस्थायी किया जाय और उसे पदचर के वेतनमान के अलावा मंहगाई तथा अन्य देय भत्ते भी दिया जाय।
13.	हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के प्रवेशिकोतीर्णता की समकक्षता के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि हिन्दी विद्यापीठ देवघर से पाठ्यक्रम तथा प्रवेषिका उत्तीर्णता से संबंधित नियमावली इत्यादि प्राप्त कराया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि एक समकक्षता समिति (Equivalence Committee) बनाई जाय और समकक्षता से संबंधित सभी मामले इसी समिति के माध्यम से परिषद् में रखा जाय।

14	द्वितीयक प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि कार्यपालक दण्डाधिकारी का शपथ पत्र एवं F.I.R. की एक प्रति के साथ उचित माध्यम से आवेदन अग्रसारित कराकर रु० 150/– (एक सौ पचास रुपया) मात्र जमा कराकर द्वितीयक अंकित कर पन्द्रह दिनों के अंदर द्वितीयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
15.	अग्रिम सामंजन के संबंध में विचार।	वित्त समिति की दिनांक 20.07. 2006 के क्रमांक 1 (10) में संशोधित निर्णय लिया गया कि 10 हजार से उपर के मामले में इंटर का सामंजन का निष्पादन सचिव तथा माध्यमिक, मध्यमा एवं मदरसा, स्तर का सामंजन का निष्पादन विशेष कार्य पदाधिकारी के स्तर पर किया जाय।
16.	परिषद् के निम्नांकित छः पदाधिकारी/ कर्मचारियों ए० सी० पी० का लाभ देने के संबंध में विचार। 1.श्री युजिंन मिंज, सहायक सचिव 2.श्री महिमानन्द पाण्डेय, साहयक 3.श्री मणि भूषण झा, सहायक 4.श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, दि०लि० 5.श्री विलियम बाड़ा, आषुलिपिक 6.श्री जगन्नाथ राम, पदचर।	निर्णय लिया गया कि क्रमांक 1 में अंकित श्री यूजिन मिंज सहायक सचिव की सेवा में अगर टूट नहीं (No break is Service) है तथा प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है तो उन्हें यह लाभ प्रदान किया जाय। क्रमांक 2 से 6 तक अंकित कर्मचारियों के लिए स्थापना समिति की जाँच के पष्चात् परिषद् की अगली बैठक में रखा जाय।
17	परिषद् के सभी पदाधिकारी/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका खोलने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि परिषद् के दिनांक 27.05.2006 के निर्णयानुसार दिनांक 30.06.2006 तक बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना से सभी नियमित तदर्थ कर्मचारियों का किसी भी प्रकार का

		कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया अतः यहीं पर उपलबध कागजातों के आधार पर निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों/ पदाधिकारी सेवा पुस्तिका खेली जाय।
18	परिषद् में कार्यरत निम्नांकित पन्द्रह कर्मचारियों को योग्यता के अनुरूप वेतनमान देने के संबंध में विचार। 1. श्री संजय कुमार, पदचर 2. श्री अभयनन्दन श्रीवास्तव, पदचर 3. श्री जितेन्द्र पासवान, पदचर 4. श्री कन्हैया प्रसाद, पदचर 5. श्री सुरेश मुण्डा, पदचर 6. श्री संजीव कुमार दि०लि० 7. श्री सुमन कुमार, दि० लि० 8. श्री भोला नाथ मोहंती, दि०लि० 9. श्री उत्तम कुमार पोद्दार दि० लि० 10. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, दि०लि० 11 श्री अकिल अमान दि० लि० 12. श्री शनिचरवाँ उराँव दि०लि० 13 श्री गुलाम हैदर दि० लि० 14. श्री जितेन्द्र कुमार दि० लि० 15 श्री मनोज कुमार दि०लि०	निर्णय लिया गया कि जब तक राज्य सरकार से पद की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तब तक उन्हें विशेष भत्ता के रूप में 100/- (एक सौ) रुपया प्रति माह दिनांक 01.04.2006 के प्रभाव से दिया जाय।
19.	परिषद् की तीसरी स्थापना दिवस 2 सितम्बर 2006 के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि गत वर्ष की भाँति स्थापना दिवस समारोह की व्यवस्था क जाय।

परिषद् की अगली बैठक दिनांक 08.08.2006 को बुलाई जाय।

अनुमोदित

ह/-	ह/-	ह/-
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की) विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी) सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	(डॉ० शालिग्राम यादव) अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की स्थापना समिति की दिनांक 04.08.2006 की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
5.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
6.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
7.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव

क्र० सं०	**कार्यसूची**	**निर्णय**
1	इंटरमीडिएट परीक्षा, 2006 (पुराना पाठ्यक्रम) की संपूरक परीक्षा के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि दिनांक 17.08.2006 से होने वाली इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित रखा जाय।
2.	इंटरमीडिएट पूरक/संपूरक परीक्षा परीक्षा, 2006 (नया पाठ्यक्रम) के मूल्यांकन केन्द्र निर्धरण के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाय– 1. रविन्द्रनाथ टैगोर इंटर महाविद्यालय, हटिया, राँची – कला एवं वाणिज्य संकाय 2. डोरण्डा महाविद्यालय, डोरण्डा, राँची – विज्ञान संकाय। 3. राम कृष्ण मिशन उच्च विद्यालय, दुमका – तीनों संकाय। यह भी निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन कार्य 17.08.2006 से शुरू कराया जाय।
3.	वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2006 के रौल कोड 3302 क्रमांक 76 को अंग्रेजी विषय में 05 अंक की कमी करने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि प्राप्तांक (79 अंक) को यथावत रखा जाय।
4.	इंटरमीडिएट परीक्षा, 2006 (वार्षिक) (नया पाठ्यक्रम) की स्क्रुटनी के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि दो मूल्यांकन केन्द्रों (गोस्सनर महाविद्यालय, राँची एवं बेथेसदा महिला

इंटर महाविद्यालय, राँची) से प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की स्क्रुटनी प्रतिवेदन की जाँच की गई और उसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया गया, उसे यथावत मान लिया जाय।

अनुमोदित
ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

ह/–
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की स्थापना समिति की दिनांक 08.08.2006 की बैठक की कार्यवाही

<u>उपस्थिति</u>

1.	डॉ0 शालिग्राम यादव	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0 बी0 सिंह	–	सदस्य
3.	डॉ0 दिनेशानन्द गोस्वामी	–	सदस्य
4.	प्रो0 दुखा भगत	–	सदस्य
5.	प्रो0 एम0 एस0 खाँ	–	सदस्य
6.	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी	–	सचिव
7.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	–	विशेष कार्य पदाधिकारी

श्री रामायण शरण सिंह, निलंबित सहायक को निर्गत कारण पृच्छा तथा उनसे प्राप्त जवाब पर विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. दोनों कर्मचारियों (श्री रामायण शरण सिंह एवं श्री बलिराम सिंह) को समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित होने के लिए लिखित आदेश दिया जाय।
2. श्री रामायण शरण सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूछे गये प्रश्नों का लिखित जवाब दिया।
3. समिति की अगली बैठक में सभी संदिग्ध चेकों की छाया प्रति तथा खाता खोलने के लिये हस्ताक्षर युक्त पत्र की मूल प्रति उपस्थापित किया जाय।

समिति की अगली बैठक दिनांक 20.08.2006 के बाद बुलाई जाय।

अनुमोदित।

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
विशेष कार्य पदाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की स्थापना समिति की दिनांक 08.08.2006 की बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या– 33

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
5.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
6.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
7.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
8.	प्रो० के० के० मिश्र	– सदस्य
9.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
10.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	परिषद् की दिनांक 27.07.2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ संपुष्ट किया जायः– 1. मद संख्या 4 के निर्णय में "प्रारूप" शब्द के आगे "(Check-list)" शब्द जोड़ा जाय।
2.	राज्य सरकार के निदेशानुसार 131 इंटर महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु स्थलीय निरीक्षण दल गठन के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि प्रस्ताववनुसार दो सदस्यीय निरीक्षण समिति का गठन किया जाय जिसमे परिषद् के सदस्य संयोजक एवं जिला स्तर के अंगीभूत महाविद्यालय के एक प्राचार्य को सदस्य के रूप में रखा जाय। (सभी कागजातों की प्रति संलग्न) 2. यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 12.08.2006 से स्थलीय निरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाय।
3.	परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 04.08.2006 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदन किया जायः–

<table>
<tr><td></td><td></td><td>1. मद संख्या 4 में निम्नलिखित जोड़ा जायः–
टीन प्लेट यूनियन इंटर महिला कॉलेज, जमशेदपुर मूल्यांकन केन्द्र से प्राप्त स्क्रूटनी रिपोर्ट की भी जाँच के गई और निर्णय लिया गया कि परीक्षा समिति के पूर्व के निर्णय को लागू माना जाय।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मध्यमा (संस्कृत) एवं मदरसा परक्षा सत्र 2006–2008 के पाठ्यक्रम के संबंध में विचार।</td><td>निर्णय लिया गया कि विभाग से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हो पाया है अतः पुराना पाठ्यक्रम के आधार पर ही सत्र 2006–07 की परीक्षा ली जाय। तदनूसार विद्यालयों को तथा विभाग को सूचित कर दिया जाय।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>परिषद् की दिनांक 21.06.2006 की बैठक के मद संख्या 8 के आलोक में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों/पदाधिकारियों, जिनकी सेवा दो वर्ष से अधिक है, को भी नियमित एवं तदर्थ कर्मचारियों की तरह मानदेय देने के संबंध में विचार।</td><td>निर्णय लिया गया कि देय माहवारी राशि के समतुल्य वर्ष में दो माह का मानदेय दिया जाय।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>परिषद् के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को दिनांक 01.01.1996 से संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान देने के संबंध में विचार।</td><td>निर्णय लिया गया कि वर्तमान परिस्थिति में झारखण्ड सरकार के 6/एस–4वे०पु०/01/2005/3109 वि० दिनांक 30.12.2005 का संकल्प परिषद् में लागू नहीं होता है।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु मदरसा परीक्षा में उत्तीर्ण की विद्यार्थियों के प्रमाण–पत्रों एव डिग्री की समकक्षता के संबंध में विचार।</td><td>निर्णय लिया गया कि इसे परिषद् की समकक्षता समिति में विचारार्थ रखा जाय।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>मदरसा सज्जादिया, कजरूकलाँ, पलामू के उत्क्रमण के संबंध में विचार।</td><td>निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू की अनुशंसा के आधार पर इसे अनुमोदित किया जाय और राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाय।</td></tr>
<tr><td>9.
(a)</td><td>Introductory Information Technology विषय को CBSE पाठ्यक्रम की भांति 9वीं कक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में रखने के संबंध में विचार।</td><td>निर्णय लिया गया कि सत्र 2007–08 से इसे लागू किया जाय तथा इस हेतु विभाग को लिखा जाय</td></tr>
</table>

9(b)	Pre- Vocational Education को CBSE पाठ्यक्रम की भाँति 9वीं कक्षा में लागू करने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि इसे सत्र 2007–08 से लागू करने हेतु विभाग से सहमति प्राप्त की जाय। जिन विद्यालयों में इस पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु संसाधन उपलब्ध हो उन विद्यालयों में इसकी पढ़ाई प्रारंभ की जा सकती है। इसका पाठ्यक्रम भी तैयार कराया जाय।
10.	कर्मचारी संघ स्थापित करने के संबंध में कर्मचारियों से प्राप्त अनुरोध पत्र पर विचार।	निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की सेवा परिषद् में नियमित हो जाने के बाद ही कर्मचारी संघ के मामले पर विचार यिका जाय।
11	श्री मोहम्मद मंसूर आलम, सहायक शिक्षक, मदरसा हुसैनियाँ तजावीदुल कुरान, दीघी, गोड्डा को प्रधान मौलवी के स्वीकृत पद पर परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।
12	मदरसा (फोकानियाँ) के छात्रों से Migration/Immigration Fee (शुल्क) लेने के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य (Migration Fee Rs. 50/- and Immigration fee Rs. 100/-) शुल्क निर्धारित किया जाय।
13.	डॉ० शालिग्राम यादव, अध्यक्ष को देय उपार्जित अवकाश नगदीकरण राशि भुगतान के संबंध में विचार।	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उनहें उपार्जित अवकाश नगदीकरण देय राशि का भुगतान किया जाय।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
प्रभारी सचिव,	सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 11.08.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	श्री केशव कुमार हडौदिया	– सदस्य
3.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
4.	प्रो० के० के० मिश्र	– सदस्य
5.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
6.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
7.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
8.	प्रो० एम० एस० खाँ	– आमंत्रित सदस्य
9	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
10.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

1. वित्त समिति की दिनांक 20.07.2006 की बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गएः–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 10 वर्ष 2004–05 पर महालेखाकार झारखण्ड, राँची द्वारा अविलोपित कंडिकाओं की तैयार विवरणी का अवलोकन किया गया।

(2) मूल्यांकन अग्रिम के सामंजन में निर्णय लिया गया कि अग्रिम भुगतान के समय परिषद् द्वारा निर्धारित शर्त्तों का कड़ाई से पालन किया जाय और उसके अनुरूप अग्रिम राशि विमुक्त किया जाय ताकि सामंजन के समय बहुत अधिक राशि वापस करने की स्थिति नहीं रहें

(3) वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2004, 2005 एवं वार्षिक 2006 में दिए गए अग्रिमों का सामंजन अविलम्ब किया जाय।

(4) जो अग्रिम धारक अभी तक सामंजन कागजात एवं बचे राशि परिषद् में नहीं जमा किया है उन्हें लिखित निर्देश दिया जाय कि दिनांक 19.08.2006 तक बैंक खाता बन्द करते हुए शेष राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा अन्य कागजातों के साथ परिषद् को सुपुर्द कर दें। इस आशय का पत्र सभी संबंधित कर्मचारियों को आज ही निर्गत किया जाय। इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्गत किया जाय।

(5) विशेष भत्ता रिकवरी (recovery) के मामले में अविलंब कार्रवाई की जाय।

(6) वर्ष 2004–05 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रत्येक अनुच्छेद पर टिप्पणी देते हुए महालेखाकार को सूचित किया जाय।

(7) जिस मद में पदावति/कटौती की बात है उसका अनुपालन कर वित्त समिति को सूचित किया जाय।

(8) जिनका अग्रिम का सामंजन एवं बैंक खाता अभी तक बंद नहीं हुआ है उन्हें पूर्व निर्णयानुसार दिनांक 01.08.2006 से 12% ब्याज के साथ अगस्त 2006 के वेतन से देय होगा। यदि आवश्यक हुआ तो राशि घोटाला का मामला भी पुलिस में दर्ज की जा सकती है।

(9) सभी तरह के लेखा (01.04.2006 से) का कम्प्यूटरीकरण कराया जाय। वर्तमान में जो कम्प्यूटर विभाग कार्यरत है, के संचालक से कहा जाय कि दो वाणिज्य के जानकार (Computer knowing) को रखें जो इस कार्य का निष्पादन करेंगे।

(10) रोकड़–बही के प्रत्येक प्रविष्टि पर प्रतिदिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाय। इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(11) पूर्व निर्णयानुसार बैंक रिकनसिलिएसन (Reconciliation) का कार्य नियमित किया जाय। इस कार्य के लिए एक और जानकार कर्मी की सेवा ली जाय।

(12) आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी जो Recovery का प्रस्ताव रखा गया है उसका भी अनुपानल किया जाय।

2. परिषद् के वर्ष 2005–06 का Receipt & Expenditure का सर्वप्रथम आंतरिक अंकेक्षण से अंकेक्षण कराया जाय और जाँच प्रतिवेदन एवं आपति निराकरण प्रतिवेदन के साथ वित्त समिति में रखा जाय।

3. वित्त समिति की अगली बैठ दिनांक 25.08.2006 को बुलाई जाय जिसमें दिनांक 20.07.2006 एवं दिनांक 11.08.2006 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
प्रभारी सचिव,	सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की परीक्षा समिति की दिनांक 19.08.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
3.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
4.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
5.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
6.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
7.	श्री एस० के० शर्मा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	–विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
9.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

1. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 2006 परीक्षा (सत्र 2004–06) की तिथि निर्धारण के संबंध में विचार।

राज्य सरकार के पत्रांक 2730 दिनांक 06.10.2005 के आलोक में 2006 की प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा नियमित एवं ससयम करनी है जिसके अनुपालन में संभावित तिथि 19 सितम्बर, 2006 घोषित की गई है। कुछ तकनीकी कठिनाईयों के चलते परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित थे। उनसे परीक्षा से संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के माप दण्ड के आलोक में सभी बिंदुओं पर बातें हुई।

1. विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से, निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की जायः–

(1) राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सत्र 2004–06 कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त होगा।

(2) जहाँ विलंब से पढ़ाई शुरू हुई है और पाठ्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है वहाँ बाद में परीक्षा ली जाय।

राज्य सरकार से उपर्युक्त दोनों बिंदुओं पर निर्देश प्राप्त की जाय।

2. जिन अराजकीय महाविद्यालयें से आवेदन प्रपत्र जमा हुआ है उनकी परिषद् स्तर पर जाँच कर परीक्षा ली जाय।

अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की ।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	हरु–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
प्रभारी सचिव,	सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की स्थापना समिति दिनांक 22.08.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
3.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
4.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
5.	डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी,	– सदस्य
6.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
7.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

1. बैठक प्रारंभ होने पर श्री रामायण शरण सिंह एवं श्री बलिराम सिंह को बुलाकर एक साथ पूछताछ की गयी।

स्थापना समिति के समक्ष श्री अखौरी मोहन प्रसाद एवं श्री शंभु प्रसाद देव भी उपस्थित हुए। श्री अखौरी मोहन प्रसाद ने समिति के समक्ष श्री रामायण शरण सिंह से प्राप्त दस्तावेजों की लिखित जानकारी दी। उन्होंने सिर्फ देयकों को जमा किया है जिसमें संबंधित चारों देयक नहीं हैं। श्री देव को कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री बलिराम सिंह ने लिखित प्रतिवेदन दिया और अपने को निर्दोष होने का दावा किया।

समिति ने विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लियाः–

(i) चारों चेक क्रमशः 808897 दिनांक 05.05.2005 रु० 21145/– , 808898 दिनांक 05.05.2006 रु० 21756/– , 307118 दिनांक 16.01.2006 रु० 12000/– एवं 307119 दिनांक 16.01.2006 रु० 15000/– कुल रु० 69901/– प्रथम द्रष्टया श्री रामायण शरण सिंह द्वारा निकासी में श्री रामायण शरण सिंह ही दोषी पाये जाते हैं।

(ii) स्थापना समिति दो बैठकों (दिनांक 08.08.2006 एवं 22.08.2006) में संबंधित कागजातों एवं निर्गत चेकों की छायाप्रति की जाँचोपरांत तथा श्री रामायण शरण सिंह एवं श्री बलिराम सिंह से पूछताछ के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मामले में श्री रामायण शरण सिंह ही दोषी हैं अतः एक सप्ताह के अंदर अवैद्य निकासी किये गये कुल 69901/– रुपयों का 12% सूद के साथ परिषद् के खाते में जमा कर दें तथा उक्त परीक्षा से संबंधित

(माध्यमिक वार्षिक परीक्षा, 2005 केन्द्र हजारीबाग) सारे चेकबुक की अधकट्टी एवं अन्य कागजात अविलंब सचिव को सुपूर्द कर दें।

उक्त निर्णय से श्री रामायण शरण सिंह को अवगत कराया गया और उन्होंने स्वीकार करते हुए एक सप्ताह के अंदर कुल राशि जमा करने का लिखित वचन दिया।

2. समिति की दिनांक 08.08.2006 की बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट किया गया।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
प्रभारी सचिव,	सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 25.08.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	— अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० बी० सिंह	— सदस्य
3.	श्री केशव कुमार हडौदिया	— सदस्य
4.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	— सदस्य
5.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	— सचिव
6.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	—विशेष कार्य पदाधिकारी

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	वित्त समिति की दिनांक 11.08.2006 की बैठक की कार्यवाही संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित संशोधनों के साथ इसे संपुष्ट किया जायः— 1. वित्त समिति की दिनांक 20.07. 2006 की बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यन्वयन के संबंध में विचार किया गया और निर्देश दिया गया कि अवलोपित कंडिकाओं का अनुपालन किया जाय और Recovery तत्काल किया जाय। 2. क्रमांक 1 (1) के अंत में "विवरणी के मुताबिक कटौती तुरंत किया जाय" जोड़ा जाय। 3. क्रमांक 1 (4) तृतीय पंक्ति में "बैंक ड्राफ्ट एवं कागजातों के साथ" के बीच में बैंक स्टेटमेंट तथा अन्य संबंधित शब्द जोड़ा जाय और शब्द "अन्य" को हटाया जाय। 4. 1 (5) "व्यक्तिगत Recovery की सूची तैयार कर सचिव के हस्ताक्षर से वित्त शाखा के संबंधित सहायक को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाय" शब्द अंत में जोड़ा जाय। 5. 1 (8) द्वितीय पंक्ति से "देय" होगा शब्द को हटाकर "कटौती प्रारंभ की जाय" और अंतिम वाक्य को

		हटा दिया जाय। 6. 1 (12) "प्रतिवेदन" के आगे "2003–04 एवं 2004–05" शब्द जोड़ा जाय।

2 सभी अंकेक्षण प्रतिवेदन (महालेखाकार झारखण्ड एवं आंतरिक अंकेक्षण) में कटौती का जो सुझाव आया है उसकी सूची तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

3 आंतरिक अंकेक्षण दल जो वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए नियुक्त है उन्हें वित्तीय वर्ष 2006–2007 के लिये भी 60,000/– रुपया (साठ हजार) और सर्विस टैक्स पर नियुक्त किया जाय।

4	वित्त समिति की दिनांक 27.07. 2006 एवं दिनांक 11.08.2006 की बैठक के निर्णयों पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन का अवलोकन।	इसे अवलोकित किया गया और यथा स्थान सुझाव भी दिये गये यह भी निर्णय लिया गया कि अग्रिम राशि सामंजन प्रतिवेदन में वर्तमान स्थिति का उल्लेख देते हुए प्रस्तुत किया जाय।
5.	वित्त समिति की दिनांक 11.08. 2006 के संकल्प संख्या 2 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2005'06 के आय–व्यय प्रतिवेदन का अवलोकन।	प्रस्तुत प्रतिवेदन में Head of account के कुछ मदों और टंकण गलतियाँ में सुधार के साथ अनुमोदित किया गया

अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद के साथ सभी समाप्ति की घोषणा की ।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की) प्रभारी सचिव,	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी) सचिव,	(डॉ० शालिग्राम यादव) अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रॉची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रॉची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रॉची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 31.08.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या – 34

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
5.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
6.	डॉ० एम० एस० खॉ	– सदस्य
7.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
8.	प्रो० के० के० मिश्र	– सदस्य
9.	श्री केशव कुमार हडौदिया	– सदस्य
10.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव
11.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	– विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का अभिनन्दन किया।

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	परिषद् की दिनांक 08.08.2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे संपुष्ट किया जाय।
2.	परिषद् की स्थापना समिति की दिनांक 08.08.2006 एवं 22.08.2006 की बैठक की कार्यवाहियों का अनुमोदन।	1. निर्णय लिया गया कि दिनांक 08. 08.2006 की बैठक की कार्यवाही को अनुमोदित किया जाय। 2. दिनांक 22.08.2006 की कार्यवाही निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदितकिया जाया। 1. मद संख्या 1 के द्वितीय अनुच्छेद में तृतीय वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायः– "उन्होंने अन्य कागजात यथा चेक बुक अधकटि, कैश बुक इत्यादि नहीं जमा किया है।"
3.	परिषद् की परीक्षा समिति की दिनांक 19.08.2006 की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
4.	परिषद् की वित्त समिति की दिनांक	1. निर्णय लिया गया कि दिनांक 11.

	11.08.2006 एवं 25.08.2006 की बैठक की कार्यवाहियों का अनुमोदन।	08.2006 की बैठक की कार्यवाही को अनुमोदित किया जाय। 2. निर्णय लिया गया कि दिनांक 25.08.2006 की बैठक की कार्यवाही निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया जायः— मद संख्या 5 का निर्णय निम्न रूप में पढ़ा जायः— "प्रस्तुत प्रतिवेदन में Head of account के कुछ मदों और टंकण गलतियों में सुधार कर आंतरिक अकेक्षक के अंतिम प्रतिवेदन के साथ वित्त समिति की अगली बैठक में रखा जाय।
5.	श्री रामायण शरण सिंह निलंबित सहायक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार।	निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः— 1. श्री रामायण शरण सिंह से स्पष्टीकरण पूछा जाय कि जब उन्होंने लिखित रूप से स्वीकार किया है कि पैसा जमा कर देंगे और परिषद् से भी उन्हें निर्देश दिया गया था कि दिनांक 29.08.2006 तक पैसा और अन्य संबंधित कागजात जमा कर दें। लेकिन आज तक पैसा और अन्य कागजात उन्होंने जमा नहीं किया। इस परिस्थिति में श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछे। स्पष्टीकरण में यह अंकित किया जाय कि क्यों नहीं उनकी सेवा बरखास्त कर दी जाय और गबन का मुकदमा चलाया जाय। उनसे दिनांक 07.09.2006 के अंदर स्पष्ट करने को कहा जाय। यदि दिनांक 07.09.2006 तक जवाब नहीं आता है तो श्री सिंह की सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी। 2. परिषद अधिवक्ता से पत्र तैयार कराकर उन्हें दिया जाय।
6.	श्री शिवकुमार रजक निलंबित पदचर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में विचार।	1. निर्णय लिया गया कि इसे स्थागित रखा जाय। 2. यह भी निर्णय निया गया कि श्री रजक को अनुपस्थित अवधि, जिसके कारण वे निलंबित हैं की जाँच की जाय कि वेतन भुगतान हुआ है या नहीं।

		यह भी निर्णय लिया गया कि एक पूर्ण संलेख के साथ परिषद् की अगली बैठक में रखा जाय।
7.	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा, 2006 की परीक्षा तिथि निर्धारण के संबंध में विचार।	निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः– 1. अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की 2006 परीक्षा दिनांक 10.10.2006 से ली जाय। 2. राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की 2006 की विशेष परीक्षा हेतु राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त किया जाय।
8.	National Curriculum Frame Work –2005 की अनुशंसा के आलोक में CBSE द्वारा निर्धारित वर्ग 9वीं एवं 11वीं (Inter 1st year) के पाठ्यक्रम के संबंध में विचार।	निर्णय लिया गया कि सत्र 2007–08 से लागू करने हेतु तैयार पाठ्यक्रम प्रारूप को राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा जाय।
9.	परिषद् की विभिन्न परीक्षाओं के निम्नांकित मदों में 2007 की परीक्षा मदों में 2007 की परीक्षा से वृद्धि के प्रस्ताव पर विचारः– (1) इंटरमीडिएट – लोकल लेभी रु० 155/– के स्थान पर रु० 160/– (2) माध्यमिक/मध्यमा –विविध शुल्क रु० 150/– के स्थान पर रु० 155/– (3) मदरसा – परीक्षा प्रपत्र शुल्क रु० 10/– के स्थान पर रु० 15/–	निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।
10.	राज्य सरकार के पत्रांक 1449 दिनांक 11.07.2006, पत्रांक 1674 दिनांक 03.08.2006 एवं 1695 दिनांक 04.08.2006 के आलोक में गठित निरीक्षण दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इंटरमीडिएट महाविद्यालयों की स्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा पर विचार।	सैद्धांतिक रूप में निम्नलिखित दिशा निर्देश तय किये गयेः– 1. जो महाविद्यालय जितने संकाय में सभी शर्त्तों को पूरा करता है उसे राज्य सरकार को प्रस्वीकृति हेतु अनुशंसित किया जाय। 2. जिन महाविद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने की आशा है वैसे महाविद्यालयों का नाम भी अनुशंसित किया गया। 3. विभिन्न संकायों के लिये जो महाविद्यालय 80 प्रतिशत की शर्त्तें

पूरा करते हैं, प्रतिशत का उल्लेख करते हुए सशर्त्त अनुशंसा राज्य सरकार को दी जाय तथा वांछित शर्त्तों को पूरा करने के लिये समय अवधि निर्धारित किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त दिशा निर्देश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाय।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की)	(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)	(डॉ० शालिग्राम यादव)
प्रभारी सचिव,	सचिव,	अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 02.09.2006 को हुई बैठक की कार्यवाही

बैठक संख्या – 35

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	प्रो० आर० बी० सिंह	– सदस्य
5.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
6.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
7.	श्री फुल सिंह	– सदस्य
8.	प्रो० के० के० मिश्र	– सदस्य
9.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	– सचिव

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का अभिनन्दन किया।

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	परिषद् की दिनांक 31.08.2006 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	निर्णय लिया गया कि इसे सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया जाय।

अध्यक्ष महोदय ने सदसों को सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

अनुमोदित

ह/–
(श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची

आज दिनांक 20.09.2006 को डॉ० राम दयाल मुण्डा की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में झारखण्ड की संस्कृति, लोक कथा, महापुरूषों की जीवनी, राज्य के इतिहास, राज्य की भौगोलिक स्थिति आदि को सम्मिलित करने हेतु गठित समिति एवं कार्यशाला विशेषज्ञों की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:—

उपस्थिति

1.	डॉ० राम दयाल मुण्डा	— अध्यक्ष
2.	डॉ० शालिग्राम यादव	— परिषद् अध्यक्ष
3.	डॉ० मंजु ज्योत्स्ना	— सदस्य
4.	डॉ० आर० पी० साहु	— सदस्य
5.	प्रो० इंद्रजीत उराँव	— सदस्य
6.	डॉ० शांति खलखो	— सदस्य
7.	श्री सलिल वरण कुण्डु	— सदस्य
8.	डॉ० निखिल चन्द्र दास	— सदस्य
9.	श्री रंजीत मोहन	— सदस्य
10.	श्री अशोक कुमार	— सदस्य
11.	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी	— सचिव
12.	श्रीमती आभा कुसुम तिर्की	— विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यवाही प्रारंभ होने पर अध्यक्ष महोदय ने आज की बैठक की अध्यक्षता के लिये डॉ० राम दयाल मुण्डा को आमंत्रित किया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

1. समिति की दिनांक 17.07.2006 की बैठक की कार्यवही को संपुष्ट किया गया।
2. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी छः तैयार पाण्डुलिपियों को सिद्धांतः मान लिया जाय और प्रकाशन के पूर्व एक बार फिर पुनरावलोकन (Review) किया जाय ताकि कोई सामान्य तथ्य छूट नहीं जाय।

   इस अनुशंसा के साथ इसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा जाय।

   यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकाशन के समय प्रूफ रीडिंग (Proof - reading) भी परिषद् स्तर पर करा लिया जाय।

अंत में परिषद् अध्यक्ष द्वारा इस कार्य हेतु सदस्यों द्वारा सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की

घोषणा की गई और आशा व्यक्त की गई कि भविष्य में भी सदस्यों से इसी तरह का सहयोग परिषद् को मिलता रहेगा।

अनुमोदित

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
(श्रीमती आभा कुसुम तिर्की) विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	(चन्द्रकान्त त्रिपाठी) सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	(डॉ० शालिग्राम यादव) अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची	(राम दयाल मुण्डा) अध्यक्ष